राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] बारहवीं विधान सभा के पहले सत्र का नवां दिवस [संख्या:7

शुक्रवार,

23 जनवरी, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज।

जिला बारां की सहरिया परियोजनान्तर्गत स्वीकृत ट्यूबवैल

39. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर बारां द्वारा पेयजल हेतु सहरिया परियोजना में ट्यूबवेल स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां तो कितने तथा इनसे कब तक पेयजल आपूर्ति हो जाएगी?

(2) सहरिया परियोजना में 100 दिन की कार्य योजना में स्वीकृति हेतु कौन-कौनसी विकास योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) जी हां। सहरिया परियोजना क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जिला कलक्टर बारां द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर सरकार द्वारा 38 ट्यूबवैल की स्थापना हेतु रूपये 57.00 लाख (प्रति ट्यूबवैल रूपये 1.50 लाख) की राशि स्वीकृत की गयी है। ट्यूबवैल स्थापना हेतु जिला कलक्टर बारां द्वारा प्रस्तावित कार्य स्थानों का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जाएंगे। पेयजल की आपूर्ति माह जून, 04 तक प्रारम्भ हो जाएगी।

(श्री कनकमल कटारा)

(2)सहरिया परियोजना क्षेत्र में जनजाति विकास विभाग द्वारा 100 दिन की कार्य योजना में निम्न कार्य कराये जाएंगे :-

1.विभिन्न कृषि कार्यों हेतु रूपये 1.00 लाख का रिवाल्विंग फण्ड बनाया गया है जिससे 50 कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा।

2.10 परिवारों को गाय क्रय करने हेतु रूपये 0.75 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

3.10 कृषकों को डीजल/विद्युत पम्पसैट क्रय करने हेतु रूपये 1.00 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

4.175 क्षय रोगियों को दवाई एवं पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा।

5.कक्षा 6 से 12 के 70 छात्र/छात्राओं को स्टेशनरी, स्कूल पोशाक एवं फीस का पुनर्भरण किया जाएगा जिस पर रूपये 4.20 लाख की राशि व्यय होने का अनुमान है।

6.पांच आश्रम छात्रावासों की मरम्मत आदि पर रूपये 1.83 लाख की राशि व्यय की जाएगी।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि बारां कलक्टर साहब ने ये ट्यूबबैल निर्माण के प्रस्ताव जनजाति विभाग को कब भेजे, कितने दिन यहां पर पैंडिंग रहे और कब इसकी स्वीकृति जारी हुई, नम्बर-1 सवाल ? नम्बर-2 सवाल मेरा यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि बारां कलक्टर को सहरिया परियोजना में जितनी राशि स्वीकृत होती है उस राशि में से पाँच लाख के निर्माण कार्य स्वीकृत करने का अधिकार है उसके बाद भी डेढ़ लाख रूपये का एक ट्यूबवैल था वो प्रस्ताव टी.ए.डी. ने उदयपुर क्यों मंगवाया, इसका क्या कारण है?

नम्बर-3 सवाल, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह है कि छात्रावास मरम्मत के लिए इन्होंने 1.83 लाख रूपये दिये हैं में कह रहा था कि एक छात्रावास मेरे यहां पर अधूरा है और उसका पैसा आवास विकास संस्थान में लाखों रूपये जमा हैं। आवास विकास संस्थान समाप्त होकर हाउसिंग बोर्ड में मर्ज हो गया तो क्या लाखों रूपये जो हाउसिंग बोर्ड में आवास विकास संस्थान में जमा है, वो निकाल कर दुबारा जो अधूरा छात्रावास है क्या उसका निर्माण कार्य पूरा होगा? वो 6 साल से अधूरा पड़ा हुआ है।

श्री कनकमल कटारा : आपने पहला क्वेश्चन किया था, जिला कलेक्टर बारां से प्राप्त 175 ट्यूबवैल एवं 39 ओपन बैल के निर्माण कार्य की राशि स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को दिनांक 23.1.2003 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। दूसरा जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ था 23 दिसम्बर, 2004 को उसकी स्वीकृति भी जारी की गयी। दूसरा आश्रम छात्रावास की आपने बात बतायी है कुल 11 छात्रावास आश्रम छात्रावास है जिसमें दुरूस्तिकरण का काम भी चल रहा है। शाहबाद के और देवरी. समरिया, शाहबाद छात्र भवन गवा शाहबाद और केलवाड़ा शाहबाद और शाहबाद (छात्रा) इनकी मरम्मत का कार्य भी चालू है। शेष अभी जहां पर आश्रम छात्रावास में मरम्मत कार्य और भी किये जाने हैं उसका कार्य भी प्रस्तावित है और बहुत ही जल्दी उसका काम पूरा कर दिया जाएगा।

श्री हेमराज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैने यह जानकारी चाही थी कि कलक्टर्स को सहरिया परियोजना में पाँच लाख रूपये तक निर्माण कार्य स्वीकृत करने का राज्य सरकार की और से अधिकार है, लेकिन यह निर्माण कार्य केवल डेढ़ लाख रूपये का था। फिर यहां पर उदयपुर में प्रस्ताव मंगाया, इस प्रस्ताव में दो महीने का डिले हुआ, आखिर यह क्यों हुआ? क्या कलक्टर को पाँच लाख रूपये के निर्माण काम स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है, पहला सवाल? दूसरा सवाल मेरा यह है, अध्यक्ष महोदय, कि मरम्मत काम के लिए 1.83 लाख रूपये दे रहे है, लेकिन मेरे शाहबाद में 6 साल पुराना एक छात्रावास सहरिया परियोजना से बनना है, जिला कलेक्टर ने उसका शिलान्यास किया है और प्लिन्थ लेबल होकर पड़ा हुआ है। उसके निर्माण की एजेन्सी आवास विकास संस्थान थी, आवास विकास संस्थान अब हाउसिंग बोर्ड में मर्ज हो गया। हमारा सहरिया परियोजना का पैसा जो जमा था आवास विकास संस्थान में, और हाउसिंग बोर्ड में जो पहुंच गया, उस पैसे को निकाल कर क्या वापस हम उस छात्रावास का निर्माणकाम शुरू करेंगे या वो अधूरा पड़ा रहेगा? इसके बारे में मंत्रि जी से चाहूंगा कि कुछ बताएं।

श्री कनकमल कटारा : आपने जो कलक्टर वाली बात बतायी है, इसमें राज्य सरकार ही नवीन कार्यों की सवीकृति देती है इस वजह से उस काम में कलेक्टर द्वारा डिले हुई। बहुत ही जल्दी इस काम की स्वीकृति भी होगी और उस काम को पूरा कर लिया जाएगा।

दूसरा आपने बताया था, कि आवास संस्थान जो कार्य कर रहा था उसमें बहुत बड़ी गड़बडियां थी, और उस वजह से इस काम को जो अभी हाउसिंग बोर्ड पर निर्भर है, हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ही कराया जाएगा। जो पड़े हुए थे लंबे समय से बहुत जगह, ऐसे

(श्री कनकमल कटारा)
हाउसिंग बोर्ड द्वारा अभी किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि आवास विकास संस्थान ने वो काम अधूरे छोड़ रखे थे और उन कामों को पूरा नहीं करा पाया जिसके कारण बहुत-सी राशि पड़ी रही और कुछ ठेकेदार थे वो काम नहीं कर पाये, अब उसको हाउसिंग बोर्ड द्वारा पूरा करा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढा।

श्री संयम लोढा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 23 जनवरी, 2003 को सहरिया जनजाति क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने जिन टयूबवैल और ओपन बैल खुदवाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे थे, उसके अन्तर्गत अभी तक कितनी राशि भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है और कितनी राशि प्राप्त होना शेष है? जो राशि प्राप्त नहीं हुई है उसको प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार क्या कार्य करने जा रही है? दूसरा आपने अभी जो जवाब दिया कि सौ दिवसीय कार्य योजना में आप 70 परिवारों को वहां लाभान्वित करने का इरादा रखते हैं, मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्र गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कुल कितने परिवार हैं और सरकार अपनी एक वर्षीय योजना में कितने परिवारों को किस रूप में लाभान्वित कर आत्मनिर्भर बनाने का इरादा रखती है ?

श्री कनकमल कटारा : आपके बाद वाले प्रश्न का उत्तर तो मैं जानकारी लेकर बताऊंगा। एक आपने पूछा है कितने रूपये स्वीकृत किये थे, तो भारत सरकार द्वारा कुल 38 टयूबवैल हेतु 57 लाख रूपये एवं 11 ओपन बैल निर्माण हेतु 13 लाख की राशि स्वीकृत की गयी थी। इस परियोजना में किये गये प्रावधानों के अनुसार 6 माह के लिए डीजल/विद्युत व्यय हेतु... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : सारे राजस्थान का पूछ रहे हैं, वो अलग से प्रश्न है।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है।

श्री संयम लोढा : मैंने सहरिया जनजाति क्षेत्र का ही पूछा है, माननीय अध्यक्षजी, कि 23 जनवरी को राजस्थान सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा, कितने का प्रस्ताव भेजा, कितनी राशि उसमें प्राप्त हुई कितनी राशि प्राप्त होना शेष है और सरकार बची हुई राशि प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह तो केवल बारां जिले से सम्बन्धित है।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, सौ दिन की कार्य योजना में सहरिया परियोजना में इन्होंने कृषि कार्य के लिए गाय क्रय के लिए और कृषकों को डीजल पम्पसैट कराने के लिए जो लक्ष्य रखे हैं इन लक्ष्यों में 10 % राशि किसान के द्वारा दी जाएगी, किसान राशि किस तरह देगा, बहुत गरीब व्यक्ति सहरिया परियोजना क्षेत्र में रहते हैं ? इसी तरह डीजल पम्प सैट में कुछ परसेंट राशि उसको जमा करानी पड़ती है। तो यह हमारा 100 दिन में लक्ष्य कैसे पूरा होगा अगर सहरिया काश्तकार के पास कुछ अंशदान जमा कराने के लिये पैसा नहीं होगा,? माननीय मंत्रीजी इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन करें।

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, सहरिया परियोजना में 5000 रूपये इन्होंने जमा करा दिये और बाकी के पैसे हम अपने फंड से करा कर बहुत ही जल्दी, 100 दिन में इसको पूरा करेंगे।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, कृषि कार्यों के लिये एक लाख रूपया दिया है, 50 कृषकों को एक लाख रूपया दिया है।

श्री संयम लोढा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब दिलवाइए। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दिलवाइए। उसका जवाब आ जाए कि भारत सरकार को पत्र लिखा उसके अगेंस्ट...(व्यवधान) आपके शपथ लेने में अभी टाइम है, मंत्रि महोदय सक्षम है। जवाब पूछ रहा हूं कोई गुनाह कर रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं?... (व्यवधान) हमारा हक नहीं है, सारा हक आप ही का है ?...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप एक-एक बोलो, सारे एक साथ बोलोगे क्या ?...(व्यवधान)

श्री सी.डी.देवल : अध्यक्ष महोदय, यह कैसे बोल रहे हैं, अभी तो इनकी मंत्रिमण्डल में बारी ही नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : एक ही सदस्य एक समय में बोले तो उचित रहेगा।

श्री संयम लोढ़ा : जवाब तो दिलवाइए, अध्यक्ष महोदय। जवाब तो दिलवाइए मंत्री जी से।

श्री सी.डी.देवल : अभी तो यह मंत्री बने ही नहीं बीच में ही बोल रहे हैं, इनको समझाओं आप। ऐसे कोई वसुंधरा जी आपको मंत्री बनाने वाली नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्रीजी को बाध्य नहीं कर सकती हूं।

श्री संयम लोढ़ा : मेरा सवाल रेलेवेंट है फिर क्यों नहीं जवाब देंगे

मुख्य मंत्रीजी बैठी है वह जवाब दे दें, मंत्री सक्षम नहीं हैं तो।

श्री हेमराज : लोढ़ाजी, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सदस्य, मुझे अध्यक्ष महोदय ने अलाउ किया है, मैंने उसके बाद पूछा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, पहले उनको पूछने दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : आपने मुझे इजाजत दी है तब मैंने पूछा है1

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता फिर खड़े हो गये तो प्रश्नकर्ता का तो अधिकार है।

श्री संयम लोढ़ा : ठीक है, आप जवाब दिलवा दीजिए।

श्री हेमराज : 100 दिन में सहरिया परियोजना द्वारा कृषि कार्यों के लिए एक लाख रूपये की इन्होंने लागत बताई लेकिन यह एक लाख रूपया जो रिवाल्विंग फंड के लिये दिया जा रहा है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसमें अंशदान उस किसान को देना पड़ता है। इसी तरह डीजल पम्प सैट लेने के लिये भी काश्तकार को कुछ अंशदान अपने पास से देना पड़ता है। मैं चाह रहा हूं कि यदि यह अंशदान उस सहरिया के पास नहीं होगा तो हमारे लक्ष्य पूरे कैसे होंगे ? यदि अंशदान वह जमा नहीं कराएगा तो क्या सरकार इस अंशदान को जमा कराके ये लक्ष्य पूरे करेगी, मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा ?

श्री कनकमल कटारा : यह योजना है, योजना के अनुसार जो हम कर सकते हैं वही किया है। बाकि का अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में हम आगे सोचकर पूरा करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से यह जानना चाहा है कि 23 जनवरी, 2003 को राजस्थान सरकार ने सहरिया जनजाति क्षेत्र में ट्यूबवैल और ओपन वैल खुदवाने के लिये भारत सरकार को जो प्रस्ताव भेजा था उसके विपरीत कितनी राशि मांग की गयी थी, कितनी प्राप्त हो गई, कितनी प्राप्त होना शेष है और

(श्री संयम लोढ़ा)
सरकार बची हुई राशि प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है ? मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आपके पास सूचना है तो बता दीजिए।

श्री कनकमल कटारा : मैंने पहले ही बता दिया कि भारत सरकार द्वारा....

श्री संयम लोढ़ा : प्रस्ताव क्या भेजा, पहले वह बताइये।

श्री कनकमल कटारा : प्रस्ताव क्या भेजा, पहले वह बताइए। फिर प्राप्त क्या हुआ, वह बताइए। कितना प्राप्त होना शेष है, वह बताइए, और कि क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री कनकमल कटारा : प्रस्ताव था 175 ट्यूबवैल का जिला कलक्टरों ने भेजा था। उसमें से 175 ट्यूबवैल थे, 39 ओपन वैल निर्माण हेतु राशि थी और वह 23.1 को भिजवाया गया था। यह भारत सरकार ने मांगा था, कब मांगा था, वह भी आपको बता दूं। जनजाति मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव का माह दिसम्बर, 2002 में सहरिया क्षेत्र का दौरा हुआ था और उस समय पेयजल के संकट की स्थिति को अवगत कराने पर उन्होंने प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देश दिये थे। उस समय यह प्रस्ताव यहां से भेजे गये थे और इस एवज में भारत सरकार ने 38 टयूबवैल हेतु 57 लाख रूपये और ओपनवैल के निर्माण हेतु 13 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की । इस परियोजना के प्रावधान के अनुसार 6 माह के लिये डीजल पम्प हेतु भी भारत सरकार द्वारा रूपये 5 लाख 68 हजार की राशि स्वीकृत की गई है।

(सदन में मोबाइल फोन बजने पर)

श्री अध्यक्ष : यह मोबाइल किसका बजा ?

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार से भी सहरिया जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिये करीब 127 टयूबवैल और 28 ओपन वैल की स्वीकृति आना और शेष है ? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि हम परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की तकदीर बदलना चाहते हैं, सरकार सहरिया क्षेत्र के आदिवासियों को बची हुई और स्वीकृति दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री कनकमल कटारा : मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया, 100 दिन में हम उस काम को पूरा कर लेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : 100 दिन का मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं यह पूछ रहा हूं कि 23 जनवरी को जो प्रस्ताव भेजा था उसके विरूद्ध भारत सरकार से ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर सहायता प्राप्त हुई है, बची हुई सहायता दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री कनकमल कटारा : हम उसके प्रयास करेंगे और बहुत ही जल्दी इस काम को पूरा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री नंदलाल मीणा।

श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 100 दिन की कार्य योजना के अंतर्गत सहरिया आदिवासियों के लिये कितने कुओं पर विद्युत कनेक्शन देने का आपने प्रावधान रखा था? आपने जो जवाब दिया उसमें एक भी कुए को विद्युत से जोड़ने का जिक्र नहीं है, इस सम्बन्ध में विभाग का क्या विचार है?

श्री कनकमल कटारा : हमने पहले ही कहा है कि बहुत ही जल्दी हम इनको विद्युत से जोड़ देंगे और इसको पूरा कर लेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आपको तसल्ली है क्या कि मेरा जवाब आ गया ? अध्यक्ष महोदय, मैंने दो सवाल पूछे हैं, दूसरे का अभी तक जवाब नहीं दिया। मैंने यह पूछा है कि सहरिया जनजाति क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कितने परिवार हैं और अगले एक वर्ष में उनके लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी को जितनी जानकारी थी वह उन्होंने दे दी।

श्री नंदलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता से भी ज्यादा सवाल इन्होंने पूछ लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, सहरिया की तरह थोड़ा कोटड़ा का भी मामला मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि जिस तरह सहरिया जनजाति है उसी तरह थोड़ी जनजाती हमारे कोटड़ा में है उसके लिये मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी योजनाएं वहां पर लागू करने की या उनको ऊपर उठाने की कोई योजना है?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न तो अलग से है।

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, जनजाति परियोजना क्षेत्र को लेकर ही है। कोटड़ा उपयोजना क्षेत्र में लगा हुआ है, उसी तरह उससे लगी हुई दूसरी पंचायतें हैं जो ट्राइबल बहुल है, उसको भी आप उपयोजना क्षेत्र में शामिल करने की मंशा रखते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : आपका अलग से प्रश्न है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल पूछा है वह सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित ही पूछा है, कृपया उसका माननीय मंत्रीजी से जवाब दिलवाइए।

श्री अध्यक्ष : आपने जो प्रश्न पूछा है वह प्रश्न सप्लीमेंट्री के स्कोप से बाहर का है और इसलिए मैं उसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हूं। (व्यवधान) श्री जुबेर खान।

राजमार्गों पर अवैध निर्माण

40. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1)क्या यह सही है कि विभाग द्वारा निर्मित सड़क एवं देखरेख वाले राष्ट्रीय मार्गों एवं राज्य मार्गों पर दुकानों एवं मकानों का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां तो क्या उक्त निर्माण हेतु विभाग ने कोई नियम एवं शर्तें निर्धारित की हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन मेंज पर रखें।

(2)क्या सरकार उक्त मार्गों पर नियम विरूद्ध हुए निर्माणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(श्री जुबेर खान)

(3) क्या उक्त अवैध निर्माणों के लिये कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी है ? यदि हां तो उनके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) : (1) जी हां, राष्ट्रीय राज मार्ग व राज मार्ग पर निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश एवं शर्तें निर्धारित हैं। परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित है।

(सदन में मोबाइल फोन बजने पर)

श्री अध्यक्ष : यह फिर किसका मोबाइल बज रहा है ? देखिए बहुत गलत बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस पर पाबंदी लगाइए, जब्त करने का नियम बनवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : तीन-तीन, चार-चार लाख रूपये के प्रतिनिधि हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस समस्या का समाधान हो सकता है, संसद में जैमर लगा हुआ है, जो भी मोबाइल फोन अंदर आता है वह अपने आप जाम हो जाता है। आप मुख्य मंत्री जी को कहिए कि इस सदन में भी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मोबाइल फोन बजे ही नहीं, क्योंकि आपके बार-बार निर्देश के पश्चात भी मोबाइल फोन बजना निश्चित तौर से अशोभनीय है। जब कोई मोबाइल फोन बजता है तो लगता है आपके दिल का तार भी कहीं बजता है क्योंकि आपके चेहरे के उतार-चढ़ाव से हमें लगता है कि आप खूब नाराज होती हो। इसलिए मुख्य मंत्री जी को आप कहकर ऐसी व्यवस्था करा दें कि यहां मोबाइल फोन बजे ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, 3-3 लाख के प्रतिनिधि हैं, 4-4 लाख के आप प्रीनिधि हैं,... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, वह तो ठीक नहीं होगा, बहुत खर्चा आएगा उसका। लेकिन कम से कम अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा या तो वह पाबन्दी लगा दी जाए कि सदन में लेकर प्रवेश ही नहीं करें। यह पाबन्दी लगा दी जाए, नहीं तो नियमों की पालना होनी चाहिए। रोज अखबारों में छपती है, इस प्रकार सदन की मजाक उड़ती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिए, आप लोगों को जो बुलेटिन भेजा हुआ है उसमें यह पाबन्दी लगी हुई है। उसके बावजूद भी यदि कोई उस बुलेटिन को नहीं मानता है तो फिर उसका तो क्या इलाज है, यही इलाज है कि जब्त किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, यस, यस, आप अध्यक्ष महोदय, थोड़ा थानेदार का रूप भी धारण करें। आप थानेदार का रूप धारण करेंगे और जब्ती करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की पालना होनी चाहिए। आप जो कछ भी कहती हैं उसकी पालना होती नहीं है, इसलिये आप सोच-समझकर बोला करें। आसन का मामला ऐसा ही है। आप जो भी आदेश दें, उसकी पालना तुरन्त होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सबसे पहले तो उल्लंघन आप ही करते हैं।

श्री सी.डी.देवल : आसन के आदेश की पालना कर ही नहीं रहा है सत्ता पक्ष तो।

श्री अध्यक्ष : सारी बात हो गयी। (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप थानेदार का रूप धारण करें। (व्यवधान) आप स्पीकर हैं, ये थानेदार की बात कर रहे हैं, यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : (2) जी हां। सक्षम अधिकारियों को तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(3)जिन दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी पाया जाता है उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। गत एक वर्ष में एक अधिकारी को दोषी पाया गया जिसके विरूद्ध 17 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही कर एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया गया है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि नेशनल हाई-वे नम्बर 8, जो कि देश की एक तरह से रीढ़ की हडडी है सड़क आवागमन के लिये, जब हम यहां से जयपुर से दिल्ली के लिऐ जाते हैं तो जहां राजस्थान की सीमा खतम होती है उससे पहले इस तरफ यहां तक स्थिति है, मकान और दुकान इस तरह से बने हुए हैं कि कारखानों के ट्रेक्टरों की मरम्मत भी हो रही है तो पेवर रोड पर होती है और जब हम हरियाणा में घुसते हैं तो आप देखते हैं, इतनी दूरी पर दुकान और मकान बने हुए हैं, जबकि नेशनल हाई-वे की पॉलिसी केन्द्र सरकार की एक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जो अतिक्रमण किये हुए हैं और सीमा निर्धारक से नजदीक बने हुए हैं, उनके खिलाफ आप कब तक कार्यवाही कराएंगे?

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि जो हाई-वेज के बराबर में लोग दुकान बनाते हैं वह सड़कों से ऊंची बना लेते हैं और पानी के आने-जाने के रास्ते को रोक देते हैं जिससे पेवर रोड़ पर पानी जमा होता रहता है और हर साल सड़क क्षतिग्रस्त होती है, सरकार को पैसा लगाना होता है, इसके लिये क्या कदम उठाने जा रहे हैं कि आगे जाने वाले समय में जो हमारे स्टेट हाई-वे और नेशनल हाई-वे हैं वे सुरक्षित रहें ? कभी, कल को इनका एक्सटेंशन करने की जरूरत पड़े या चौड़ा करने की जरूरत पड़े, एक्सप्रेस हाई-वे बनाने की जरूरत पड़े तो यह तकलीफ नहीं आए कि कहीं फैक्ट्रियां बनी पड़ी है, कहीं मकान बने पड़े हैं, कहीं दुकान बने पड़े हैं,। इसके ऊपर क्या ठोस कदम उठाने का आप विचार रखते हैं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा स्वाभाविक है और हम सब लोग भी उसमें शरीक हैं। विभाग ने प्रयत्न किये हैं, पिछले 3 सालों में इस प्रकारके जो भी अवैध निर्माण हुए हैं, वैसे कुल अभी हमारे पास 4904 प्रकरण हैं, अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही में हैं। पिछले साल भी हमने 7516 प्रकरण इस तरह के जो अतिक्रमण हुए थे, उनको हमने धवस्त किया, निपटाया। यह पिछले 3 साल का रिकार्ड मैं आपको दे रहा हूं। कोर्ट के स्टे के कारण से जरूर 246 केस अभी भी पैंडिंग रखे हैं। वैसे जो गाइडलाइन्स जारी की हैं उन गाइडलाइन्स को हम जारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो एक्कीजीशन है की सीमा है, वह कम है। जमीन की एक्वीजीशन की सीमा नेशनल हाई-वे की 45 मीटर है, स्टेट हाई-वे की 30 मीटर की है और जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी 20 मीटर की है। इसमें से जो एक्कीजीशन हमने कर लिया, कई तो ऐसे हैं जो म्यूटेशन ही हमारे नाम से नहीं खुले, हमने अपनी कार्यवाही भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रारम्भ की। म्यूटेशन हमारे नाम से नहीं खुलने के कारण से भी सारे राज्य में ऐसे कई मामले हैं जिनमें हम कार्यवाही करने में समर्थ नहीं हुए। मैं निश्चित आपकी इस बात से सहमत हूं, जो भी हमारी गाइड-लाइन्स हैं और जो जमीन हमारे पास है, जो कन्ट्रोल लाइन हमारी नेशनल हाई-वे की 80 मीटर की है, 40 मीटर दोनों तरफ और डेढ़ सौ मीटर तक की जो हमारी अन्तिम बाउण्ड्री लाइन है 75 इधर और 75 उधर, उसको भी करने की बारबार कोशिश हो रही है। लेकिन यह तो मैं नहीं कह सकता हूं कि कही है ही नहीं अतिक्रमण। अतिक्रमण हैं, अतिक्रमण की कार्यवाही भी हम करते हैं और कहीं-कहीं हमारे अधिकारियों से अगर कहीं चूक हुई है तो हमने उनको आइडेंटीफाई करके उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने की कोशिश की। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, आपकी इस भावना का मैं ही नहीं, सारा सदन आपके साथ इस बात में है कि निश्चित रूप से इसकी कोई न कोई सख्त कार्यवाही होनी चाहिए ताकि सड़कों पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनको हम प्रभावी ढंग से रोक सकें। आप चाहें तो मैं हर-एक जिले के अनुसार कहां कितने अतिक्रमण हैं और उस पर हमारे विभाग ने क्या कार्यवाही की, वह भी मेरे साथ लेकर आया हूं। जो गाइडलाइन्स हमको जारी की गयी है उस गाइडलाइन के तहत भी है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अभी हमने फिर सर्कुलर जारी किया है और एक महीने का समय दिया है सारा हमारे अधिकारियों को कि वह जहां भी अतिक्रमण हों, उनके बारे में विभाग की जानकारी में लाकर 91 की कार्यवाही करके वह तुरन्त उसको धवस्त करने के लिये, क्योंकि हमारे ए.ईएन. इसके लिए अधिकृत हैं और उनको यह पावर है, लेकिन फिर भी जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है उसको हम को पूरा करना होता है और उसके बाद ही हम इसको तोड़ सकते हैं।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि सैट बैक...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा नाम पुकार लिया।

श्री जुबेर खान : मेरा क्वेश्चन है, एक का तो हक है मुझे पूछने का।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता को पूछ लेने दीजिए।

श्री जुबेर खान : 2.5 मीटर जो सैट बैक छोड़ना चाहिए, जो आपके कानून में प्रावधान हे, वह ठीक तरह लागू हो, मेरा एक सुझाव है कि जिस तरह से दिल्ली में

(श्री जुबेर खान)

पुलिस के थाने इंचार्ज को यह जिम्मेदारी दी हुई है कि आपके इलाके में कोई नियम विरूद्ध अतिक्रमण नहीं होगा, आप भी इस तरीके से स्थानीय पटवारी या स्थानीय थानेदार को, यह जिम्मेदारी दे देंगे तो मैं मानता हूं कि आपका अतिक्रमण रूक पाएगा, क्योंकि आपके पी.डब्ल्यू.डी. में तो जे.ईएन. और ए.ईएन. जब तक पहुंचते हैं, दुकानें और मकान बनकर तैयार हो जाते हैं तो आप यह व्यवस्था कर सकते हैं, स्थानीय पटवारी या स्थानीय थानेदार की जिम्मेदारी लगा सकते हैं कि हाई-वेज पर अगर कोई इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उनकी जिम्मेदारी होगी और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ऐसे निर्देश आप जारी कर सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछ सकता हूं, आपकी इजाजत हो तो।

श्री अध्यक्ष : उनका जवाब आने दीजिए, फिर पूछियेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने अपने उत्तर में यह कहा कि...

श्री रामसिंह विश्नोई : यह जवाब दे रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : उनका नाम पुकार लिया ।

श्री रामसिंह विश्नोई : प्रद्युम्न सिंह जी तो अभी आपकी इजाजत से पूछ रहे थे, आपने कहा जवाब आने दीजिए उसके बाद।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, नाम पुकार लिया था मैंने राजेन्द्र राठौड़ का ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने अपने उत्तर में यह कहा कि आपके पास इस वक्त 4904 प्रकरण अवैध निर्माण के लम्बित हैं और 5416 को आपने धवस्त कर दिया और आपने दोषी पाया है सिर्फ एक कर्मचारी को और वह भी आपने उसको नोटिस दिया है। 17 सी.सी.ए. में। क्या अवैध निर्माण जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं, चन्दवाजी से निकल जाओ ठेठ गुड़गांव तक, कुकरमुत्ते की तरह अवैध निर्माण हो रहा है और कई बार एक्सीडेंट भी इनके कारण से होते हैं जिसके कारण से कई जानें जाती हैं। एक तरफ आप फोर लेन को सिक्स लेन में बदलने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
सरकार निष्क्रिय रहे। आप जैसे सक्षम मंत्री ने यह विभाग सम्भाला हे तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों के रहते हुए यह अतिक्रमण हुआ उनके खिलाफ आप क्या सख्त कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं, नम्बर-एक ?

नम्बर-दो, आपने कहा म्यूटेशन नहीं खुला, मैं समझता हूं कि म्यूटेशन खोलने का काम भी सरकार का और जमीन के एक्विजीशन का काम भी सरकार का क्या आप सदन को आश्वस्त कर सकते हैं कि एक निश्चित समयावधि में म्यूटेशन खोलने का काम पूरा हो जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह (व्यवधान) प्रद्युम्न सिंह जी का भी प्रश्न आ जाने दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, मेरी समझ में यह 91 की कार्यवाही इफैक्टिव नहीं है, आप इसके लिये कोई नया कानून या 91 के संग कोई नया सब-सैक्शन जोड़कर जब तक इसको स्ट्रिंजेंट नहीं बनाएंगे, मंत्री महोदय, इसकी वजह से जो कस्बों में होकर, खास तौर से छोटे गांवों में होकर सड़कें निकल रही हैं, उन पर अतिक्रमण होते जा रहे हैं। इतना कंजेशन हो जाता है कि कई दफा आपको बाई पास बनाने की सोचना पड़ती है। उसमें खर्चा ज्यादा लगता है। इसलिए जब तक इस सैक्शन के अन्दर इस तरह के एन्क्रोचमैंट करने वालों पर आप स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं लेंगे, इस समस्या का निदान होने वाला नहीं है । क्या मेरे इस सुझाव के ऊपर सरकार विचार करने को तैयार है? इसके लिए कड़ा सैक्शन इन्सर्ट करेंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह । पहले इनको पूछ लेने दीजिए। आप पूछ लिजिए बाद में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह बोलें या मैं बोलूं ?

श्री अध्यक्ष : हां आपको क्वेश्चन आएगा आगे।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों के अन्दर जो पक्की सड़कें बनी हुई हैं, उनकी आपने चौड़ाई बताई है, 20 मीटर। मैं आपको ठीक

(श्री रामसिंह विश्नोई)

कहता हूं कि गांव में अगर दो ट्रैक्टर आ जाते हैं, दो बैलगाड़ी आ जाती है तो वो निकल नहीं सकती है। क्योंकि पक्की सड़क के ऊपर लोगों ने अपने ढाणी, महान बना रखे हैं मकान के आगे चबूतरी, चबूतरी के उपर बरामदा, बरामदा के बाद फिर चबूतरी, इस तरह पूरे प्रदेश के अन्दर बनी हुई चाहे हाई-वे हो या चाहे नेशनल हाई-वे हो जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया, हाई-वे राज मार्ग हो या स्टेट हाई-वे हो, परमिशन से ही सड़क के ऊपर दुकान या मकान बनने चाहिए। मेरे ख्याल से जो बड़-बड़े होटल बने हुए हैं उनको अगर परमिशन देते हैं टैक्स के रूप में उसका करते हैं तो गवर्नमैंट की भी आमदनी हो जाएगी और इन पैसों से आपके काम की भी काफी सहूलियत हो जाएगी। क्या आप ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एट ए टाइम वन । (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 91 की कार्यवाही होने के बाद भी बारबार एन्क्रोचमैंट व अतिक्रमी करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : 91 की कार्यवही के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण करता है तो क्या होगा?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 91 की कार्यवाही होने के बाद भी वही अतिक्रमी बारबार अतिक्रमण करता है तो क्या मंत्री महोदय, उसके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही करेंगे ? 91 की कार्यवाही के बाद वही व्यक्ति बारबार एन्क्रोचमैंट करता है, उसके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं हो रही है, क्या मंत्री महोदय, उसके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही करेंगे ? (व्यवधान)

श्री टीकमचंद कान्त (सिवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों और कस्बों के बीच में से निकलने वाली सड़कों पर लोगों के घरों का पानी आता है, होटलों का पानी डाला जाता है, फलस्वरूप सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं। उन लोगों पर जुर्माना करेंगे या उन से रकम लेकर उन सब सड़कों को वापस ठीक किया जाएगा ? ऐसा प्रावधान किया जा सकता हे क्या ?

श्री अध्यक्ष : इतने प्रश्न पूछ लिये हैं, अब क्या पूछ रहे हैं आप?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीं महोदय यह बताऐंगे कि स्टेट हाई वे के मापदंड से पुलिया का निर्माण करवाया जाएगा? जैसे परबतसर में चार पुलिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, स्टेट हाई वे के मापदंड से पुलिया निर्माण कराई जाए।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है।

महत्वपूर्ण प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जवाब तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : जितने अवैध निर्माण का मामला है, बहुत महत्वपुर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, जितने प्रश्न पूछे गये हैं, उनका जवाब दे दीजिए

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जवाब दे दूं। पहले एक बार पूरा इन सवालों का जवाब दे देने दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दे दीजिए।

श्री श्रवण कुमार : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप फिर दुबार पूछ लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दीजिए।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत जानना चाहूंगा। एक ही प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे कभी टाइम ही नहीं देते हो। आपके माध्यम से, मेरी बात को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जब आप बैठे-बैठै ही आसन का काम करने लग जातें हैं तब सारी मुश्किल पैदा हो जाती है।

श्री अर्जुन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनका जवाब तो आने दीजिए, जो प्रश्न पूछे गये हैं उनका (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : इसके साथ ही जा जाएगा। कभी टाइम नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गये हैं उनका जवाब तो आ जाने दीजिए।

श्री अर्जुन सिंह : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृपया बांसवाड़ा से दाहोद जाने वाला रोड़ बी.ओ.टी. से बना हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। मैंने आपको प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दी है, आप विराजिये। पहले जितने भी प्रश्न पूछे गये हैं उनका जवाब आने दीजिए।

श्री अर्जुन सिंह : तो कब देंगे ? अध्यक्ष महोदय, कभी टाइम नहीं देते पीछे वालों को (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले इनका जवाब आने दीजिए आप।

श्री अर्जुन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले चार रोज से कभी भी कोई समय नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान) हमारे पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पीछे बैठे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें, जवाब आने दीजिए।

श्री अर्जुन सिंह : एक पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : फिर पूछ लीजिए। यह जवाब दे दें, उसके बाद पूछ लीजिए आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आबादी क्षेत्र में और गैर आबादी क्षेत्र में जो सड़क की चौड़ाई है, वह अलग-अलग स्थान ऊपर अलग-अलग है। राष्ट्रीय राज मार्ग अगर आबादी के बीच में से निकल रहा है तो 30 मीटर उसकी होगी और गैर आबादी में है तो 45 मीटर है। राज मार्ग में भी आबादी में 30 मीटर है और गैर आबादी में 45 मीटर है। मुख्य जिला सड़क 30 मीटर आबादी में है और 25 मीटर गैर आबादी में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है। अन्य जो सड़कें हैं जिले की या गांव की, जिले की जो अन्य सड़कें हैं उसमें 15 मीटर आबादी क्षेत्र में और 15 ही मीटर गैर आबादी क्षेत्र में है1 ग्रामीण सड़कें हैं तो उसकी आबादी क्षेत्र में 10 मीटर है और गैर आबादी क्षेत्र में 12 मीटर है। यह इस सड़क की एक जो पॉलिसी बनी है उसके तहत चौड़ाई है और उसके तहत हम लोग अपनी कार्यवाही कर सकते हैं। इसमें से अधिकांश सड़कें तो ऐसी है जिनका कोई एक्वीजीशन हुआ ही नहीं है। जो पुराने जमाने की सड़कें बनी हुई हैं उनमें कोई एक्वीजीशन नहीं है। हमने गांव के लोगों से मिल जुलकर जो सड़क की लाइन मार्क कर दी, उसी के आधार पर वह लाइन मार्क हुई है। उसके कारण से वहां पर कई प्रकार के विवाद खड़े होते हैं क्योंकि हमारा कोई राइट ही उस जमीन पर नहीं है। जब हम कार्यवाही करते हैं, वे जो म्यूटेशन ही नहीं खुले अधिकांश सड़कें जो इस तरह की है जिस पर हमने एक्वीजीशन किया नहीं, पैसा दिया नहीं, सहानुभूति में या गांव के विकास की दृष्टि से उन्होंने जमीन सरेण्डर कर दी और हमने सड़क निकाल दी। ऐसी अधिकांश सड़कें हैं, उसके कारण से यह समस्या आती है।

माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि कार्यवाही को प्रभावी करने के लिए कोई तरीका निकाला जाए। निश्चित रूप से 75 के बाद में ए.ईएन. को 91 की कार्यवाही करने का अधिकार तो है, लेकिन जब तक पुलिस का सहयोग नहीं मिले और जब तक तहसील का सहयोग नहीं मिले वह उस कार्यवाही को प्रभावी रूप से नहीं कर सकता है। इसलिए एक कमेटी जिला कलेक्टर की देख-रेख में बने जिसमें पुलिस के लोग भी हों, हमारे डिपार्टमेंट के भी हों और इनकी मिली-जुली कमेटी इस कार्यवाही को प्रभावी ढंग से कैसे कर सके, उसके लिए निश्चित रूप से कमेटी बनाकर अधिकृत करने का प्रयास करूंगा ताकि इस कार्यवाही को गति मिले।

जहां तक चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का सवाल था, यह बात सच है कि इतने बड़े लम्बे-चौड़े प्रकरण और इतनी बड़ी संख्या में हमने केस को निपटाया भी सही, तोड़ा भी सही, लेकिन हमारे अधिकारी का दोष केवल एक व्यक्ति का आया। वह इस कारण से आया था क्योंकि सूचना देने के बाद भी, उसको बताने के बाद भी उसके उस अतिक्रमण को छुपाने की कोशिश की। इसके कारण से वह सीधा उसका दोषी बना और उस पर कार्यवाही हुई। लेकिन यह सच है कि निश्चित रूप से विभाग का जो भी अधिकारी वहां रहता है, उसकी यह ड्यूटी है कि काम प्रारम्भ होते ही उसको अपनी कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए उसमें उसकी कमी रहती है या जाने-अनजाने गलती

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रहती है, मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से इसमें जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण से वहां इस प्रकार के अतिक्रमण हुए, प्रारम्भ होते ही जिन्होंने नहीं रोका उनको मैं चिह्नित करने का प्रयास करूंगा। कितने हो पाऐंगे, यह तो मैं नहीं कह सकता, पर निश्चित रूप सें जिन लोगों की गलती के कारण से अतिक्रमण हुए हैं, उनको चिह्नित करते निश्चित रूप से उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करूंगा।

श्री अर्जुन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामसिंहजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सड़क बनती है वह एज पर स्पेसिफिकेशन बनती है।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : स्पेसिफिकेशन के बाद कुछ सालों से यह व्यवस्था है..

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से सड़क की लम्बाई बोर्ड पर अंकित रहती है, उसी तरह से क्या 45 मीटर, 25 मीटर, आबादी में...(व्यवधान)... चौड़ाई अंकित की जाएगी?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने परमिशन के लिए कहा था। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : गैर आबादी का यह आंकड़ा भी सड़क के बोर्ड पर अंकित किया जाएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय आपने परमिशन दी थी।

श्री श्रवण कुमार : क्या मंत्री महोदय, सीकर से लुहारू ...(व्यवधान) बाइ पास है, केवल मात्र कांग्रेस सरकार...(व्यवधान) बराबर चुनाव के अन्दर...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, परबतसर से मकराना, मकराना से खाटू, नागौर जब जाते हैं...(व्यवधान) तो कम से कम 15 मीटर चौड़ी सड़क नहीं है। इतने अतिक्रमण हैं कि दांयें-बायें चलना पड़ता है। परबतसर से मकराना, नागौर खाटू सड़क मार्ग पर जितने भी अतिक्रमण हैं, कई जगह सात मीटर भी सड़क नहीं है और कई जगह तो सात फीट चौड़ी सड़क नहीं है, कहीं इतने गड्ढ़े हैं कि वहां गाड़ी नहीं निकल सकती, उस सड़क को चौड़ी करने के लिये प्रयास करें।

श्री श्रवण कुमार : उसका बाइ-पास बना हुआ है केवल मात्र कांग्रेस सरकार को... (व्यवधान) उनको चिड़ावा से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट कवेश्चन पुकार लिया है, राजसिंह विश्नाई।

श्री श्रवण कुमार : 39 करोड़ रूपयों का मामला है, आपने कवेश्चन पुकार लिया। मैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई, प्रश्न संख्या 41.

श्री श्रवण कुमार : मानसनीय अध्यक्ष महोदय, कितनी महत्वपूर्ण बात है। 39 करोड़ रूपयों की सड़क का बी.ओ.टी. द्वारा निर्माण सीकर से लोहारू किया जा रहा है जिसका चिड़ावा के अंदर से पासिंग कर दिया।

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। माननीय सदस्य. मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लेने के बाद बात समाप्त हो जाती है। अलग प्रश्न पुकार लिया है।...(व्यवधान) अंकित न हो।

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री सी.डी.देवल : XXX

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप नैक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिये।

क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

41. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार गत 20 वर्षों से निर्मित सड़के जो अत्यधिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) : जी हां सड़क की मरम्मत का कार्य निरन्तर प्रक्रिया में है। यह कार्य प्रति वर्ष बरसात के बाद अभियान के रूप में किया जाता है। इस वर्ष भी इस कार्य हेतु आवंटित राशि के अनुसार साधारण मरम्मत के कार्य करीब करीब करवाये जा चुके हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूछने का औचित्य यह था कि पिछले वर्ष सरकार ने राजस्थान के अंदर प्रत्येक विधान सभा में पेवर रोड़ जो बहुत लम्बे समय से क्षतिग्रस्त थीं, माननीय विधायकों की अनुशंसा पर 130 किलोमीटर सड़कों का पेवर रोड़ के रूप में निर्माण करवाया। जो बाकी बची हुई रोड़े हैं और 25-30 साल से जो क्षतिग्रस्त हैं, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं, जिन पर वाहन चल नहीं सकते, क्या अपने हिसाब से डिपार्टमेंट से, अन्य स्रोतों से या जो भी साधन आपको उपलब्ध हो सकें प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जो अब शेष रही सड़कें हैं, उनका पेवर रोड के रूप में निमार्ण कराने का आपका विचार है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो सड़कें हमारे राज्य सरकार के अधीन हैं...

श्री श्रवण कुमार : मेरा भी इससे सम्बन्धित प्रश्न है ? मेरा वाला भी जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष : क्या प्रश्न है ? खतम हो गया न।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसमें एड कर लेना। मामला सार्वजनिक निर्माण विभाग का है। मंत्री भी वही है, जवाब भी वहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सारे राजस्थान की बात है आप एक निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहे हैं पूरे राजस्थान की बात है, जवाब आने दीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के जिम्में जिन सड़कों की रिपेयरिंग का काम है उसमें राज्य मार्ग हैं 8,466 किलोमीटर जिला मुख्य सड़कें हैं 6, 037 किलोमीटर जिला सड़कें हैं 12, 501 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कें है 35, 021 किलोमीटर कुल-मिलाकर 62,025 किलोमीटर हैं। इनकें से पिछली बार जो अभियान चला था दो साल का, 120 किलोमीटर प्रति विधायकों को, जो नाबार्ड से लोन लेकर किया था, लगभग 24 हजार किलोमीटर सड़कों का रिकारपेंटिंग उससे हुआ था। केन्द्र सरकार का जो पैसा सी.आर.एफ. का आता है वह और हमारा जो राज्य बजट मिलता है इससे भी इन तीनों तरीकों से हम रिपेयरिंग का काम करते हैं। अभी इस समय हमारे पास 16 हजार किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिनकी रिपेयरिंग जिस अवधि में होनी चाहिये उस अवधि में नहीं हो पायी, क्योंकि हमारे यहां जो राज्य मार्ग हैं, 6 से लेकर 8 साल में एक बार उसका रीकारपेंटिंग वापस होना हमारे नियमों के तहत है। जिला सड़कें हैं उनको 8 से लेकर 10 साल के बीच में होना है और ग्रामीण सड़कें 12 साल के रोटेशन में उनका रिपेयरिंग होना है। इस दृष्टि से आज की तारीख में 16 हजार किलोमीटर सड़कों का हमको पेबर करना है। लेकिन राज्य सरकार को जो सी.आर.एफ. का पैसा मिलता है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। पिछली बार वाला जो था वह किया लेकिन स्टेट प्लान से और जो गवर्नमेंट की तरफ से नान-प्लान का पैसा हमको मिलता है वह हमारी आवश्यकता से बहुत कम मिलता है। 2000-2001 में हमने मांगा था 415 करोड़ उसके अगेंस्ट में मिला हमको 78 करोड़। उस 78 करोड़ के अगेंस्ट में भी पैसा हमको रिलीज हुआ मात्र 63 करोड़। जहां हमने मांगा 415 करोड़ उसके अगेंस्ट में मिला 63 करोड़। 2001-02 में 426 करोड़ मांगा 45 करोड़ हमको आवंटन हुआ, वास्तव में हमको मिला मात्र 33 करोड़। इसी तरह से 2002-03 में 403 मांगा, 50 करोड़ रूपया हमारे लिये आवंटित हुआ और उसके अगेंस्ट 43 करोड़ ही उपलब्ध हो पाया। इसी तरह से 2003-04 का यह जो वर्ष इसमें हमको आबंटन 50 करोड़ हुआ, उसमें से भी हमको जो मिला वह 25 करोड़ रूपया मिला था। जितनी हमारी आवश्यकता है उसकी तुलना में हमको पैसा बहुत कम मिलता है और इस कारण से जो रैगुलर रिपेयरिंग का काम है वह नहीं हो सकता है। केवल हमने इतना काम किया है कि जो बहुत खड्डे थे उनकी पूर्ति किसी तरह से की है इस बार। इसके अतिरिक्त हम उनको रिकारपेट नहीं कर पाये क्योंकि हमारे पास धन उपलब्ध नहीं था। हमने कोशिश की है, यह जो गोल्डन टोकन था, जिसके कारण से हमारा कुछ पैसा सी.आर.एफ. में रूका हुआ था वह हमको रिलीज हो गया, लगभग 100 करोड़ रूपया हमको अतिरिक्त मिला है, इससे भी हम कुछ इसकी पूर्ति कर पाऐंगे। बाकी 16,000 में से जो बचेंगी, उसको फेज मैनर में ही कर पाएंगे जैसा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
आपका सोच था, प्रयास करेंगे कि उसी तरह से नाबार्ड में फिर जाकर अगर हमको पैसा उपलब्ध हो जाएगा तो बची हुई रोडों का भी हम रिकारपेट निश्चित रूप से कराने की मंशा रखते हैं और कराएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। पहला अधिकार प्रश्नकर्ता का है उसके बाद आपका समय भी आएगा आपको दूंगी समय।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे को भी मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आपको भी दे देंगे। बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह राजस्थान का मामला है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि यह जो आप मरम्मत के कार्य डिपार्टमेंट से करवाते हैं, वे मरम्मत के कार्य कागजों में होतें हैं, वे सड़क पर नहीं होते हैं, इसलिए मैंने आपसे यह निवेदन किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह समय आपका था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलने दीजिये। माननीय सदस्य, बोलने दीजिये उन्हें।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमने हमारे कार्यकाल में राठौड़ साहब, पेवर रोडें बनायी हैं।

श्री अध्यक्ष : राठौड़ साहब, वह अपने राज की पोल खोलते हैं तो आपको क्या आपत्ति है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर ठीक है। यह ठीक है, अपने राज की पोल खुद ही खोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो आपको क्या दिक्कत है इस बात में ? बोलने दीजिये उन्हें

आप क्यों बीच में बोल रहे हैं ? बोलने दीजिए उन्हें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, यह गलती हो गयी, खोलो साहब पोल।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, गलती तो हमेशा आपकी होती रहती है। आप बिना किसी गलती के काम करते भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा था. यह जो सड़कों को पेवर रोड का मामला है, पिछले चार-पाँच सालों में पेवर रोड का काम पूरे प्रदेश के अंदर जब से शुरू हुआ है इससे सड़कों की हालत बहुत सुधरी है। पहले राजस्थान के अंदर सड़कों की हालत बहुत खराब थी। सात-आठ वर्ष आपका भी शासन रहा, फिर बाद में सड़कों की खराब हालत देखकर हमने पेवर रोड का निर्णय किया और काफी पेवर रोडें बनीं। मरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप मरम्मत को छोड़कर, जो कागजों में होती है, आप चाहे लाखों-करोड़ों रूपये लगा दीजिये, मरम्मत के नाम पर और मरम्मत होती रहती है और कागजों में होती है वहां पर मौके पर काम होता नहीं। तो क्या आप जो बची हुई सड़कें हैं, ज्यादा क्षतिग्रस्त है, जिनको बनाये हुए 15-20 साल हो गये, जो चलने लायक नहीं हैं, उनकी आप रिपोर्ट मंगाकर अगर पेवर रोड के रूप में बनाने का निर्णय लें, जितना आपके पास बजट है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी दिल्ली के अंदर अप्रोच है, उसका उपयोग करके जितना आप कर सकते हैं, पेवर रोड बनाने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी ये जानना चाहता हूं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने श्री महावीरजी का नाम पुकारा है। बैठिये, स्थान ग्रहण करिये।

महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामसिंहजी विश्नोई ने कहा यह जो रिकारपेटिंग का काम हाथ में लिया है और जो मरम्मत का काम है, उस मरम्मत के काम में कागजों में कार्यवाही होती है, जैसा आपका अनुभव है बताया है आपको अनुभव आया है कि चाहे कारपेंटिंग का काम हो, चाहे रिपेयर का काम हो, उन सब में कागजों में ज्यादा काम हुआ है। अभी आपको अनुभव में आया है कि एक पूरी की पूरी लेयर गायब और एम. बी. भर दी गयी लेकिन वहां पर काम ही नहीं हुआ। तो गारंटी पीरियड में यह जो कारपेटिंग का काम हुआ है, क्या आप विचार रखते हैं कि राजस्थान में टैस्ट केस के रूप में हर जिले में उसकी जांच करवाएँगे ? आपके यहां पर इसकी गुणवत्ता के लिए भी अधिकारी मौजूद हैं, आपके यहां पर एक्स.ईएन. ए.ईएन.,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
जे.ई.एन. और चीफ इंजीनियर सारे लोग मौजूद हैं, क्या आप यह विचार रखते है कि जिम्मेदारी फिक्स करें ? जब आप सड़क पर निकलें और कहीं पर इस प्रकार की काई गड़बड़ मिले तो क्या जिम्मेदार व्यक्तियों को आप जिम्मेदार बना कर उनको कोई सज़ा देने का प्रावधान करेंगे ?

श्री सभापति : श्री श्रवण कुमारजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो इन्होंने चुनाव की दृष्टि से कुछ किया होगा। जहो सकता है, इनके कोई तालमेल होगा। आप सब जानते हैं कि आपसे कोई तालमेल रह नहीं सकता। इसलिए हर व्यक्ति को जिम्मेदार बनाने की दृष्टि से आप क्या कार्यवाही का विचार करेंगे ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : आपका लोक सभा में तालमेल चालू हो गया न अभी इनसे।

श्री श्रवण कुमार : मुश्किल से नाम पुकारा है, अब यह खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारा तो टौंक में आपसे तालमेल है, आपने जो ठेका ले रखा है उससे तालमेल है।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर से लुहारू बी.ओ.टी. के द्वारा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है चिड़ावा से बाई पास सड़क बनी हुई है परन्तु उन्होंने बी.ओ.टी. को चिड़ावा के अन्दर से लिया है जबकि चिड़ावा में 30 फुट से ज्यादा रोड चौड़ी नहीं है, कंजेस्ट प्लेस है। हम चाहते हैं कि बी.ओ.टी. वाले, जब बाई पास बनी हुई सड़क है, केवल एक मात्र खेच में वहां स्टे दिया हुआ था, मैंने स्टे को खतम करवा दिया, केवल छोटा सा काम है म्यूटेशन का वह करवा कर सरकार कम से कम 45 करोड़ रूपये का यूज करे, नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से मूल बात पूछना चाहता हूं। महावीरजी ने कहा लेयर नहीं हुई है, लेयर हो गयी है। 1952 से जब प्रजातंत्र की प्रणाली लागू हुई तब

(श्री श्रवण कुमार)
से इस पी.डब्ल्यू.डी. में 30 परसेंट फिक्स लगा हुआ है और सब को मालूम है कि फिक्स लेते हैं। यह 30 परसेंट फिक्स खतम करने की इच्छा रखते हैं तो सड़कें ठीक हो जाएंगी वरना चाहे आप कहो चाहे मैं कहू, जब तक यह 30 परसेंट फिक्स पी.डब्ल्यू.डी. का खतम नहीं करेंगे, सरकार क्या मंशा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये, भाषण नहीं। माननीय सदस्य, इन्होंने हाथ उठा रखा है।

श्री श्रवण कुमार : मैंने तो यह पूछा है कि जो महावीर जी ने कहा न कि सड़कों की लेयर खतम है, मैं चाहता हू कि सरकार अगर यह मंशा रखती है (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जो ग्रामीण सड़कें और जिला सड़कें बनायी जाती हैं...

श्री अध्यक्ष : अब विराजिये आप...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : ये जो सड़कें हैं, उनको प्राथमिकता देंगे? मंत्री महोदय जहां देवस्थान है, जहां दो-दो लाख यात्री आते हैं- खुंडयास रामदेवजी का मन्दिर, हरनावा रानी बाईजी का मन्दिर, तेजाजी का मन्दिर, बालाजी का मन्दिर है, सड़कें कहीं तो बनी ही नहीं हैं और बहुत क्षतिग्रस्त हैं। दो-दो लाख यात्री पैदल जाते हैं। मंत्री महोदय, जहां दो-दो लाख यात्री पैदल जाते हैं क्या वहां अच्छी, पेवर सड़क बनाने का प्रयास करेंगे ? मंत्री महोदय, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि देवस्थान की सड़कों को...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं करें, आप प्रश्न पूछिये।

श्री राकेश मेघवाल : उन मन्दिरों की सड़कों को पहली प्राथमिकता दी जाए क्योंकि पैदल यात्री बहुत आते-जाते हैं उस सड़क पर और उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाह रहा था कि जो नयी सड़कें ग्रामीण और जिले की बन रही हैं, उनको ठेकेदारों द्वारा बनाया जा रहा है, एक दो साल में ही टूट जाती है, बिलकुल खतम हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें 12 साल में कारपेट की जाएंगी, जिला सड़कें 8-10 साल में कारपेट की जाएंगी...

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, प्रश्न करें। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : क्या मंत्री महोदय इन ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहते हैं ? वहीं ठेकेदार, जिनको पहले ठेका दिया जाता है, पुन: ठेका मिल जाता है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। जो सड़कें दो वर्ष में टूट जाती हैं उन सड़कों की...(व्यवधान)

श्री सी.डी.देवल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं क्या वह विभाग द्वारा स्वीकृत हैं ? और यदि स्वीकृत नहीं है तो वो कब तक हटेंगे ?... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके सबके प्रश्न कामन हैं माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये मंत्रीजी का ।

श्री सी.डी.देवल : अध्यक्ष महोदय, जो सड़कें बनती हैं वे गांव के लोगों की सुविधा के लिए बनती है...(व्यवधान) उस पर बड़े-बड़े पत्थर आ गये हैं।...(व्यवधान) इसलिये आप कृपा करें, या तो मुर्रम बना दें या डामरीकरण करवा दें।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रश्न भी हैं । समय समाप्त हो गया है।

श्री रामलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं वे क्या विभाग के द्वारा स्वीकृत हैं और यदि वह स्वीकृत नहीं हैं तो कब तक हट जाएंगे ? (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, पीछे के दो प्रश्न रह गये हैं, उनका क्या होगा?

समय समाप्त होने पर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कामन प्रश्न है सब का , जवाब आने दीजिये आप मंत्रीजी का।

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, आप हम लोगों को बोलने का समय ही नहीं देती हो फिर हम क्या करें ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कब से खड़ा हूं मैं।

श्री सी.डी.देवल : आप इधर देखती ही नहीं हैं, उधर ही देखती हैं। तीन दिन हो गये, हम तीन दिन से पूरक प्रश्न पूछते हैं और आप हम को समय नहीं देती हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अगर चारों तरफ से बोलेंगे तो...(भारी व्यवधान)...

श्री सी.डी.देवल : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन हो गये, आप हम को पूरक प्रश्न का समय नहीं देती हैं...(व्यवधान) क्या हम इस सदन के सदस्य नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो कामन है न, मेहरबानी करके आप जवाब आने दीजिये।

...(व्यवधान) आप जवाब क्यों नहीं आने दे रहे हैं?

श्री सी.डी.देवल. : या तो हम को कह दें हम सदन के सदस्य नहीं हैं, बाहर चलें जाएं। तीन दिन हो गये, अध्यक्ष महोदय, आप हम को मौका नहीं देतीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसे ही समय बिता देंगे, 12 बज जाएंगे। (व्यवधान) आप जवाब तो सुनना नहीं चाहते। या तो आप सब प्रश्न पूछ लीजिये और प्रश्नकाल समाप्त हो जाएगा, आपको जवाब सुनना है नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, यदि आपको मंत्रीजी का जवाब सुनना हे तो मैं उन्हें कहूं जवाब देने के लिए। लेकिन आपको जवाब नहीं सुनना है, आप लोगों को तो खुद को बोलना है। आप उनका जवाब सुनिये तो सही। कामन प्रश्न है यह तो आप उनका जवाब सुन लिजिये।

श्री सी.डी.देवल : हमारी भी समस्या है, अध्यक्ष महोदय।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी भी समस्या है।

श्री अध्यक्ष : सब की समस्या तो आ गयी, इसमें सबकी समस्या आ रही है। कॉमन प्रश्न है। (व्यवधान)

आप चाहते हैं कि चार मिनट तक आप बोलते रहें और प्रश्न का जवाब नहीं आए। मैं समझ गयी आप यही चाहते हैं।

श्री सी.डी. देवल : या तो मुर्रम बनाया जाए या डामरीकरण कराया जाए।

श्री अध्यक्ष : जिसको बोलना हो, बोलो। आपको जवाब तो सुनना ही नहीं है। जिसको बोलना है, बोलो, सब बोलिये आप। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : क्षेत्र में जो सड़कें बनी थीं वो घटिया किस्म की बनी हुई थीं, उनकी जांच तो कम से कम मंत्री महोदय कराएं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट दें।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : जो सड़कें बनायी गयी थी गत वर्ष में, बिलकुल घटिया किस्म की बनायी गयी थीं और हमने उनकी शिकायत भी की है, उनकी जांच तो करें। उनकी जांच एक महीने में हो जानी चाहिए।...(व्यवधान)...

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, आज की सूची में मेरा भी प्रश्न है। माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से मैं भी पूछना चाहता हूं। इसी प्रश्न में मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ है।

श्री गुलाब चन्द् कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मेरे सामने आये मैं दो मिनट में सारे जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल : मेरा भी एक प्रश्न है, मैं इसी में आपसे पूछ लेता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, 15-15 किलोमीटर हमारे विधान सभा की सड़क

श्री गुलाब चन्द कटारिया : विश्नोईजी ने कहा है, वह निश्चित रूप से हम पेवर ही बनाऐंगे, और किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे, जैस हमारे पास साधन उपलब्ध होगा। (व्यवधान)

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट। इसके साथ ही सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जवाब तो सुनिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक लेयर पूरी की पूरी गायब थी, बांसवाड़ा-दाहोद रोड की, हमने जांच करायी और एडीशनल चीफ से लेकर सात अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग में केस रजिस्टर कराया है। जहां तक बी.ओ.टी. का सवाल है, आप मेरे को डिटेल दें, मैं उसको देख कर कि क्या मैं कर सकता हूं, उसको करने की कोशिश करूंगा।... (व्यवधान)... एक मिनट, पहले बात तो हो जाने दो।

श्री अर्जुन सिंह : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का जवाब आ रहा है और अध्यक्ष महोदय एक मिनट यह क्या बात हुई ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि आपने जो 30 परसेंट कमीशन की बात कही, जितनी मेरी क्षमता है उसके अनुसार काम करूंगा और क्या रिजल्ट आएगा यह थोड़े दिन बाद पता लगेगा।

एक जो ठेकेदारों को काम देते हैं उसकी समय अवधि तय है । उसमें आपको लगता है कि कोई कमी रही, खराबी हुई तो निश्चित रूप से आप मेरे ध्यान में लाएं, मैं उसकी जांच करा कर निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा... पी.एम.जी. सड़क की पाँच साल की गारंटी है, आर.यू.पी. में तीन साल की गारंटी है।

श्री तगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और सी.आर.एफ. में जो रोड रिपेयरिंग है उसकी भी तीन साल की गारंटी है। इस पीरियड में अगर आपको कहीं लगता है कि इसमें कोई कमी रही है या इसमें गुणवत्ता में नहीं हुआ तो ठेकेदार जिम्मेदार हैं क्योंकि उसके कांट्रेक्ट में डाला हुआ है कि उसको इन सड़कों को पाँच और तीन साल मेन्टेन करना ही है। उनकी 10 परसेंट मनी हमारे पास डिपोजिट रहती है और यह पेमेंट तभी होता है जब वह गारंटी पीरियड निकल जाता है। उससे पहले तक पेमेंट ही नहीं होता है जो 10 परसेंट उनका पैसा हमारे पास डिपोजिट रहता है।

(12.00 बजे)

श्री अमरा राम (धोद) : 10 प्रतिशत का क्या होगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : समाप्त हो जाता है कोई देखने वाल ही नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्त व्यास : अध्यक्ष महोदय मैं भी मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप जानकारी दें, जहां भी कमी होगी उसके खिलाफ निश्चित कार्यवाही होगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : टौंक में सब जगह है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ । (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इन्फारमेशन।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपकी पार्टी के लोग ही खड़े होते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जो चुना हुआ प्रधान है मनोहर थाने का, उस पर यह आरोप लगाकर कि उसके तीन संतान हो गयी, अध्यक्ष महोदय, सन् 2002 में उसकी जांच हो गयी, कलेक्टर ने रिपोर्ट भेज दी, एस.डी.एम. ने रिपोर्ट भेज दी कि कोई बच्चा नहीं हुआ है...

श्री अध्यक्ष : क्या पाइंट आफ इन्फारमेशन दे रहे हैं आप । (व्यवधान)

आसन पावों पर है। आप तना उत्तेजित होकर बोल रहे हैं कि आपकी बात हमें समझ नहीं आ रही है। अंकित नहीं हो। माननीय सदस्यगण।

श्री हरिमोहन शर्मा : XXX

श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना) : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। नेता प्रतिपक्ष महोदय, अपने माननीय सदस्य को थोड़ा शांत करें। आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : XXX

श्री हरिमोहन शमा : XXX

श्री जगन्नाथ : XXX

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ इन्फारमेशन कभी इतना नहीं हुआ करता है।

श्री हरिमोहन शर्मा : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय हरिमोहन जी, स्थान ग्रहण कर लें आप।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : XXX

श्री अध्यक्ष : अब आप पूछ रहे हैं कि मैं कैसे बोला। बहुत अच्छे बोले आप। अंकित नहीं हुआ । (व्यवधान) डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कर लें आप। मुझे कुछ कहना है। मुझे सूचना देनी है माननीय सदस्यों को। सदन में मुझे कुछ सूचना देनी है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलदूं ?

श्री अध्यक्ष : नहीं पहले मैं सूचना दूंगी सदन को, उसके बाद बोलिएगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : XXX

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष इसका भी तरीका है। इतने उत्तेजित होकर बोले हैं माननीय सदस्य, हमें तो समझ में ही नहीं आया कि वे क्या बोल रहे हैं। (व्यवधान) नहीं नहीं अब नहीं बोलेंगे आप। नॉट एट ऑल (व्यवधान) माननीय सदस्यगण।

श्री रामनारायण मीणा : XXX

श्री जगन्नाथ : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माइक किसी और ने बन्द नहीं किये।

श्री रामनारायण मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। पहले आप स्थान ग्रहण करिये। मुझे अधिकार है, आसन को अधिकार है किसी का माइक बन्द करने का। (व्यवधान) आपका माइक खराब नहीं है। आपका माइक बिलकुल ठीक है। आप देखिए, आ रहा है या नहीं आ रहा है लेकिन मैंने बन्द किया है। आसन को अधिकार बन्द करने का। आसन जब अपनी बात कहना चाहता है।(व्यवधान) सुनिए आप शोर नहीं मचाएंगे, आप बोलेंगे नहीं, मेरी बात सुनिए पहले (व्यवधान) माननीय महीपाल यादव, विराज जाएं आप। अपना-अपना स्थान ग्रहण करिए।(व्यवधान) आसन पैरों पर है। पहले मुझे सुनेंगे आप उसके बाद मैं सुनूंगी आपको, लेकिन आप पहले मुझे सुनेंगे। आसन को यह अधिकार है कि जब आसन को नहीं सुना जाए, आसन पांवों पर हो माननीय सदस्य मानें नहीं, वे अपनी बात कहते रहें

आसन को यह अधिकार है कि आसन सबके माइक बंद करके अपना माइक ऑन करलें। यह आसन का अधिकार है (व्यवधान) आसन पांव पर, है।

श्री रामनारायण मीणा : आसन तो पूरे सदन में पचास प्रतिशत टाइम पांव पर ही रहता है।

डा एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय यह गलत है इसको सदन की कार्यवाही से निकालिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यदि आपको कोई पीड़ा थी...(व्यवधान) अब देखिए आप बोलेंगे नहीं, आप आसन को सुनेंगे (व्यवधान) पहले आसन को सुनिए आप। माननीय सदस्य, आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं, आप तो इस परम्परा को जानते हैं। मैं निवेदन कर रही थी कि आपको यदि कोई पीड़ा थी, कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी, पर्ची के माध्यम से आप उसे उठा सकते थे, मैं आपको मौका देती। लेकिन ऑन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन के आधार के ऊपर इतने उत्तेजित होकर मैं ईमानदारी से कह रही हूं कि मैंने कुछ नहीं सुना कि आप क्या बोले क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया। (व्यवधान) सुनिए। अब आप बीच में यूं मत बोलिए, देखिए यह बहुत गलत परम्परा होगी। आप इस तरह से सुनें नहीं अधीर हो जाएं, आसन को बात कम्प्लीट नहीं करने दें, इतने अधीर हो जाएं आप कि आप पूरी बात नहीं सुनें। आपको कोई पीड़ा थी, कोई बात थी, आप मुझसे चैम्बर में मिलते, मैं आपको कोई न कोई उसके बारे में तरीका बताती कि आप इस तरीके से अपनी बात को उठा लें। वह सब आपने नहीं किया।

पाइंट आफ इन्फार्मेशन के आधार के ऊपर बोले इतने उत्तेजित होकर कि सदन के किसी सदस्य को नहीं पता लगा कि आप क्या कहना चाह रहे थें (व्यवधान) फिर आप वहीं बात कह रहे हैं, आप मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। आखिर आप क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे। (व्यवधान) देखिए, सदन का पहला सत्र है, इस सत्र को यदि आप व्यवस्थित नहीं बनाकर रखेंगे और आप आसन की यूं अवहेलना करेंगे, उपेक्षा करेंगे, मैं समझती हूं आप कोई पहली बार जीतकर नहीं आए हैं। इसलिए जब आप पुराने सदस्य हैं तो आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि आप इस तरह का व्यवहार करें। आप मुझ से पूछते, मझे बताते कि हमें यह पीड़ा है, यह अन्याय हुआ हमारे साथ। मैं कोई न कोई आपको उसका रास्ता बताती कि आप इस रास्ते से, इस माध्यम से सदन में अपनी बात रखें।

मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करती हूं। कोई बात हो तो आप चैम्बर में आकर मुझसे मिलना, मैं आपको बताऊगी कि उसका क्या रास्ता हो सकता है। अब आप विराजें। (व्यवधान) माननीय श्रवण कुमार, मैं देख रहीं हूं दो-तीन दिन से कि आप बहुत अधिक लिबर्टी ले रहे है। मेरे जिले से आते हैं इसका मतलब यह नहीं है।

(प्रश्नकाल समाप्त)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :-

श्री अमराराम (धोद) सदस्य की और से राज्य में पैरा टीचर शिक्षा सहयोगी एवं शिक्षाकर्मियों को स्थायी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य नहीं है, अंत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य श्री अमराराम (धोद) को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

अभी नहीं, अभी मैं पहले पूरा पढ़ दूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1)श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की सड़कों की हालत बहुत खराब होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जीतमल खांट, सदस्य की ओर से जिला बांसवाड़ा के विभिन्न बैंकों द्वारा की जा रही जबरन वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में।

(3)श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से राज्य में विद्युत वितरण कम्पनीज द्वारा बी.सी.आर. के माध्यम से नाजायज वसूली रोकने के सम्बन्ध में।

(4)श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से खैरथल मण्डी में रैफरल अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में।

(5)श्री अशोक नवलखा, सदस्य की ओर से निम्बाहेड़ा के गम्भीरी बांध का पानी पेयजल हेतु सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में।

(6)श्री बद्रीलाल जाट, सदस्य की ओर से निम्बाहेड़ा के गम्भीरी बांध का पानी पेयजल हेतु सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में।

(7)श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से भेड़पालकों को अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में।

(8)श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य की ओर से तहसील भैंसरोडगढ़ के पंचायत मुख्यालय एकलिंगपुरा में सड़क निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

(9)श्री टीकमचन्द कान्त, सदस्य की ओर से सिवाना क्षेत्र के ग्रामों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री सुरेश मीणा, सदस्य की ओर से गंगापुर सिटी में ट्रक यूनियन के पास दिनांक 22 जनवरी, 2004 की रात अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ की गई मारपीट की घटना के सम्बन्ध में।

(11)श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देसूरी में व्याप्त पेयजल संकट के सम्बन्ध में।

(12)श्री कांती प्रसाद मीणा, सदस्य की ओर से थानागाजी से प्रतापगढ़ तथा अजबगढ़ तक की सड़कों का डामरीकरण करवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री अमराराम (धोद)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

डा एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं। नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने जब आप खड़ी थीं, आसन खड़ा था पावं पर उस समय एक टिप्पणी की थी कि आसन पचास प्रतिशत समय पावं पर खड़ा रहता है। यह उचित नहीं है टिप्पणी आसन पर इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए। इसको कार्यवाही से निकाला जाए। यह आक्षेप है इन्डाइरेक्टली।

श्री अध्यक्ष : वह संसद में रहकर आये हैं, वह कुछ भी कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के हम बारह सदस्यों ने राज्य में बी.पी.एल. सूची को लेकर जो एक आशंका बनी हुई है, एक स्थगन प्रस्ताव आपसे निवेदन किया था, हमें उस पर बोलने की इजाजत दी जाए। आपने रिजैक्ट किया है तो...

श्री अध्यक्ष : उसको तो रिजैक्ट कर दिया था न कल।

श्री संयम लोढ़ा : तो हमें बोलने की अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जो बात कल हो गयी उसे आज नहीं दी जा सकती।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी प्रधान मंत्रीजी से मिलकर आई हैं, हमारी उम्मीद थी कि कल अभिभाषण पर वह इस बात के सम्बन्ध में खुलासा करती, लेकिन उन्होंने इसके बारे में अभिभाषण में कोई खुलासा नहीं किया। आज पूरे सदन में चिन्ता व्याप्त है कि इसके बारे में क्या रहा है। केन्द्र सरकार क्या कर रही है, पूरा सदन और राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है, माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने अमराराम का नाम पुकार लिया है। (व्यवधान) मैंने अमराराम का नाम पुकार लिया है।

श्री संयम लोढ़ा : हमें भी बोलने की इजाजत दीजिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक मिनट में अपनी बात कहना चाहते हैं तो इनको कहने दीजिए। जब स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य ने दिया है और वह अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप एक मिनट उन्हें कह लेने दिजिए। इसमें उत्तेजित होने की क्या बात है, राजस्थान के गरीब लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है...(व्यवधान) बी.पी.एल. परिवार के लोगों का सवाल है। माननीय सदस्य को अलाउ किया जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का जवाब मंत्री जी ने दे दिया था ...(व्यवधान) आपने जो मुद्दा उठाया है उसका जवाब मन्त्री जी ने दे दिया था।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं दिया था, यह कहा था...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : आप सदन का समय क्यों खराब कर रहे हो?

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री से मिलकर आयी हैं और प्रधान मंत्री से क्या बात हुई, उससे सदन को अवगत कराया जाए। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल में सारी पेंशन बंद कर दी थी ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : बात पांच साल की नहीं है, बात गरीब ज़नता की है। (व्यवधान) बी.पी.एल. परिवार के लोगों की।

एक माननीय सदस्य : सदन का समय क्यों खराब कर रहे हो, लोढ़ाजी, कल मंत्री ने जवाब दिया है आपको।(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अब गरीब जनता की इनको याद आ गयी । पांच साल में कितने...(व्यवधान) राजस्थान में, वह रिकार्ड है...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : संयम लोढ़ा, सदन का समय क्यों खराब कर रहे हो, कल मंत्री ने जवाब दिया है आपको। (व्यवधान) बिलकुल जवाब दिया है। बार-बार सदन का समय नहीं खराब करें।(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों का मसला है...(व्यवधान)
देखिए आप अपने क्षेत्र में जाऐंगे तो जनता आपको बख्शेगी नहीं। आप गरीब जनता की बात को कहने दीजिए। (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीलाल : आज आपको चिन्ता हो गयी बी.पी.एल. वालों की, कल तक नहीं थी।(व्यवधान) जब यहां बैठे थे तब तो चिन्ता नहीं की आपने बी.पी.एल. वालों की । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वृद्धावस्था पेंशन बन्द क्यों की? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : (व्यवधान) कांग्रेस के पूरे पांच साल हो गये...(व्यवधान) और आज आपको डेढ़ महीने में चिंता हो गयी ।

श्री अध्यक्ष : क्या आप पैरा टीचर के बारे में कोई उनकी बात नहीं सुनना चाहते?

श्री नंदलाल बंशीलाल : बड़ी चिन्ता हो रही है आपको गरीब की बैठ जाओं।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। कि जहां राजस्थान मं शिक्षा का स्तर, शिक्षा और सा्रक्षरता को बढ़ाने में राजस्थान में (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपको आज चिन्ता हो रही है गरीब की। आज चिन्ता हो रही है गरीब की । आसन ने व्यवस्था दे दी, आप आसन का सम्मान नहीं करते... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : देश के अन्य प्रान्तों से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में..

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एक महीने में दिमाग आउट हो गया आप लोगों का।आज बड़ी चिन्ता हो रही है...(व्यवधान) पांच साल क्या किया आपने...(व्यवधान) तबादला दौर चलाएं, पेंशन बंद कर दी। बी.पी.एल. लोगों को दवाइयां दी जाती हैं उनकों बंद कर दिया...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले दिन का रिकार्ड आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि पाँच साल में कितनी इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी ? जब, माननीय, आप वहां बैठी थीं तब बार-बार हमने इनसे सवाल पूछा था, राजस्थान के गरीबों के साथ अन्याय किया पांच साल में...(व्यवधान) व्यवस्था न तो कण्ट्रोल की और आज आपको डेढ़ महीने बाद ही यह सब कुछ याद आ गया... (व्यवधान) पहले ही फिक्र हो गयी आपको। बड़ी ज्यादा फिक्र हो रही है आपको। आपने बताओ, किसकी पेंशन बंद नहीं की...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : चिन्ता लग रही है। बैठ जाओ न आप लोग। अब आपके ...(व्यवधान) अब तक पांच साल बोले नहीं आप लोग...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय अमरारामजी के अलावा किसी अन्य सदस्य का कहा हुआ कोई शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा : XXX

श्री अशोक बैरवा : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान में शिक्षा...(व्यवधान) देश के अन्य राज्यों से सबसे...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अमरारामजी, बोलिये आप। (व्यवधान)

(श्री संयम लोढ़ा व श्री अशोक बैरवा द्वारा बहिर्गमन)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा तब जब हाउस आर्डर में हो...

श्री अध्यक्ष : हां, करिये-करिये। आप करिये, जाइये।

श्री अमराराम (धोद) : क्योंकि मेरे दल से तो मैं अकेला हूं। मैं बाकी की तरह हल्ला करूंगा तो अकेला हूं...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : एक सैकण्ड आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं। स्थगन प्रस्तावों के बारे में हमेशा सदन की यह परम्परा रही है कि आपकी व्यवस्था के बाद...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह स्थगन प्रस्ताव पर ही तो बोल रहे हैं..

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, मैं आपसे कोई निवेदन कर रहा हूं, आप सुनने की कृपा करें। स्थगन प्रस्तावों पर...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इनका तो आना चाहिये। इनका स्थगन प्रस्ताव जाए तब तो बोलने दो और बाकी का आए तब नहीं बोलने दो। आप संख्या में हैं इसलिये ? यह क्या बात है ? मैं मेरी पार्टी से अकेला हूं इसलिये नहीं बोलेंगे, बाकी जिनका बहुमत होगा वह हल्ला करके बोलेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बोल लेना। धोद से आने वाले माननीय सदस्य हम आपके लिये नहीं कह रहे हैं।

श्री अमराराम(धोद) : बोलें तो मेरे बाद में। मेरे बाद में बोलें, कहां दिक्कत है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री रामनारायण : XXX

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री जालम सिंह : XXX

डा. बुलाकीदास कल्ला : बहिर्गमन किया है...(व्यवधान) मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी व्यवस्था करने के बाद भी सदस्य अपने स्थगन प्रस्तावों के बारे में जानकारी हमेशा लेते रहे हैं। 13 माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता जाहिर की कि 21 लाख बी.पी.एल. कार्डधारकों की जगह केवल 13.4 लाख रह गये। आप प्रधान मंत्री जी से इस सम्बन्ध में क बात करके आयीं, इसके बारे में वह जानकारी चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते है। आज गरीब लोगों का जो हित बी.पी.एल. कार्डों से हो सकता है वह इससे अहित हो रहा है, इन्हीं कारणों से माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखना चाही। हमेशा ही सदन में...(व्यवधान) स्थगन प्रस्तावों को रिजैक्ट करते हैं तो स्थगन प्रस्तावों को स्थगित करने के बाद दो मिनट का समय देना है, आप अमराराम जी के बाद में दो मिनट का समय दे देना।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : आज थोड़े ही है...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष, आज नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर अपनी राय देना चाहूंगा। कल्ला साहब तो ज्ञानी आदमी हैं, आप भी परम्पराओं को जानते हैं, सदन में इस सत्र में जिस विषय पर एक बार चर्चा हो जाती है और राज्य सरकार की और से उसका जवाब भी आ जाता है उसके बाद में....

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या आ गया ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बैद ने बी.पी.एल. का मामला यहां उठाया, मैंने मुख्य मंत्री की तरफ से यहां पर जवाब दिया और मैंने साफ-साफ कहा कि भारत सरकार का जो प्रस्ताव आया था हमने उसको स्वीकार नहीं किया है। प्रधान मंत्रीजी से हमारी माननीय मुख्य मंत्री ने वार्ता कर ली है, हम कोशिश कर रहे हैं। 21 लाख जो इस समय गरीबी रेखा से नीचे हैं चार साल में जो अकाल के कारण से संख्या और बढ़ गयी है उनका पुनर्निर्धारण करा कर इस हिसाब से हम कार्यवाही कर रहे हैं और सदन को आश्वस्त किया कि किसी भी कीमत पर हम इसको नहीं होने देंगे। यह बात हमने कही है। उसके बावजूद भी आज इसको दुबारा उठाने का कोई कारण नहीं है इतना ही मैं कहना चाहता हूं..,

डा. बुलाकीदास कल्ला : नये मुद्दे उठाएंगे वह। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं यह सदन की परम्परा है दूसरी बात अभी यहां प्रजातन्त्र की हत्या की बात कर रहे थे। ''जब तारीफ हो रही थी गजरे के फूलों की तो खामोश बैठे रहे, और जब जख्में जिगर हमने दिखाया तो बुरा मान गये'' सैंकड़ों प्रधानों को संस्पेंड कर दिया, म्युनिसपैलिटी के मैम्बर को सस्पैंड कर दिया, उस दिन लोकतन्त्र की हत्या नहीं हुई और आज इनको लोकतन्त्र की हत्या याद आ गयी...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, देखिए, यह क्या हो रहा है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री अशोक बैरवा : XXX

श्री रामनारायण : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री माननीय श्री अमरारामजी कीजिए।

श्री बद्रीलाल जाट : XXX

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री अध्यक्ष : मानीनीय अमरारामजी का अंकित होगा।

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

पैरा टीचर , शिक्षाकर्मी, शिक्षा सहयोगी इत्यादि की सेवा शर्तों एवं वेतन भत्तों में समानता

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ऐसी समस्या की और से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, आपने जो इजाजत दी है।

राजस्थान इस देश के अन्य प्रान्तों से शिक्षा और साक्षरता में बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछले सालों से दूरस्थ गोवों में और उन वर्गों को जहां शिक्षा का बहुत कम प्रसार है, बहुत सी योजनाए- शिक्षाकर्मी, डी.पी.ई.पी. एवं अनेक माध्यमों से हजारों शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर और शिक्षा सहयोगी राजस्थान में शिक्षा और साक्षरता को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और उसी का नतीजा है कि राजस्थान में शिक्षा और साक्षरता में एक बढ़ता हुआ कदम और माहौल बनता जा रहा है लेकिन इन तमाम पैरा टीचर शिक्षा सहयोगी और शिक्षाकर्मी का वेतन इतना अल्प है कि पूरे राजस्थान में बहुत ही गुस्से से आन्दोलनरत हैं एक डेढ़ साल से लगातार प्रयासरत हैं।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पैरा टीचर और शिक्षा सहयोगी हैं उनके जो मानदेय तय किये हुए हैं, उनका मानदेय हर साल के बाद दो सौ रूपया बढ़ाना है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है । वही पैराटीचर्स हैं, उन्हीं अहर्ताओं के अनुसार आये हैं, वही

(श्री अमराराम)
पाठशालाओं में लगाया है, उनके तो वह लागू हो गया और जो मदरसा में पढ़ा रहे हैं, डी.पी.ई.पी. में हैं उनके वह आदेश लागू नहीं है। यह क्या हुआ कि एक तरफ उसी मदरसा के अंदर एक शिक्षा कर्मी जो आपके बोर्ड से आया है उसको तो सब लग रहा है और दूसरी तरफ उसी मदरसा के अंदर पढ़ा रहे हैं उनको वह बेनिफिट नहीं मिल रहा है ?

एक तो सबसे बुरी बात यह है कि राजस्थान में वहीं काम पैरा टीचर्स और शिक्षा सहयोगी के रूप में शिक्षाकर्मी कर रहे हैं उस पर वह लागू नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला मेरा निवेदन आपके माध्यम से यह है कि उन्हीं के जो नियम लागू हैं, उनके जो भत्ते हैं उसके लिए आप आज ही घोषणा करें कि उनके समान ही भत्ता मिलेगा।

दूसरा, जहां तक उनको स्थाई करने की बात है, क्यों नहीं किया जाए जब वोट की आपको आवश्यकता थी, पूर्ववर्ती सरकार ने उन्हें ब्लफ दे दिया कि आपकी थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में नियुक्ति कर दी जाएगी, ऐसा डिफेक्टिव कि किसी भी शिक्षक की तृतीय श्रेणी वेतन श्रंखला में सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पैरा टीचर्स और शिक्षा सहयोगियों का आरक्षण होगा। मैं समझता हूं कि ऐसा आदेश डिफक्टिव इसी मंशा से निकाला गया है कि किसी भी पैरा टीचर और शिक्षा सहयोगी की थर्ड ग्रेड वेतन श्रंखला में नियुक्ति नहीं हो, केवल माहौल बने। आज परिवर्तन यात्रा की बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है, और अभी धन्यवाद यात्रा भी शुरू होगी, लेकिन उस पैरा टीचर के साथ में वहीं व्यवहार यह सरकार भी कर रही है। वह आदेश जिसको समीक्षा के बाद में गलत मानते हैं , यह सरकार पूर्ववति सरकार के आदेश को निरस्त कर जितने भी योग्य हैं, मैं नहीं कहता कि आठवीं और दसवीं पास को लगा दिया उसको भी थर्ड ग्रेड में नियुक्ति दे दी जाए, यह राजस्थान है जिसमें अनट्रेड को शिक्षक के रूप में नियुक्तियां मिली हैं। अगर आप नहीं चाहते तो जो शिक्षित और ट्रेंड हैं, जिन्होनें ट्रेनिंग ली है चार साल की आप जब भी बी.एड., एस.टी.सी. कराएंगे तो उसमें तो मैंन किया है मुश्किल से 20 लैसन होंगे, ये चार साल से लैसन दे रहें हैं, आप उनके प्राइमारी स्कूल में क्रमोन्नत कर रहे हैं। वह पढ़कर पास हो गये और उनको बी.एड., एस.टी.सी. करने का अधिकार भी नहीं है। जो पाठशालाओं में हैं उनको राइट है ओर जो मदरसा में हैं, डी.पी.ई.पी. में लगें हुए हैं उनको बी.एस.टी.सी., एस.टी.सी. करने का ही अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि वह जो पढ़कर आती हैं, बी.एस.टी.सी. और एस.टी.सी. में या बी.एड. में उससे ज्यादा प्रशिक्षण तो उन्होंने ले लिया और पढ़ा दिया। उनके पढ़ाये हुए लड़के चौथी और पांचवी में पास हो रहे हैं। इसलिए एक तो मेरा निवेदन है कि यह समानता की जाए। एक

(श्री अमराराम)

सरकार ने उनसे जो वायदे किये थे पूरे राज़स्थान में चुनाव के दौरान, पूर्ववर्ती सरकार ने ब्लफ दिया है, वह नहीं देकर जो ट्रेंड है कम से कम उन्हें दें, बाकी को क्वालिफिकेशन प्राप्त करने और उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद कीजिये, लेकिन उनकी नियुक्ति शीघ्र ही करें। इनका राजस्थान में आज भत्ता मिनिमम वेज है उससे नीचे है, उसमें कोई शिक्षित नहीं होगा। ऐसी जगह पर लोग लगे हुए हैं जो बहुत दूर ढाणियों में गरीब लोग हैं। राजीव गांधी पाठशालाओं में किसी भी खाते-पीते न किसान का जाता है, कर्मचारी का जाता है। यहां हम 200 जो बैठे हैं, जिनको चुनकर भेजा है, उनके भी बच्चे उस स्थान की उन राजीव गांधी पाठशालाओं में नहीं जाते हैं। गरीब का जाता है, उसके साथ यह खिलवाड़ नहीं करें कि वह आंदोलन करते हुए सड़कों पर घूमते रहें और उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो। इसलिए सरकार तुरन्त उनके समान जो भते हैं उनकी घेषणा करे, उनको सब अधिकार दे और स्थायी करने का निश्चित रूप से विचार करके नये आदेश निकालकर उनको स्थायी करने का काम करे। मैं आपके माध्यम से यही बात कहते हुए आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो धोद से आने वाले माननीय सदस्य से यही निवेदन करूंगा कि पूर्व वित्त मंत्री जी पास में ही बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उनसे पूछ तो लें कि यह काहे के लिए रखी हैं। हमेशा खिलाफत की है, लेकिन किस कारण से की है इनको थोड़ा पूछना। इनको थोड़ी ज्यादा जानकारी है वित्त के मामले में।

श्री अमराराम (धोद) : इनको तो मिल गया। आप भी इधर आना चाहते हो?

ऐसा ही करोगे तो आपको भी इधर ही भेज देगें।

श्री नरपत सिंह राजवी : यह इधर-उधर की बात नहीं है, सैद्धांतिक बात है, इसलिए पूछ लेना। आपको जानकारी ज्यादा हो जाएगी तो यह प्रश्न उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री, आप कुछ कहना चाहेंगे?...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राजवीजी, पूरी जानकारी है और राजस्थान के ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर मामले पर श्री अमरारामजी ने ध्यानाकर्षित किया है। यह सही है, मैं स्वीकार करता हूं कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विसंगतियां हैं। शिक्षाकर्मी हैं, शिक्षा सहयोगी हैं, पैरा टीचर्स हैं, एक जगह जाते हैं उनको दूसरे भत्ते मिलते हैं, एक तरफ जाते हैं उनको दूसरा भत्ता मिलता है। शिक्षा कर्मियों को वरिष्ठ शिक्षा कर्मियों में कुछ समय बाद में क्रमोन्नत करना था, उनके वेतनमान बराबर करने थे, वह सारा नहीं किया गया है। मैं इसको नहीं मानता हूं कि किसी भी सरकार ने किस कारण से धोखा देने के लिए किया होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि सारे मामले न्यायालयों में विचाराधीन पड़े हैं। जब तक इसमें नयी प्रक्रिया तय नहीं होगी तब तक भर्ती की प्रक्रिया भी प्रारम्भ नहीं हो सकेगी। मैं माननीय अमराराम जी के सुझाव का भी स्वागत करता हूं और मैं जानता हूं कि सारे पैरा टीचर्स आठवी, दसवीं पास नहीं हैं, उनमें बी.एड.ट्रेण्ड टीचर्स भी हैं जो पढ़ाने की योग्यता भी रखते हैं सब तरीके के लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यही आश्वस्त करता हूं कि शीघ्र ही राज्य सरकार एक तो जो विसंगतियां हैं उनको दूर करके सबको समान रूप से भत्ता मिले इसकी व्यवस्था करेगी। नम्बर दो जो न्यायालयों में मामले विचाराधीन हैं उनके बारे में इस समय कुछ कह नहीं सकती। लेकिन इस प्रकार का कोई रास्ता जरूर निकालेंगे ताकि शिक्षा के अनुभव का लाभ मिल सके और जो ट्रेंड टीचर्स नहीं हैं उनको ट्रेनिंग का लाभ दिया जा सकें और एक इस प्रकार की भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सके जिसमें केवल मार्क्स का ही आधार नहीं हो ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां के जो स्कूल हैं बी.एड. के उनमें जो पढ़ाई होती है और उनमें जो मार्किंग होती है वह थोड़ी हाई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में वार्तालाप नहीं करें, सुनें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बाहर के स्कूलों में 80-80, 90-90 प्रतिशत नम्बर ले आते हैं, राजस्थान के जो बाहर के हैं, तो उससे बड़ी विसंगतियां पैदा होती है। इन सारी चीजों का अध्ययन करके भर्ती की निश्चित प्रक्रिया प्रारम्भ करें। जो आपने मुददे उठाये हैं उनसे मैं सहमत हूं, राज्य सरकार शीघ्र इस पर निर्णय करेगी और इन सब समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। मैं यही आश्वस्त कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसमें 1998 के चयनित शिक्षक रह गये हैं, इनके बारे में कुछ कह दें तो ठीक रहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, 1998 के चयनित अध्यापकों के बारे में बताऊं उसमें तीन मामलों में फैसला हुआ। एक ता उनके बोनस अंक को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बोनस अंक को छोड़कर जो अपने यहां का था, बाकी चार प्रकार के बोनस अंकों को समाप्त कर दिया और कह दिया, इसके बाद जो प्रायोरिटी है उसके आधार पर नियुक्तियां दे दी जाएं। उसमें 125 से अधिक लोगों को नियुक्तियां दे दी गयी है। उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका विचाराधीन हुई है और अंतिम फैसला जो हुआ, शंभुदयालजी की रिट याचिका में, उसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया कि 18.11.1999 के पश्चात जिन लोगों ने भी आवेदन किया है उनको नहीं सुना जाए और इसके बाद इसकी वरियता को नहीं खोला जाए। यह मामला विचाराधीन न्यायिक प्रक्रिया में है। कुछ लोगों की राय है कि आप उनका चयन कर सकते हैं कुछ लोगों की राय है कि न्यायालय के फैसले के बाद में इनका चयन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस सम्बन्ध मं महाधिवक्ता से और ला डिपार्टमेंट से राय मांगी है कि इस सम्बन्ध में में राय दें। वह राय आने के बाद में हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि जो भर्ती की प्रक्रिया आगे होने वाली है,उन प्रकियाओं में क्योंकि 1998 के चयनित थे और आज उनको चार-पांच वर्ष इस न्यायिक प्रक्रिया में निकल गये हैं, यदि न्यायिक प्रक्रिया में किसी कारण से उनको लेने की पाबन्दी आयी तो मैं इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि उनको जो चार-पाँच वर्ष का समय लगा है, ओवरएज इस कारण से हुए हैं उसमें छूट देकर उनको भी भर्ती कि प्रक्रिया में शामिल कर सकें इस सम्बन्ध में राज्य सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी। इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक जानकारी देना चाहता हूं। मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्लैरिफिकेशन, दो-तीन तरह के शिक्षकों के मापदंड हैं। शिक्षा कर्मी योजनाओं में अलग तरह की शिक्षक भर्ती होती है पैरा टीचर्स के साथ ही एक शिक्षा कर्मी भी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां बोला मैंने ।

डा. एन. एस. गुर्जर : शिक्षाकर्मियों की भी कुछ मांगें हैं और जिस तरह से बोनस अंक की आप बात कर रहे हैं, मेरे समय में भी..

श्री अध्यक्ष : बोनस अंक हैं तो 1998 के चयनित के बोनस अंक...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चयनित के लिए कहा है वह तो।

डा. एन. एस. गुर्जर : वही मैं बता रहा हूं। उसी बारे में बोल रहा हूं। आप सुने तो सही, क्लेरिफिकेशन। मेरे समय भी हमने इसको दो-तीन तरह के बोनस अंक दिये थे एक तो जो बाहर से बी.एड करके आते हैं, बिहार, यू.पी.और दूसरे प्रदेशो से आते हैं, कई फर्जी सर्टिफिकेट भी लाते हैं और यहां भर्ती हो जाते हैं और हमारे यहां के लड़कों को बाई-पास कर देते हैं। एक रूरल एरिया में रहने वाला बच्चा शहर में रहने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता है क्योंकि वह कान्वेंट स्कूल में पढ़कर जाता है और वह जाकर भर्ती होता है। भर्ती होने के तुरत बाद वह कहता है कि मुझे शहर के नजदीक अपाइंटमेंट दें। तो हमने उस समय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हमारी अपनी सरकार, उस समय नियम निकाला था कि जो ट्राइबल एरिया में भर्ती होगा उसको इतने साल तक नहीं आना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : आपको कोई इन्फोरमेशन सीक करनी है तो ठीक है, आप तो भाषण दे रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : इन्फोर्मेशन सीक कह रहा हूं कि हमारे साथ पर बोनस अंकों का मामला कोर्ट में गया था लेकिन सरकार जीती थी उस समय 1998 के बाद हमने बोनस अंक खूब दिये, पाँच साल तक देते रहे और वह भर्ती हुई। उसके बाद ऐसी क्या परिस्थिति हो गई, सरकार की तरफ से क्या कमजोर पक्ष रखा गया कोर्ट के सामने, पक्ष मजबूती से क्यों नहीं रखा गया जिसके कारण से सरकार को हारना पडा ? हमने इस मामले में लगातार 5 साल तक बोनस अंक देकर भर्ती कि प्रक्रिया जारी रखी और भर्ती किये। उस समय की बात बता रहा हूं 1998 की सरकार इस सम्बन्ध में आपके पास जो टेलेंटेड वकील है, महाधिवक्ता की राय में, हाई कोर्ट में कई टेलेंटेड वकील हैं जिन्होंने इस केस को डील किया, उनसे राय लेकर इसको वापस लागू करिए ताकि राजस्थान के लड़कों के साथ न्याय हो सके, नम्बर वन। नम्बर टू, पैरा टीचर्स की कैटेगिरी में दूसरे शिक्षक भी आ रहे हैं, उनको भी क्या इसमें आप सम्मिलित करेंगे ? नम्बर थ्री, दो परिस्थितियों और पैदा हो गई हैं जिनका आपने जिक्र तो किया है लेकिन डिटेल में नहीं बताया, एक तो जो लगातार अनुभव पढ़ाने का उन लोगों ने ले लिया, लेकिन वह ट्रेंड नहीं है, किसी की योग्यता नहीं है, इसमें आपको अनुदान मिलता है, जो अलग-अलग शिक्षा बनी हुई है, उनके बारे में एक वृहत् नीति बनाएं सबको बैठाकर।

श्री भंवर सिंह डांगावास (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, एक तो बात यह हो गई कि आपके सामने जरूर हम लोग नहीं बैठे हैं, हम तिरछे बैठे हैं, हाथ खड़ा करते हैं, आप उधर हल्ला करते हैं उनको सुनते हैं, हमें नहीं सुनते। खैर, माफी चाहता हू। मैं आपसे अनुमति मांगता हूं बोलने की।

नागौर जिले में संविदा अध्यापक लेने प्रारम्भ किये जिला परिषद ने बीच में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। जब हाई कोर्ट स्टे वेकेट हुआ तो इस सरकार ने स्टे दे दिया। सिम्पल, सीधा- सा प्रश्न कि क्या मंत्री महोदय, उन बचे हुए संविद अध्यापकों को जो आपने रोक लगा रखी है, वह रोक हटाकर भर्ती करने का आदेश देंगे? (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : (व्यवधान) जो भर्ती कर ली गई है, भर्ती करने के लिए सीधी प्रक्रिया है, माननीय सैक्रेटरी साहब के द्वारा स्टे लगाया गया है। आपसे निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ जिले में भी संविदा अध्यापकों की भर्ती तुरन्त करवाई जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से इतना-सा जानना चाहता हूं कि पैरा टीचस्र की जो बात हुई, इसमें उर्दू शिक्षाकर्मी और जो मदरसा पैरा टीचर लगे हैं उनको भी राजीव गांधी पाठशालाओं के पैरा टीचर्स के समान, बराबर सुविधा मुहैया कराने का विचार रखते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, स्थगन प्रस्ताव पर मंत्रीजी के पास कोई सूचना थी वह उन्होंने दे दी। अब इसको हर व्यक्ति प्रश्न के जरिये पूछे, यह उचित नहीं है। लेकिन मदरसा टीचर्स के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं ?(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं दो बात बता देना चाहता हूं।

श्री भंवर सिंह डांगावास : बोलने की अनुमति दी है, तब पूछा है। अनुमति दी गई है आउट। मुझे अकेले को नहीं, सबको अनुमति दी है, आपने

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, हां।

श्री अध्यक्ष : जरूरी नहीं है कि सब प्रश्नों का जवाब मंत्री जी दें।

श्री भंवर सिंह डांगावास : हां, दे नहीं दें इनकी मर्जी है।,

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो बात बिलकुल साफ बता देना चाहता हूं, माननीय नाथूसिंहजी, माहिर आजाद जी और माननीय डंगावास साहब ने जो बात कही है, यह बात सही है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि कैसी पैरवी हुई और कैसी पैरवी नहीं हुई। न्यायालय का आदेश है जो आज एग्जिस्ट कर रहा है। उस न्यायालय के आदेश के बारे में महाधिवक्ता को कह दिया है, वह राय करके इसमें करेंगे। मैं इस बात से सहमत हूं कि पैरा टीचर्स है, शिक्षाकर्मी हैं, मदरसा बोर्ड में जो काम करने वाले हैं, उनमें विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है।

माननीय डांगावास साहब ने संविदा टीचर्स का मामला उठाया , वह भी राज्य सरकार के विचाराधीन है, कुछ जगहों पर हो गया 3-4 स्थानों पर उसको रोक दिया गया। ये सारे मामले हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे संविदा टीचर्स हो, 1998 के चयनित हों, पैरा टीचर्स हों, शिक्षा कर्मी हो, सारे मामलों में जो सारी गुत्थी उलझी हुई है, शिक्षा जगत में व्याप्त इस गुत्थी को दूर करके, सबको समायोजित करते हुए एक ऐसी नीति बनाई जाएगी जिसमं किसी को तकलीफ न हो और मैं कोशिश करूंगा...(व्यवधान)

श्री भंवर सिंह डांगावास : धन्यवाद, मंत्री महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी, आप विशेष उल्लेख का प्रस्ताव पढेंगे।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र की खस्ता-हाल सड़कें

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है। मेरा मुण्डावर कस्बा सब डिवीजन हैडक्वार्टर होने के पश्चात भी यहां की सारी सड़कें टूटी हुई हैं। ये सड़कें जब तक सी.सी. की नहीं होगी और इनके साइड में नाली नहीं बनेगी, इस कस्बें की समस्या ठीक नहीं हो सकती। इसी प्रकार बीजवाद चौहान कस्बे का हाल भी इतना खस्ता है कि लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। इसी प्रकार सोडावास कस्बें में भी हाल बहुत खराब है। इन सड़कों पर भी जब तक सी.सी. रोड़ नहीं बनेंगी तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। शाहजहांपुर से बड़ौदा वाया जाट बहरोड़ सड़क भी बुरी तरह से टूटी हुई है और खड्डे पड़े हुए हैं। यह सम्पर्क सड़क है और इस क्षेत्र की जनता को अलवर-जयपुर -

(श्री धर्मपाल चौधरी)

देहली को जोड़ती है और काफी ट्रेफिक इस सड़क पर चलता है। पिछली कांग्रेस सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ भेदभाव किया, अब आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की इन समस्याओं का समाधान करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल खांट

बांसवाड़ा में अकाल की स्थिति के मद्देनजर बैंको की ऋण वसूली पर रोक

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत निवेदन हे कि जिला बांसवाड़ा सम्पूर्ण जनजातीय बहुल क्षेत्र है। पिछले चार वर्षों के अकाल ने यहां के जनजीवन पर प्रतिकूल असर डाला है। यहां की जनता रोजगार के अभाव में पलायन करती रही है। येन-केन अपना पशुधन व स्वयं जिंदा रहने के लिए यहां का किसान जूझता रहा है। जिले में खरीफ की फसल में टिड्डी की बीमारी आ जाने से मोटे अनाज की फसलें भी चौपट हो गई हैं। इन परिस्थितियों के बावजूद भी किसान अपने पशुधन को बचाने का प्रयास करता आ रहा है। अभी हाल हुए विधान सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाने से जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी के पराजित नेताओं ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए जिले के सम्बन्धित बैंक अधिकारियों को जबरन ऋण वसूलने के लिए पाबन्द किया है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न बैंकों के अधिकारी जिले में सख्ती से ऋण वसूलने की कार्यवाही कर रहे हैं एवं प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हारने से अब भारतीय जनता पार्टी व जनता दल के विधायकों द्वारा ऋण वसूलने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

अत: मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि तथा कथित कांग्रेस के राजनेताओं के दबाव में आकर बैंक अधिकारियों द्वारा जबरन ऋण वसूली को तत्काल रोका जाए। आगामी फसल निकलने तक ऋण वसूलीरोकी जाए एवं किसानों को राहत पहुंचाई जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद) ।

राज्य में विद्युत कम्पनियों द्वारा वी. सी. आर. के नाम से अनाप-शनाप वसूली

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापती महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रकिया नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि राज्य में विद्युत कम्पनियों द्वारा किसानों एवं आम उपभोक्ता को सी.सी.आर. के नाम से अपने टार्गेट पूरे करने के नाम से एवं कमीशन के लालच में नाजायज चार्जेज लगाये जा रहे हैं जो किसी भी दृष्टि से

(श्री अमराराम)

न्यायोचित नहीं हैं। (12.47 बजे) (श्री राजेन्द्र राठौड़ सभापति पदासीन) सेवा के एक किसन जिसका 15 एच पी का कृषि कनेक्शन है, उस पर एक लाख एक हजार की वी.सी.आर. चार्जेज लगाए गए हैं जबकि 15 एच.पी. की मोटर कृषि कार्य में बिना कनेक्शन चलाता हुआ पकड़ा जाए तो चार्जेज 30 हजार रूपये होंगे। इससे यह आभास होता है कि वितरण कम्पनियां जान बूझकर चोरी करवाना चाहती है। इसी तरह बेरोजगार युवकों द्वारा स्वरोजगार योजना में बेल्डिग का केवल मात्र 4 किलोवाट का लोड कनेक्शन, दांतारामगढ़ के नौजवान की वी.सी.आर. एक लाख तीन हजार तीन सौ की भरी गई है। नर्सरी कृषि कनेक्शन, चारा चोरी स्पेशल कृषि में दो वर्ष पूर्ण होने के बाद भी सामान्य में नहीं बदला जा रहा है जबकि नर्सरी योजना शुरू की गई तब काफी वर्षों तक तत्कालीन सरकार ने दो वर्ष बाद सामान्य कृषि कनेक्शन में बदला था तथा होर्स पावर चार्जेज भी बिलों में समायोजित किये थे। लेकिन आज सामान्य श्रेणी में नहीं बदलना किसानों की लूट है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वी.सी.आर. की नाजायज वसूली बंद की जाए तथा सभी विशेष कृषि कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित किया जाए तथा फसल पकने तक बकाया के नाम पर किसी भी किसान का ट्रांसफर नहीं रोका जाए तथा किसी भी किसान का कनेक्शन नहीं काटा जाए। नहीं काटने का तो आपने आदेश दे दिया, मंत्री महोदय लेकिन उसके बाद भी श्री सभापति : माननीय सदस्य, 295 में जो व्यवस्था है, सिर्फ लिखा हुआ ही पढ़े। (व्यवधान) माननीय जयराम जाटव। (अनुपस्थित) श्री अशोक कुमार नवलखा। (अनुपस्थित) श्री बद्रीलाल जाट।

चित्तौड़गढ़ में फर्जी रसीद के सेल्स टैक्स व रॉयल्टी वसूली के दोषी कर्मचारियो पर कार्यवाही

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ में फर्जी रसीदों के माध्यम से सेल्स टैक्स एवं रायल्टी की राशी में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ जिले में मार्बल एवं अन्य पत्थरों पर खनिज विभाग द्वारा सेल्स टैक्स एवं रायल्टी के रूप में जो राशि एकत्रित की गई है वह फर्जी रसीदों के माध्यम से एकत्रित की गई है जिसकी जानकारी जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ के सामने आने पर उन्होंने एफ.आइ.आर. दर्ज करवाई, जिस पर आज तक भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण विभाग को एक करोड़ रूपये

(श्री बद्रीलाल जाट)

की हानि हो गई। अत: मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि फर्जी रसीदों के माध्यम से राशि एकत्रित करने वाले लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने का श्रम करें।

श्री सभापति : श्री खुशवीर सिंह।

भेड़ पालकों को सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस

श्री खुशवीर सिंह (खारची) : सभापति महोदय, भेड़पालकों को अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस (कारतूसी बंदूक) दिये जाने के औचित्य के सन्दर्भ में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मात्र अपना लिखा हुआ पढ़े।

श्री खुशवीर सिंह : पश्चिमी राजस्थान में निरन्तर अनावृष्टि एवं सूखे के कारण अधिकांश पशुपालक अपने पशुओं को जीवित रखने के लिए जिले व प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं हरियाणा में अपने पशुधन को लेकर जाते है। इनके पशुधन को आये दिन कई स्थानों पर लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है, पशुधन की चोरी होती है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के खण्डवा क्षेत्र में 500 भेड़ें, पशुपालकों को बाँध कर जबरन उठाकर ले गये। ऐसी अनेक घटनाएं आये दिन घटती रहती है। पशुपालक अपनी व पशुधन की सुरक्षा करने में पूर्णतया विफल हैं, लेकिन पशुधन को जिंदा रखने व बचाने के लिए उनको बाहर मजबूरन जाना ही पड़ता है।

पशुपालकों में व्याप्त असुरक्ष की भावना को दृष्टिगत रखते हुए पशुधन व उनकी सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिया जाना अति आवश्यक है। इस सन्दर्भ में मैं माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

भैंसरोडगढ़ तहसील के ग्राम एकलिंगपुरा में सड़क निर्माण

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगू) : सभापति महोदय, पंचायत मुख्यालय एकलिंगपुरा तहसील भैंसरोडगढ़ कसबे में सड़क निर्माण की ओर माननीय सार्वजनिक निर्माण

(श्री चुन्नीलाल)

मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्राम एकलिंगपुरा पंचायत मुख्यालय है, रावतभाटा-रामगंजमंडी सड़क एकलिंगपुरा ग्राम में होकर निकलती है। गांव के दोनों छोर पूर्वी-पश्चिम और डामर सड़क से जुड़े हुए हैं, किन्तु गांव में सड़क नहीं है। बहुत से गहरे-गहरे गड्ढे हो रहे हैं, अक्सर गांव में कीचड़ रहता है जिससे पैदल चलने वाले, साइकिल, चौपहिया बसें, ट्रक, जीपें, ट्रैक्टर को गांव पार करने में भारी कठिनाई होती है। इतने बड़ कस्बे के बीचों-बीच की सड़क की ऐसी दुर्दशा को सुधारना अत्यन्त आवश्यक है। इस सड़क की लम्बाई मात्र 700-800 मीटर है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि इस और ध्यान देकर सड़क व नालियों का निर्माण कर ग्रामीण जनता एवं इस महत्वपूर्ण सड़क पर आने-जाने वाले वाहनों को राहत पहुंचाएं।

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द कान्त।

सिवाना क्षेत्र के गांवों के लिए पेयजल योजना का कायन्वियन

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : सभापति महोदय, सिवाना क्षेत्र में पेयजल योजनाओं को तुरन्त प्रारम्भ करने हेतु नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषय में निवेदन हे कि सिवाना क्षेत्र में पेयजल की व्यवथा अत्यन्त ही खराब है। कई गांव आज भी जैसे कि अरतण्डी आदि तालाब से पानी पीते हैं। इसी प्रकार कई गांवो में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इन सबको ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों एक योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बनाई गई थी, जिससे कि सिवाना क्षेत्र के ग्रामों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उस 66 करोड़ की योजना को प्रारम्भ करने हेतु रूपये 5 करोड़ की स्वीकृति भी हुई, परन्तु वह योजना अभी तक शिथिल अवस्था में ही है। इस योजना के द्वारा 40 से 50 गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा। इस समय पेयजल की गांवों में विकट समस्या है, अंत: यह योजना अपने दोनों फेजेज में तुरन्त प्रारम्भ कर पूरी की जाए।

अंत: इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि इस योजना को शीघ्र पूर्ण करने का श्रम करें।

श्री सभापति : श्री सुरेश मीणा।

गंगापुर सिटी में 22 जनवरी, 04 अर्द्धरात्रि को अनुसूचित जनजाति परिवार के साथ पुलिस की ज्यादती

श्री सुरेश मीणा (करौली) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि जिला सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में ट्रक युनियन के पास दिनांक 22 जनवरी, 2004 की रात करीब दो बजे पुलिस के अधिकारियों द्वारा एक अनुसूचित जनजाति के परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट की गई तथा उनको घसीटकर घर से बाहर लाया गया। उनके मकान के दरवाजों को तोड़कर पुलिस अंदर प्रवेश कर गई जिससे एक जनजाति परिवार के अंदर भयंकर भय व्याप्त है। उसी परिवार के दो लड़कों श्री विजय व रामेश्वर की निर्मम पिटाई करके गिरफ्तार किया गया है।

मेरा आपसे उक्त सम्बन्ध में अनुरोध है कि मामले की जांच उच्च स्तरीय स्तर से करवाकर इसमें लिप्त दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करवाने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल।

देसूरी विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र देसूरी में व्याप्त पेयजल संकट की और दिलाना चहूंगी।

मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान महिलाओं को कुओं से डोले व रस्सी से पानी खींचते देखा है। इससे यह प्रतीत होता है कि वहां पर पेयजल की कोई सुविधा नहीं है और न ही पेयजल उपलब्ध है। अधिकांशस गांवों में सरकारी जलापूर्ति का कोई जरिया नहीं है। ऐसे में अभी से ही पेयजल की समस्या होने लग गई है तो गर्मियों में क्या हालात होंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं , क्या सरकार गर्मी आने से पूर्व निम्नलिखित अभावग्रस्त गावों में जलापूर्ति करवाने की व्यवस्था करेंगी ? ये हैं-(1) डिंगाई (2) किशनपुरा (3) गिराली (4) मादा (5) सोनाणा (6) आना (7) केनपुरा (8) रावडियावास (9) चांगवा (10) गुड़ा गांगाणा (11) दुदापुरा।

राजस्थान की मुख्य मंत्री महिला और मैं स्वयं एक महिला विधायक हूं, अंत: महिलाओं को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े। अंत: अन्य स्थानों पर कुओं पर इंजन या विद्युत मोटर सैट लगाकर महिलाओं को हाथों से पानी खींचने की समस्या से निजात दिलाएं।

(13.00 बजे)

श्री सभापति : श्री कांती प्रसाद मीणा

थानागाजी से प्रतापगढ़ एवं अजबगढ़ सड़कों का सुदृढ़ीकरण

श्री कांतीप्रसाद मीणा (थानागाजी) : माननीय सभापति जी, सदन की प्रक्रिया के नियम के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

महोदय, उपरोक्त सन्दर्भ में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी (अलवर) में थानागाजी से प्रतापगढ़ एवं थानागाजी से अजबगढ़ वाया किशोरी सड़कें इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कें हैं। क्षेत्र की लगभग 75 प्रतिशत आबादी जाने आने के लिए इन दोनों सड़कों का उपयोग करती है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों सड़कों की मरम्मत एवं पेवर डामरीकरण शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा करें। गत काफी वर्षों से उक्त सड़कों के सुदृढीकरण पर कोई पैसा व्यय नहीं किया गया है। इन सड़कों की हालत खराब होने के कारण क्षेत्र की जनता को अत्यधिक परेशानी हो रही है।

अंत: उक्त दोनों सड़कों को सरकार शीघ्रातिशीघ्र कार्य कराने की कृपा करें । सधन्यवाद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री सभापति: पर्ची के मांध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री खुशबीर सिंह।

सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कृषि ऋण पर ब्याज

श्री खुशबीर सिंह (खारची) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि किसानों को अन्य बैंकों के द्वारा व कोआपरेटिव बैंक के द्वारा जो ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है उस पर जो लगने वाला ब्याज है उसके बारे में माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि किसानों पर 9 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से साढ़े 13 प्रतिशत ब्याज लग रहा है । अभी हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी यह कहा गया है कि 10 हजार करोड़ का लेन-देन कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से होगा। मैं इस और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो 10 हजार करोड़ का लेन-देन होगा उसमें किसानों का फसली ऋण भी होगा और उसके ऊपर 13.5 प्रतिशत ब्याज लग रहा है जबकि ग्रामीण बैंक 9 प्रतिशत ब्याज में दे रहा है ग्रामीण बैंकों को देने वाली एजेंसी

(श्री खुशबीर सिंह)
नाबार्ड है और सी.सी.बी. को भी देने वाली एजेंसी नाबार्ड है, लेकिन इसके अन्दर नाबार्ड अपैक्स बैंक को देता है, अपैक्स बैंक अपना इंटरसेट रखकर सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक को दे देता है, सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक अपना इंटरेस्ट रखकर ग्राम सेवा सहकारी समिति को दे देता है और ग्राम सेवा सहकारी समिति अपना इंटरेस्ट रखकर किसानों को देती है और तब तक उसका ब्याज साढ़े 13 प्रतिशत हो जाता है। मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सदन का कि ब्याज दर कम हो। साथ ही जो कोआपरेटिव बैंक की धुरी है व्यवस्थापक, उन व्यवस्थापकों को न तो सरकार अपना कर्मचारी मान रही है और नहीं बैंक अपना एम्प्लाई मान रहा है, जबकि उनके माध्यम से करोड़ों रूपये का लेन-देन होता है तो मैं यह चाहूंगा और सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन व्यवस्थाओं को सरकार पूर्णतया अपना कर्मचारी मान ले या अपना एम्प्लाई मान ले सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक अधरझूल में तीसरी दुनिया में ही रह रहे हैं जबकि उनके माध्यम से करोड़ों रूपये का कारोबार होगा, ऋण वितरण किया जाएगा। साथ ही, हाल ही में सरकार के घोषणा पत्र में यह कहा गया कि हम प्रयास करेंगे, यह मुझे ध्यान नहीं पूरा लेकिन उसमें इतना जिक्र जरूर किया हुआ है कि काश्तकारों को 10 हजार रूपये के ऋण माफ किए जाएंगे। मैं अनुरोध करना चाहूंगा घोषणा पत्र के अन्दर सरकार ने किसानों को 10 हजार रूपये के ऋण माफ करने की बात कही है, वह बात सरकार करेगी या नहीं करेगी। इसका सरकार से मैं जवाब चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री जीतमल जी खांट।

बांसवाड़ा जिले में बकाया अकाल राहत मजदूरी का भुगतान

श्री जीतमल खांट(बागीडोरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं बांसवाड़ा जिले के उन लोगों की व्यथा आपके समक्ष रखना चाहूंगा जिनको पिछली सरकार में बड़े गम्भीर पारदर्शी जवाबदेह और संवेदनशील तरीके से पिछले अकाल राहत के अन्दर हर तरीके की मदद देने का एक विश्वास दिलाया गया था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा के मेरा विधान सभा क्षेत्र गुजरात से लगता हुआ क्षेत्र है, मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है कि पूर्ववर्ती सरकार के माध्यम से अकाल को विकास में बदलने का नारा दिया गया, अकाल का बेहतर प्रबंधन करने का नारा दिया गया। कांग्रेस सरकार ने यह भी एक नारा दिया कि राम भले ही रूठ जाए, राज नहीं रूठेगा। इन लोक लुभावन नारों के साथ में अकाल राहत का प्रबन्धन किया, मैं मानता हूं। लेकिन यह भी इस सदन के सामने रखना चाहूंगा मैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कुल 72 पंचायते हैं, इन 72 ग्राम पंचायतों में से अधिकांश में सरपंच कांग्रेस पार्टी के थे,

(श्री जीतराम खांट)

(13.07 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

तीनों पंचायत समितियों के अन्दर कांग्रेस के प्रधान थे, तमाम जिला परिषद के सदस्य कांग्रेस के थे। 72 पंचायतों में अधिकांश पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस के थे। होता यह है कि पूरे बांसवाड़ा जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जितनी गेहूं तस्करी 57 साल की आजादी में नहीं हुई, इतने बड़े पैमाने पर चोरी गेहूं की गई और अधिकांश माल एफ.सी.आई. गोदाम से सीधा उठा। मेरा क्षेत्र गुजरात की सीमा से लगता हुआ है, सारे के सारे बड़े अधिकारियों को वहां लगा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं और वहां के बड़े अधिकारियों की आपसी मिलीभगत से कालाबाजारी में गुजरात के अन्दर सारा का सारा गेहूं सैंकड़ों ट्रकों में भेज दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, आज मेरे विधान सभा क्षेत्र ही नहीं पूरे जिले के अन्दर अगर इस बात की यहां जयपुर सेअलग एक टीम बनाकर जांच करा ली जाए तो मैं समझूंगा कि राजस्थान भर में सबसे बड़ा घोटाला बांसवाड़ा जिले के अन्दर ही निकलेगा, मैं आपके सामने यह दावा करता हूं। सभापति महोदय, अकाल राहत के जिन मजदूरो का अब तक भुगतान बकाया है, वहां के लोगों ने जो लिखकर मुझे प्रार्थना पत्र दिया है, ये सारे आपके सामने मैं लाया हूं हमारे सारे मंत्रिमण्डल के सदस्य यहां से गायब हैं लेकिन वरिष्ठ मंत्री तिवाड़ी साहब यहां पर विराजमान हैं, काफी गंभीर और संवेदनशील व्यक्ति हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा व्यक्ति गुजरात के अन्दर सिर्फ पेट भरने के लिए जाता है, वहां पर सर्दी-गर्मी को झेलता रहता है और 4-4 महीने तक अपने छोटे-छोटे बच्चों को गोद में लेकर इलाके के अन्दर घूमता रहता है, अपना पेट भरने के लिए अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए और 4-6 महीनों का भ्रमण करता हुआ वापस आता है मुझे खेद के साथ में कहना पड़ रहा है कि उन मजदूरों को कांग्रेस के नेताओं के राज में चाहे कोई हों, भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे गरीब लोगों की तकलीफों को पारदर्शी और जवाबदेह और संवेदनशील सरकार ने गम्भीर नहीं माना। आज हालात ये हो गये कि पूरे उदयपुर डिवीजन के अन्दर कांग्रेस का बिलकुल सफाया हो गया। बांसवाड़ा जिले के अन्दर जितना भी अकाल राहत का गेहूं आया है, कितना आया, कितना गया, अकाल राहत के पेटे कितना खर्च किया गया..

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट : इन बातों की पूरी की पूरी जांच की जाए और दोषी लोगों के खिलाफ में कड़ी कार्यवाही की जाए, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा आदिवासी इलाका अकाल राहत के माध्यम से अपने पेट का गुजारा करने के लिए एक-एक रूपये के लिए तरसता रहता है। आज हालत यह है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट : ..कि 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी उन लोगों को अकाल राहत का भुगतान नहीं किया गया। यह कितनी बड़ी शर्म की बात है। माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ मंत्री तिवाड़ी साहब विराजमान हैं, मैं चाहूंगा कि आप हमें आश्वस्त करें ताकि बांसवाड़ा जिले के अन्दर एक मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गम्भीर है और गरीब के प्रति हिमायती है। मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके से इस सदन के माध्यम से हमें, बांसवाड़ा की गरीब जनता को राहत प्रदान करें और जिन लोगों का अब तक का बकाया भुगतान है उसको भुगतान शीघ्र कराने का मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अतर सिंहजी भड़ाना।

बयाना में क्षतिग्रस्त एनीकटों की मरम्मत व नये का निर्माण

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना) : सभापित महोदय, मेरा क्षेत्र भरतपुर जिले में बयाना है। मेरे क्षेत्र में जो भौगोलिक परिस्थितियों हैं उनमें पहाड़ी होने के नाते पानी बहकर जाता है और यह मामला जल संरक्षण और भू-संरक्षण दोनों का है। अब से पहले वहां करीबन छोटे बड़े 115 एनीकट थे जिनमें से पिछले पाँच साल में 84 टूट गये हैं उनकी कोई भी मरम्मत नहीं किये जाने से सारा पानी आता है और बहकर चला जाता है। मैं आज आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से इस बात की तरफ ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि जितने वहां पर एनीकट टूटे हुए हैं उनकी तरफ पिछली सरकार ने पाँच साल में कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जितने भी एनीकट थे, बाँध थे वो सारे टूट गये और अब आने वाले समय में इस गर्मी के बाद बरसात होगी तो फिर यही हालत रहेगी। बयाना क्षेत्र को गम्भीर नदी तीन तरफ से घेरती है और एक भी एनीकट नहीं है। पानी बह जाने की वजह से जल स्तर नीचे चला गया है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जितने पहले एनीकट हैं वे सारे तो निश्चित तौर पर रिपेयर किये जाएं और जो नये बनने हैं वो बनाये जाएं और गंभीर नदी में निश्चित तौर पर एनीकट बनाये जाएं। धन्यवाद।

सूचना

राजस्थान विश्वविद्यालय के मेडिकल विद्यार्थियों का अनुग्रह अंक सम्बन्धी अध्यादेश में संशोधन को लेकर आन्दोलन

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मैं एक पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन अगर आपकी इजाजत हो तो देना चाहता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान मेडिकल के विद्यार्थी लगातार हड़ताल पर हैं और राजस्थान के जो रेजीडेंट डाक्टर हैं उन्होंने भी उनका समर्थन किया है। शिक्षा मंत्री जी, आपका ही मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, सभापति महोदय, आज सदन एडजोर्न हो जाएगा, उन विद्यार्थियों की सबसे बड़ी प्राब्लम क्या है कि मेडिकल कौंसिल ने जो गजट नोटिफिकेशन किया है वह एक जुलाई से किया है, तत्काल लागू होने का था। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय का जो सितम्बर, 2002 में जो मेडिकल का रिजल्ट निकला उसमें जो ग्रेस मार्क्स दिये हैं, पहले राजस्थान विश्वविद्यालय ने 25 ग्रेस मार्क देने का आर्डिनेंस था उसको लागू करते हुए मेडिकल कौंसिल का गजट नोटिफिकेशन होने के बाद भी सितम्बर, 2002 में जो रिजल्ट निकला उसमें 25 अंक तक ग्रेस दिये हैं और अभी तक राजस्थान विश्वविद्यालय की सिंडिकेट ने उस आर्डिनेंस को संशोधित नहीं किया है और अब जो रिजल्ट निकला है उसमें उन ग्रेस मार्क्स को न देकर उन विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया जिससे मेडिकल के छात्र हड़ताल पर हैं और रेजीडेंस डाक्टरों ने भी उनका समर्थन किया है। तो आने वाले समय में जब विधान सभा का सत्र खत्म हो जाए और राजस्थान के सबसे बड़े चिकित्सा केन्द्र एस.एम.एस. में उन पेशेंट...

श्री सभापति : आपका उद्देश्य और लड़कों की बात आपने इन्फार्मेशन के द्वारा उठा दी, अब मंत्री महोदय से आप बात कर लेना। आपका तात्पर्य उठाने से और ध्यान में लाने से ही था और यह आ भी जाएगा कि आपने उनके मतलब के लिए बात उठायी। अख़बार भी दें देंगे। विस्तार से जाने का नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मुझे अख़बार से नहीं है राजस्थान मेडिकल कॉलेज के आर्डिनेंस से सिंडिकेट उसको एक्सैप्ट नहीं करती है तब तक जो ऑर्डिनेंस 25 ग्रेस मार्क्स देने का है, इन विद्यार्थियों को दिये जाएं, जो 50 प्रतिशत विद्यार्थी अफैक्टेड हैं। पूरे मेडिकल के विद्यार्थी लगातार हड़ताल पर हैं, रेजीडेंट डाक्टर भी साथ में हड़ताल पर नहीं जाएं इसलिए शिक्षा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि बाईस

(श्री अमराराम)

चांसलर को इस और निर्देशित करें। जब तक सिंडिकेट उसमें संशोधन नहीं करती है, आर्डिनेंस पाँच ग्रेस अंक का नहीं निकालती है, तब तक कोई भी रिजल्ट निकले तो वह 25 मार्क्स दे और पाँच मार्क्स का निकाल दे, उसके बाद रिजल्ट निकले उसमें निश्चित रूप से पाँच मार्क्स दे, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा।

श्री सभापति : नौ प्लीज । श्री राजेन्द्र सिंहजी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक अत्यंत गंभीर और प्रदेश की प्रगति और विकास के साथ जुड़े हुए विषय पर सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति : वो तो आप हमेशा ही करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह सर्वविदित है कि राजस्थान जिसकी विषम भौगोलिक परिस्थिति है, आज इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, आज पूरे देश का लगभग 10.4 प्रतिशत भू-भाग राजस्थान में है लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है, मंत्री महोदय, कि इसका 61 प्रतिशत रेगिस्तानी इलाका है, बरसात पर निर्भर रहने वाला इलाका है और सतही जल हमारे पास मात्र एक प्रतिशत है। लगातार पड़ने वाले अकाल और सेवा कार्य की अधिक लागत के कारण यह मांग कई बार उठती रही है कि राजस्थान को विशेष राज्यों के दर्जे में शामिल किया जाए। सभापति महोदय, आपको मालूम है, संविधान के अनुच्छेद 275 में राज्यों को ग्रांट-इन-एड मिलती है, प्लान असिस्टेंस क लिए पैसा मिलता है, उसके अंदर जो विशेष राज्य हैं उनको जितनी राशि मिलती है वह 10 प्रतिशत ऋण के रूप में मिलती है और 90 प्रतिशत राशि उनको काइंड और सहायता के रूप में मिलती है। राजस्थान के पास चूंकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं है इसलिए वर्तमान में जो राशि मिलती है उसमें 70 प्रतिशत ऋण है और 30 प्रतिशत ही मात्र हमें सहायता के रूप में राशि मिलती है। पूर्व मुख्य मंत्री माथुर साहब विराजे हैं और हमारे शिक्षा मंत्रीजी भी बैठे हैं, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान में महामहिम उप राष्ट्रपति भैरोंसिंह जी शेखावत ने राष्ट्रीय विकास परिषद से लेकर वित्त आयोग के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सम्मुख हमेशा इस बात की पुरजोर वकालत की कि राजस्थान विषम परिस्थिति में जी रहा है, राजस्थान के अन्दर पर-कैपिटा इनकम कम है। राजस्थान अन्दर सोशियल सर्विस आम व्यक्ति के पास पहुंचाएं, चूंकि हमारा जनसंख्या का घनत्व कम है इसलिए उस पर लागत ज्यादा आती है, और राजस्थान में लगातार अकाल पड़ता है, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए। सभापति महोदय, आप तो स्वयं इस विषय के बारे में चिंतित रहने वाले व्यक्ति है, आज जिस तरह के हालात आसाम, नागालैंड में है, जिस तरह उत्तरांचल में, हिमाचल में हैं, मैं समझता हूं आज सामाजिक परिवेश देख लें चाहे भौगोलिक परिवेश देख लें, जीवन स्तर देख लें, राजस्थान के हालात उससे बहुत ज्यादा खराब हैं। आज हमें जो सहायता मिलती है, मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गाडगिल फार्मूला के आधार पर हमें जो सहायता मिलती है राजस्थान ने हमेशा उस फार्मूले का विरोध किया। सभापति महोदय, जो फाइनेंस कमीशन हमें सहायता देता है, जो डिविजिबल पूल में हमारा हिस्सा है वह हिस्सा हमारा अगर विशेष राज्यों के दर्जे में हम शामिल हो जाएं तो बढ़ सकता है, और मैं समझता हूं कि इस बात से कोई असहमत नहीं होगा प्रसन्नता इस बात की है और मैं समझता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देना चाहिए...

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : राठौड़ साहब, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक मिनट, मैं मेरी बात खत्म कर दूं। नई मुख्य मंत्री जी ने हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के सम्मुख अपनी बात जब पुरजोर तरीके से रखी, और सभापति महोदय, तथ्यों के साथ राजस्थान के केस को रखा और यह मांग की कि विषम परिस्थितियों के अन्दर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो प्रसन्नता की बात है कि न केवल उस बात को स्वीकारा गया, बल्कि हिन्दुस्तान के वित्त मंत्री जी को उन्होंने कहा है कि इसके लिए आवश्यक प्रस्ताव बनाकर लाओ। मैं माथुर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन विषयों पर इस सदन के अन्दर हम सारे एकमत हो सकते हैं। आज एक दबाव बना है, एक वातावरण बना है मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कितने वर्षों से अशोकजी गहलोत मुख्य मंत्री थे, इन्होंने कई प्रेम पत्र लिखे, माननीय माथुर साहब, मुझे आपका एक वक्तव्य भी याद आ रहा है।, मैंने एक बार समाचार पत्र में पढ़ा था, फाइनेंस कमीशन के सामने आपने न केवल गाडगिल फार्मूले का विरोध किया था बल्कि आपने तथ्यों के साथ यह कहा था कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि सदन में एकमत होकर चूंकि जब एक प्रयास प्रारम्भ हुआ है, मुख्य मंत्री जी ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रयास किया है और मुख्य मंत्रीजी एक दल की नेता नहीं सदन की नेता के रूप में, राजस्थान की अगुवा के रूप में उन्होंने प्रयास किया है, सभापति महोदय, अगर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो राजस्थान का भाग्य खुल जाएगा। यह जो रोज रोज हम कहते हैं कि राजस्थान कर्जे में डूब रहा है, राजस्थान के अनदर राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है, राजस्थान के अन्दर दूसरी आर्थिक विषमताएं हैं, शिक्षा मंत्रीजी, पहल करनी चाहिए, सदन एकमत होकर अगर इन सारी बातों के पीछे खड़ा हो जाए और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो मैं समझता हूं, एक अद्वितीय काम हो जाएगा, और चूंकि वातावरण बना है, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। मैं लम्बी बातों की ओर नहीं जाना चाहता, मैं गाडगिल और मुखर्जी फार्मूले के ऊपर नहीं जाना चाहता, परन्तु निश्चित रूप से राजस्थान में विषम परिस्थितियां है, उनको देखते हुए अधिक से अधिक केन्द्र सरकार से मदद मिले। यह सब सरकारों ने कोशिश की है। माथुर साहब ने कोशिश की, उनके बाद आने वाले मुख्य मंत्रियों ने कोशिश की, हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी भैरोसिंहजी शेखावत ने कोशिश की और हमारी नई मुख्य मंत्रीजी ने कोशिश की है। वह कोशिश एक परिणाम के रूप में सामने आए इसलिए मेरा निवेदन है। यह विषय किसी व्यक्ति का विषय नहीं, यह विषय कोई पार्टी का विषय नहीं, यह विषय पूरे राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। मैं माथुर साहब, मुझे हक तो नहीं परन्तु में आपकी विद्वता का काफी कायल हूं, मैं जब छात्र जीवन मं पढ़ता था तब भी मैं आपके लेख पढ़ता था, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय के ऊपर सदन के अन्दर आप अपना सहयोग दें और यह विश्वास दिलाएं कि इस विषय पर सारा सदन एकमत हो ता मैं व्यक्तिश: भी आभारी रहूंगा। सभापति महोदय, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, बात रखने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री कासनियाजी।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जिले के सिंचित एरिया के जो काश्तकार है, उनकी फार्मिंग की बारी काटने के नोटिस सरकार के द्वारा दिये जा चुके हैं। मैंने कल भी सदन के अन्दर कहा, यहां पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से किसान-किसान की आवज तो जरूर लगती है पर किसान की जब कोई बात आती है...(व्यवधान)

डा. एन.एस.गुर्जर : माननीय सभापति महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बाद में बोल लेना।

श्री रामप्रसाद कासनिया : बाद में समय कहां मिलेगा ?

डा. एन.एस.गुर्जर : मिलेगा, आप बैठ जाओ।

श्री रामप्रताप कासनिया : आप गारंटी कर रहे हो क्या इस बात की ?

डा.एन.एस.गुर्जर : हां, हां मिल जाएगा।

श्री रामप्रताप कासनिया : आप कह रहे हो तो मैं बैठ जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

डा.एन.एस.गुर्जर (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, वह बहुत गम्भीर है। मैं भी इस पर कुछ कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, पिछले सितम्बर में फाइनेंस कमीशन की मीटिंग हुई थी उसमें राजस्थान के सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उसमें माननीय माथुर साहब भी थे, आप भी जानकारी सदन को देंगे। और उसमें सर्वसम्मति से राजस्थान का पक्ष हम लोगों ने रखा था। माननीय भैरोंसिंह जी जब यहां थे, उन्होंने इस मांग को कई बार उठाया। गहलोत साहब ने भी उठाया, आपने भी उठाया, सब पार्टी के नेताओं ने उठाया, इसमें किसी का कोई आपस में मतभेद नहीं है। वह इसलिए नहीं है , कि हमारे राजस्थान में विशेष परिस्थितियां हैं, जो कसौटियां हैं एक विशेष दर्जा देने की किसी राज्य को वह सारी परिस्थितियां राजस्थान में मौजूद हैं

सभापति महोदय, महोदय, पूर्वोत्तर राज्य जिसमें मेघालय के अन्दर चेरापूंजी एक स्थान है, उसमें सबसे अधिक बरसात होती है। इसके कुछ मापदण्ड हैं, सभापति महोदय, एक तो पहाड़ी इलाका हो, दूसरा कंट्री की बोर्डर के स्टेट हों, तीसरा ट्राइबल बैल्ट हो उस स्टेट में, चौथा वहां पर ऐसी परिस्थिति हो...(व्यवधान) रेगिस्तान अभी जोड़ा नहीं उन्होंने। पहाड़ी इलाका, कंट्री का बार्डर एरिया, ट्राइबल बैल्ट और वहां की विषम भौगोलिक परिस्थिति, ये कुछ क्राइटेरिया है। हम चाहते हैं रेगिस्तान का होना भी विषम परिस्थति है, पहाड़ी इलाका है। इस एक रेगिस्तान के जुड़ने से राजस्थान को विशेष परिस्थिति में लाने में हमें मदद मिलेगी। सभापति महोदय, हमारे यहां पर

(डा.एन.एस.गुर्जर)

रेगिस्तार के अन्दर अकाल बहुत पड़े हैं, 50 साल में से लगभग 40 साल तो अकाल में निकले हैं, यहां पर जो सर्विस कंडीशन हैं रेगिस्तानी इलाकों में जब मैं रूरल डवलपमेंट और पंचायती राज मंत्री था हमने हमारे मंत्रियों के सम्मेलन में एक बात उठाई थी कि हमारे यहां पर चाहे सड़क बने चाहे टेलीफोन की लाइन लगे चाहे बिजली लाइन लगे चाहे स्कूल बने, जो प्रशासनिक खर्चा आता है, वह बहुत अधिक आता है। हमारी योजनाओं के अन्दर प्रशासनिक खर्चा उन्होंने कहीं तीन प्रतिशत, कही दो प्रतिशत फिक्स कर रखा था तो हमने यह मांग की थी कि रेगिस्तान की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासनिक खार्चा बढ़ाया जाए। लेकिन नहीं बढ़ाया गया।सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे कि 10 प्रतिशत लैण्ड है और एक प्रतिशत पानी है, इसके अलावा हमारी जनसंख्या देश मं पाँच प्रतिशत जनसंख्या है और 2/3 हिस्सा रेगिस्तान है और हमारे यहां ट्राइबल एरिया भी है। रेगिस्तान का होना, ट्राइबल बैल्ट का होना 1000 किलोमीटर लम्बी सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है, हमने तीन युद्ध लड़े, तीन युत्र जब लड़े जाते हैं, तो जो बोर्डर एरियाज है, वहां की जनता के ऊपर कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया जाता है, उनका पलायन किया जाता है, वापस उनको बसाया जाता है, तो सारी परिस्थितियां जो हमें विशेष दर्जा देने में सहायक हो सकती है, वे हमारे पास है इसलिए, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी जो मांग की है वह साधुवाद की पात्र हैं मैं उनको बधाई देता हूं। इस समय परिस्थिति है देश की, इससे अनुकूल परिस्थितियां हमारे लिए आइन्दा भविष्य में शायद हों कि नहीं हो, हो जाए तो बहुत अच्छा है, हमारे उपराष्ट्रपति जी आज वहां बैठे हुए हें, स्वयं वित्त मंत्री हमारे वहां बैठे हुए हैं, माननीय आडवाणी जी जो गृह मंत्री हैं, और उप प्रधान मंत्री हैं, वे राजस्थान में काम करके आये है। पूर्व मुख्य मंत्री माननीय माथुर साहब हैं, गहलोत साहब हैं, मैं सबके लिए कहता हूं जब लोग पुराने समय में प्रयास करते आ रहे हैं। विशेष रूप से हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस विषय को उठाया है, खुशी की बात है कि प्रधान मंत्री जी ने वित्त मंत्रीजी को प्रस्ताव तैयार करने को कहा है, तो ऐसे मौके का लाभ उठाएं ताकि वित्त मंत्री है देश के , उनके हाथ मजबूत हों। इसके लिए सदन की तरफ से एक सर्वसम्मत प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए और वहां पर भेजा जाना चाहिए ताकि वित्त्त मंत्रीजी को , भारत सरकार को पता लगे कि राजस्थान के सारे दल, सारे एम.एल.एज. ही नहीं, सारे दल ही नहीं बल्कि राजस्थान की विधान सभा के द्वारा राजस्थान की सारी जनता इस बात के समर्थन में है । इसलिए महत्वपूर्ण विषय है, एक प्रस्ताव पास करके भिजवाया जाना चाहिए ।

(डा.एन.एस.गुर्जर)

मैं यह भी कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, नागालैण्ड है, अरूणाचल है, मेघालय-मिजोरम है, वहां की स्थिति क्या है। वहां केवल पहाड़ी इलाका है, और बार्डर एरिया है, ये दो कारण है, और कुछ आखिरी इलाका है, तीन कारण है जिनके कारण से उनको विशेष दर्जा मिला हुआ है अगर हमारे आदिवासी इलाकों में जाया जाए तो वहाँ पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वे कुपोषण के शिकार हैं, उनको सब चीजें मिलती नहीं है। लेकिन इसके विपरीत जिन राज्यों को विशेष दर्जा दिया हुआ है वहां पर विदेशी सिगरेट पी जाती है, यहां पर जो अच्छे लोग कपड़ पहनते हैं, उनसे भी अच्छे वहां कपड़े पहने जाते है, वहां पर विदेशी शराब पी जाती है, इसलिए सभापति महोदय, उनका जो रहन-सहन है वह रहन-सहन बहुत अच्छा है।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, 12वें वित्त आयोग ने एक सिफारिश की थी, सभापति महोदय, तीन प्रकार के राज्यों को सहायता दी जाती है पहली स्टेटटरी, दूसरी दी जाती है प्लान में और तीसरी डिस्क्रिशनरी ग्रांट दी जाती है। वह जो स्टेटरी ग्रांट है, इसके बारे में सभी राज्यों ने बार-बार मांग की। पहले 27 प्रतिशत थी, 29 प्रतिशत हुई, बाद में 29 प्रतिशत से 33 प्रतिशत की मांग करते रहे। 12वें फाइनेंस कमीशन ने 37 प्रतिशत के लिए कह दिया, लेकिन अभी तक 31 प्रतिशत वह ग्रांट दी जा रही है। लेकिन उस ग्रांट से काम चलने वाला नहीं है राजस्थान का क्योंकि राजस्थान में, जैसा मैंने आपको कहा, भरतपुर के अन्दर बाढ़ आ जाती है, यह पश्चिमी रेगिस्तान है, बांसवाड़ा डूंगरपुर का आदिवासी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यह जो हमारी तीन विषम भौगोलिक परिस्थितियां है, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं अकाल, कहीं पहाड़ कही आदिवासी और फिर बॉर्डर एरिया, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हर तरह से इन मापदण्डों पर राजस्थान खरा उतरता है, इसलिए मैं आपसे.....

श्री सभापति : देखिये, आपकी बात से सब सहमत हैं लेकिन...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके भेजा जाए इस सदन से, यह पूरा सदन इस बात से सहमत है और एक प्रस्ताव जो माननीय चूरू से आने वाले सदस्य ने रखा है...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, मौका दें।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मौके की लड़ाई है, चुनाव सामने है, केन्द्र सरकार तैयार है...(व्यवधान)

डा.एन.एस.गुर्जर : सभापति महोदय, मुझे कृपया समाप्त करने दीजिए।

सभापति महोदय, इसके अलावा जो हमारे इतने अकाल पड़े हैं, सभापति महोदय, एक बार अकाल पड़ने के बाद गाड़ी को पटरी पर लाने में सिचुएशन को लाने में कम से कम तीन साल लग जाते हैं, तीन वर्ष । यदि एक साल अकाल पड़ता है तो इकोनोमिक गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए तीन साल लग जाते हैं। इसलिए सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विषय को उन्होंने उठाया और माननीय मुख्य मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, माननीय माथुर साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इस सदन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और आप का भी क्योंकि विशेष इन्टरेस्ट रहा है, मांग भी आप करते रहे कई बार । इसलिए इस पर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए और एक संदेश दिया जाना चाहिए। (व्यवधान) डिले नहीं होनी चाहिए, अभी तुरंत, इसी वर्ष विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो नैक्स्ट बजट आ रहा है उसमें हमको इसका लाभ मिल जाएगा, यही आपसे अनुरोध (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री जुबेर खान : सर्वसम्मती से प्रस्ताव पास कराएं, हम तैयार हैं, सर्वसम्मति से

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह ।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, मुझे समय दिया गया है... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, राज्य को विशेष दर्जा दिये जाने की मांग का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने भी इस बारे में प्रधान मंत्रीजी को और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन साहब को बराबर पत्र लिखे और मुख्य मंत्रियो की वित्त मंत्रियों की बैठक के अंदर भी राज्य को विशेष दर्जा लिये जाने की मांग सरकार बराबर करती रही है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन के सामने जो मेमोरेण्डस पेश किया गया उसमें भी राज्य सरकार ने राज्य को विशेष दर्जा दिये जाने की मांग रखी है, पूर्व में भी रखी गई है। पूर्व मुख्य मंत्री जो आज भारत के महामहिम उप राष्ट्रपति हैं माननीय भैरोंसिंह जी, उन्होंने भी इसकी मांग रखी थी। लेकिन एक दफा वह भूल गये थे सदन के अंदर, जब पिछली दफा बजट पर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

चर्चा हो रही थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि राजस्थान की धिक्कारी की तरह क्यों पिछड़ी बात मानते हो, तैंने उनका पत्र उनके सामने रख दिया, बोले हों, मेरे ध्यान से उतर गया था, मैंने कहने के लिए कहा दिया था।

उसके कारण कई हैं, विशेष दर्जा यों ही राजस्थान के लिए हम मांग नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे तर्क है जैसे माननीय नाथूसिंह जी साहब ने कहा, इसके अलावा एक बात और भी है कि 1083 किलोमीटर लम्बा हमारा बोर्डर एरिया है, लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन है, वहां उसके रख रखाव के ऊपर राज्य को खर्चा है साथ-साथ कास्ट ऑफ डिलीवरी, डेजर्ट एरिया के अंदर हमारे जो निवासी हैं, छितरी हुई है हमारी आबादी, ऐसे ही आदिवासी एरिया के अंदर पहाड़ों के ऊपर बसे हुए हैं, तो हमारी कास्ट ऑफ डिलीवरी जो हमको बेसिक आनिटीज उनको मुहैया करानी पड़ती है उसके अंदर राज्य सरकार का खर्चा बहुत लगता है इसके अलावा डेजर्ट, जो हमारे नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स है और जो दो नये स्टेट क्रियेट किये हैं इन्होंने झारखण्ड और उत्तरांचल उनको भी स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दे दया गया है। जो पूर्व में चल रहे थे जम्मू कश्मीर और नार्थ ईस्ट स्टेट्स, उनके अलावा इनको भी दिया गया है राजस्थान के अंदर जो अकाल की स्थिति है, अगर राजस्थान का पिछला चालीस पचास वर्ष का इतिहास देखें तो राज्य के अंदर बराबर अकाल पड़ते रहे एक दफा अकाल की स्थिति बनने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है और उसको पटरी पर आने के लिए जैसा नाथूसिंह जी कह रहे थे कि दो-तीन वर्ष का समय लगना लाजिमी हो जाता है। तो इन सब हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी बराबर मांग करती रही है कि राज्य को विशेष दर्जे के रूप में मान्यता दी जाए, उससे हमको काफी लाभ होगा आर्थिक रूप से प्लान की एड जो हमको मिलती है, प्लान की एड के साथ-साथ स्पेशल कैटे गिरी स्टेट्स को और सहायता के रूप में केन्द्र सरकार से जो रूपया मिलेगा उससे राज्य की जो वेज एण्ड मीन्स की पोजिशन है, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें निश्चित रूप से सुधार आएगा। इसकी मांग हम बराबर करते आये हैं और मैं चाहूंगा, संसदीय कार्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इसकी तरफ से एक संकल्प इस सदन के अंदर लिया जाए राजस्थान राज्य का एक विशेष दर्जा देने की इसमें मांग की जाए। एक सर्वसॅम्मत प्रस्ताव पारित करके राज्य की तरफ से केन्द्र सरकार को भेजा जाए जिसमें यह मांग की जाए जो हमारे मंत्री जी ने वहां मांग की है पूर्व मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी और श्री अशोक जी गहलोत, बराबर मांग करते रहे है, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ताकि यह सर्वसम्मति से प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जा सकें, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, मुझे समय दिया गया है पहले।

श्री टीकमचंद कान्त : सभापति महोदय, मेरा भी अनुरोध है।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया : मुझे समय दिया है। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत : राज्य को विशेष दर्जे की बात चली रही है वह बात चर्चा करो न पहले।

श्री रामप्रताप कासनिया : कहां मंत्रीजी बीच में आ गये ।

श्री अध्यक्ष : पढिये आप। (व्यवधान)

श्री टीकमचंद कान्त : हां, मैं इसी बार बोल रहा हूं।

बकाया आबियाना शुल्क जमा कराने के नोटिस

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए लोग किसान-किसान की आवाज तो बहुत लगाते हैं पर जब किसान के हित की कोई बात होती तो सुनना ही पसंद नहीं करते। कल माननीय कल्ला साहब भी बोल रहे थे, माननीय मुख्य मंत्री जी भी बोल रहे थे, मैं यह सोच रहा था कि संवेदनशील सरकार है। काश्तकारों के पिछली छह-छह फसल के आवियाने इकट्ठे हो गये, जो सिंचाई कर लगता है, अकाल के कारण से, सरकार की गलती के कारण से आवियाना इकट्ठा हुआ है। अब सारे आवियाने छह-छह फसल के इकट्ठे हो गये, तब काश्तकारों को नोटिस दिये जा रहे हैं कि आप पाँच दिन में पैसा जमा कराओं, नहीं तो आपकी पानी की बारी काटी जाएगी। सभापति महोदय, यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, बहुत छोटी सी मांग है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवदेन करना चाहूंगा कि अगर आप संवेदनशील सरकार है तो आप काश्तकारों का आवियाना माफ करें तब मैं पुरजोर शब्द से आपका समर्थन करूंगा गांव में गलियों में विधान सभा में, सब जगह आपका धन्यवाद करूंगा। और अगर आपने काश्तकारों का आवियाना माफ नहीं किया जो आपके जीतने वाले विधायकों ने भाषण दिये हैं, बहुत सी जगह उन्होंने कहा है कि हम आवियाना करवाएंगे। सभापति महोदय,

(श्री रामप्रताप कासनिया)

इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने गरीबों के आवंटन के ऊपर एक लाख रूपये लगता था जो बढ़ा करके चार लाख रूपये कर दिये। मैं राज्य सरकार से यह भी मांग करना चाहूंगा कि अगर आप संवेदनशील सरकार है, काश्तकारों के पक्ष में हैं तो पूर्व में जो कीमतें थी एक लाख रूपये, वहीं बरकरार रखें। एक श्रेणी के काश्तकार हैं, एक तो आपने एक मुरब्बा एक लाख में आवंटन कर दिया, उसी श्रेणी के काश्तकार को आप चार लाख रूपये में मुरब्बा आवंटन करने जा रहे हैं, बड़े दुःख की बात है, यह भेदभाव नहीं चलेगा, सभापति महोदय। अगर किसानों के हित की सरकार है तो किसानों के पक्ष में यह निर्णय करके दिखाओं, मैं दोनों हाथों से सरकार का समर्थन करूंगा और मेरे साथी जो निर्दलीय हैं उनसे भी निवेदन करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया।

राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा

श्री टीकमचंद कान्त : सभापति महोदय, इस प्रदेश को देश में विशेष दर्जा दिया जाए मैं भी यह चाहता हूं, सारे लोग यह चाहते हैं, प्रजा यह चाहती है। राजस्थान की संस्कृति पुरानी, राजस्थान पुराना है, उसका इतिहास गौरवशाली है परन्तु राजस्थान पिछड़ा हुआ है..

श्री सभापति : किस बात पर बोल रहे हैं आप, इसके बारे में तो हो गया हो गया न यह तो, संकल्प आएगा अब।

श्री टीकमचंद कान्त : राजस्थान पिछड़ा हुआ है उसी पर आपको कह रहा हूं मैं। राजस्थान पिछड़ा हुआ है, राजस्थान शैक्षणिक, आर्थिक सामाजिक सभी दृष्टियों से पिछड़ा हुआ है, राजस्थान के अन्दर प्रति व्यक्ति आय कम है...

श्री सभापति : यह तो राजेन्द्र सिंहजी के प्रस्ताव को..

श्री टीकमचंद कान्त : ऐसे मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, सभापति महोदय...

श्री सभापति : सुनिये, सुनिये आप।

श्री टीकमचंद कांत : कि हम सब मिल करके, पूरा सदन मिल कर राजस्थान को विशेष दर्जा देने की बात कहें, एक संकल्प लें। भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजें या संकल्प लें। धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह जी ने प्रश्न उठाया और हमारे नाथूसिंह जी ने, हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी और टीकमचंद जी ने, आप सबने बात कही, सबको यह भलीभांति विदित है कि हमारी राज्य सरकार चाहे बी.जे.पी. की रही, चाहे कांग्रेस की रही हो सभी मुख्य मंत्रीगण इस बात का निरन्तर प्रयत्न करते रहे हैं और इस पर राज्य की पूरी सहमति रहती है। कांग्रेस के राज में भी अगर कांग्रेस सरकार गयी तो हम भी गये, हमने भी हमारे ज्ञापन में राज को विशेष दर्जा देने की मांग की। अब बी.जे.पी. के राज में कांग्रेस के माननीय सदस्य गये, उन्होंने भी विशेष दर्जा देने की मांग की। इसलिए एक बात स्वतः स्पष्ट है कि इस पर पूर्ण सहमति है और हम संकल्पबद्ध हैं स्वयं इस बात के लिए कि हमको यह मिलना चाहिए। उसके कारण जो आये हैं उन कारणों का भी मैं खुलासा नहीं करना चाहता, क्योंकि सब जानते हैं कि रेगिस्तान है, सब जानते हैं कि पहाड़ी इलाका भी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारी माननीय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने इसमें पहल की है, तीन दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्रीजी से मिली और प्रधान मंत्री जी ने आदेश दिया है वित्त मंत्रीजी को कि राजस्थान को इस सम्बन्ध में विशेष दर्जा देने के प्रावधान शीघ्र से शीघ्र तैयार करें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब भारत सरकार सिद्धांन्ततः हमारी बात से सहमत हैं और राज्य सरकार इसके लिए प्रयत्न कर रही है तो कुछ समय हम इंतजार कर लेते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संकल्प लेने में क्या दिक्कत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : संकल्प है, ऑलरेडी है। संकल्पबद्ध है, हम संकल्पबद्ध स्वयं हैं। मैंने कहा कि जब-जब हमने ज्ञापन दिये हैं, जब जब कांग्रेस पार्टी ने वित्त आयोग को दिया है हमने उसका समर्थन किया है, हमने दिया कांग्रेस ने समर्थन किया है। राज्य की जनसता इसमें संकल्पबद्ध है, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि सरकार को संकल्प में भी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन प्रधान मंत्रीजी ने जब आदेश दिये हैं, वो पूरा हो जाने दीजिये उसके बाद हम सब मिल कर इस पर कार्यवाही करेंगे। माननीय सदस्यों ने मुद्दा उठाया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी, संसदीय कार्य मंत्री वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक मिनट कह दूं, अगर आपकी अनुमति हो। प्लानिंग कमीशन की बैठक के अन्दर, वित्त मंत्रियों की बैठक के अन्दर, नेशनल डवलपमेंट कौन्सिल की बैठक हुई सब जगह यह मामला उठा, इसके अन्दर प्रधान मंत्री जी ने , निश्चित रूप से उनकी सदभावना है, केन्द्रीय वित्त मंत्री जी को निर्देश दिये हैं, यह भी आज अखबारों में पढ़ा, लेकिन यह जैसा चूरू से आने वाले सम्माननीय सदस्य कह रहे थे, इतना आसान काम नहीं है। बराबर मांग हो रही है, अन्य राज्य भी स्पेशल कैटेगरी के अन्दर जाना चाहते हैं। उसका कारण क्या है कि प्लान असिस्टेंस के रूप में 90 प्रतिशत पैसा उनको मिलेगा। इसलिए हर राज्य की इच्छा हो रही है कि हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के रूप में ट्रीट किया जाए। यह इतना आसान काम नहीं है कि आप...

श्री सभापति : आप तो पहले जो कह गये उस पर ही कायम रहें आप तो जो पहले कह गये उस पर ही कायम रहें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं उस बात पर आ रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, अगर यह संकल्प पारित हो जाता है सर्वसम्मति से सदन का तो सम्माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो मांग रखी है उसमें उनको बल मिलेगा और भारत सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा। हमारे संकल्प पर, हमारे प्रस्ताव पर, हमारी मांग के ऊपर उनको निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक और जोरदारी से विचार करने का एक अवसर मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा कठिन कार्य है। संकल्प आप विचार कर लें, अगर अभी नहीं तो आपका वोट ऑन अकाउंट आने वाला है वोट ऑन अकाउंट के दिन आप लें आएं, 5-7 दिन बाद ले आएं। 10 दिन बाद लें, आएं आप विचार कर लें। क्योंकि अगर संकल्प पारित हो जाता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार का पक्ष मजबूत होगा। राज्य के हित के मामले में जब कांग्रेस पार्टी इतनी जोरदारी से अपील कर रही है, आपसे अनुरोध कर रही है तो उसको आपको स्वीकार करते हुए संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए, यह मेरा आपसे अनुरोध है। आप चाहें तो थोड़े दिन इंतजार कर लें, वोट ऑन अकाउंट के वक्त कर लें इस कार्य को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डल) : पण्डित जी, एक मिनट यह जो विषय राजेन्द्र सिंह जी ने उठाया, दरअसल बहुत ही सुन्दर आपका प्रस्ताव है। मैं इस पर बोलना चाहता था, लेकिन हमारे साथ ही प्रद्युम्न सिंह जी ने सब बातें जो मैं कहना चाहता था, यहां पर कह दी। 12वां वित्त आयोग जब यहां पर आया था उस वक्त में मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एपियर हुआ था और हमने सब पाइंटों पर बात कही थी। उस समय रंगराजन साहब जो 12वें वित्त आयोग के चैयरमैन हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि वो सारे फैक्ट्स अबेलेबल हैं, राजस्थान के सामने, स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनाने के लिए यह किया जाना चाहिए। उनके अपने भाषण में उन्होंने कहा था, बाद में शायद वो रिकार्ड हुआ या नहीं हुआ, यह मालूम नहीं लेकिन मुझे मालूम है, मैं सभापति महोदय, यह प्रस्ताव करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आप अगर संकल्प लेकर यहां से जाएंगे तो जो कार्यवाही मुख्य मंत्री जी कह रही है, जो प्रधान मंत्री जी की मंशा है उसको और ताकत मिलेगी कोई दिकक्त नहीं है। आप इस संकल्प को लाने से क्यों इंकार कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। आप संकल्प लीजिये, सारा सदन इसमें एक प्रकार से एकमत है किसी की दो राय नहीं है। चाहे, जैसा प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा, आज अगर बहुत जल्दी में है, नहीं करें, तो कम से कम जब आप वोट ऑन अकाउंट लें तब कर दीजियेगा। एक बात में कहना चाहता हूं कि जो आपकी आज प्रोसीडिंग्स है, इस विषय पर उस प्रोसीडिंग्स के माध्यम से एक पत्र जरूर आज लिख दिजियेगा, मुख्य मंत्री जी की तरफ से पत्र चला जाना चाहिए कि यह हाउस एकमत है इस बारे में सबसे बड़ी बात यह है, जैसा प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा कि एक साल के अकाल में, सभापति महोदय, हमारी इकोनोमी को फिर से लाने में कम से कम तीन साल लग जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। आज हमारा कर्जा बढ़ा उस कर्जे के वक्त में, कल बोलना नहीं चाहता था लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ा कारण हमारा यह है कि एक-एक साल में 1600-1600 करोड़ रूपये हमकों खर्च करने पड़ते हैं अकाल के मामले में हमारी डिलीवरी आफ सर्विसेज को हमको पहुंचाने में वहां पर बहुत दिक्कत आती है। बॉर्डर एरिया है हमारा, आप एक किलोमीटर में स्कूल देना चाहते हैं, आप बाड़मेर, जैसलमेर में एक किलोमीटर में स्कूल दे नहीं सकेंगे। 10-0-15-15 किलोमीटर के बीच में स्कूल नहीं है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि सबका जो

(श्री शिवचरण माथुर)
प्रयत्न है अपना मिला जुला मुख्य मंत्री जी का, हमारे उपराष्ट्रपति जी का और हमारे मुख्य मंत्री जी जो पहले थे अशोक गहलोत जी का बहुत उन्होंने प्रयत्न किया है, सब जब एकमत हैं तो उसमें संकल्प लेने में आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, अब क्या है, सब इसमें हो गई बात, सरकार की तरफ से मैंने कह दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप पत्र लिखने की बात कह दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं पत्र की क्या जरूरत है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को यदि सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आज शुक्रवार का दिन है और प्राइवेट मैम्बर्स डे प्रायः :- प्रायः रहता नहीं है, सदन का कोई भी माननीय सदस्य ले आएँ और उसको विधान सभा सर्वसम्मति से पारित कर दे। यह बात सही है, जैसा पूर्व मुख्य मंत्री श्री माथुर साहब ने और राजा खेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि राजस्थान में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र नाथ-ईस्टर्न जोन को जो विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है, वहां पर पीने का पानी तो है, हमारे राजस्थान में पीने का पानी ही नहीं है। और हकीकत में बिजली के तार पहुंचाने में, सड़क पहुंचाने में, पानी पहुंचाने में, स्कूल खोलने में, हास्पिटल खोलने में कितना खर्चा आता है, यह अपने-आप में देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब यह बात आ ही गई है तो किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रस्ताव है उसको रख कर सर्वसम्मति से पास कर दें ताकि...,

श्री सभापति : प्रस्ताव तो सदन के नेता की तरफ से आना चाहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, कोई प्राइवेट मैम्बर भी यदि प्रस्ताव लाए और सदन पास करना चाहे तो कर सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप ले आते तो कौन मना कर रहा था ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं यही कहना चाहता हूं कि आप..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बात कह रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक सैकंड, में अपनी बात पूरी कर दूं। आज इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जल्दी कार्यवाही करनी है, बिल पास कराना है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, यह चर्चा सदन में आयी है तो इस बारे में...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चर्चा काफी हो गयी इसमें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अच्छा। मैं, सभापति महोदय, खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि इसका या तो सरकार प्रस्ताव ले आएं, नहीं तो किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्ताव रखवा कर इसको सर्वसम्मति से भिजवाया जाना चाहिए ताकि पूर्व मुख्य मंत्रियो ने जो एक तरीके से प्रयास किये हैं उनको अमलीजामा मिल सके और राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके ताकि हमारी ऋणग्रस्तता खतम हो सके। हमारे यहां कर्जे पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, मैंने कल ही यह पाइंट आउट किया था कि 6 हजार करोड़ रूपये प्रति वर्ष हमको ब्याज के पेटे चुकाने पड़ते हैं। तो यह ऋणग्रस्तता खतम करने के लिए जरूरी है कि राज्य को विशेष दर्जा मिले ताकि राज्य अन्य प्रदेशो की तुलना में विकासशील राज्य या विकसित राज्य का दर्जा ले सकें।

श्री सभापति : माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी, संसदीय कार्य मंत्री वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

समिति गठन प्रस्ताव

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निदिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति ''क'' के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति ''ख'' के लिय पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-खा (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

वित्तीय समितियों में सदस्यों के मनोनयन सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1), 231(1), सहपठित नियम 232(1) 233-खा (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति ''क'', प्राक्कलन समिति ''ख'' व राजकीय उपक्रम समिति प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है, सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
मैं, यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230(1) , 231(I) सहपठित नियम 232(1), 233-ख(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधिक्त के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे सवीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय,

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2004 को विचारार्थ लिया जाऐ।

श्री सभापति : श्री रामनारायण मीणा-(अनुपस्थित), श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस संशोधन विधेयक को सदन में प्रस्तावित किया गया है, हमने पंचायती राज और स्थानीय निकाय संस्थाओं के सम्बन्ध में बहुत व्यापक रूप से विचार विमर्श पूर्व में किया था। भारत सरकार के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष माननीय श्री वैंकैया नायडू जी ने पूरे देश के पंचायती राज और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों का दो दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में बुलाया

(श्री संयम लोढ़ा)

था और देश के माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहार वाजपेयी जी ने उस वक्त अपने सम्बोधन में यह कहा था कि स्थानीय निकायों और पंचयती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिहाज से देश में स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक ऐतिहासिक पहल की थी और उस पहल को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। बाद में लोक सभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर कांग्रेस शासित राज्यों में विधान सभा के विशेष सत्र आहुत किये गये थे।

माननीय सभापति महोदय, पिछली विधान सभा में इसी सदन में बहुत व्यापक रूप से इस विषय पर चर्चा हुई थी। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विषय पर संशोधन विधेयक लाया गया है उसके सम्बन्ध में पिछली सरकार के वक्त ही अध्यादेश जारी किया जा चुका है। वैसे तो सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है लेकिन इसका दायरा बहुत सीमित है। सभापति महोदय, अभी ऐसा कोई अवसर उपस्थित नहीं हो रहा है कि जल्दबाजी में इस विधेयक को पारित करने की आवश्यकता पड़े। हम सबकी जानकारी में है कि इसके आलावा भी और प्रावधान इन स्थानिय निकायों को मजबूत करने के लिहाज से किये जाने चाहिये। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया गया है उसको भी यथावत रखा जाए लेकिन इसके साथ ही इस बात प्रावधान और लायें जाएं। राजस्थान की नगर पालिकाओं में कांग्रेस सरकार के माध्यम से सदस्यों के मनोनयन का जो प्रावधान है, और जो मनोनित किये थे, मौजूदा सरकार ने उस समस्त नगर पालिकाओं में मनोनीत सदस्यों का मनोनयन रद्द किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने प्रत्येक नगरपालिका में अनूसूचित जाति के एक-एक सदस्य का मनोनयन किया था।

(समय : 13.56 बजे)

(डा. एन. एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, सरकार को इस बात का भी प्रावधान करना चाहिये कि राजस्थान की समस्त नगर पालिकाओं में जो मनोनयन किये जाते हैं, जहां 20 और 15 की नगर पालिका है वहां दो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और जहां 25 की नगर पालिका है वहां तीन सदस्यों का मनोनयन किया जाता हे, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का भी कानून में प्रावधान किया जाना चाहिये। कि उन मनोनीत सदस्यों में एक सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति का मनोनीत किया जाएगा।

सभापति महोदय, इसके अलावा जब पिछली विधान सभा में दो दिवसीय चर्चा हुई थी तब यह चर्चा की गई थी कि राजस्थान में जो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होता है वह चुनाव का तरीका भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है और यह तय किया गया था कि आने वाले वक्त में नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से करवाये जाऐंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं, अब नगर पालिकाओं के चुनाव में मात्र 7-8 महीनों का समय शेष है, इसलिए सरकार इस बात का भी कानून में प्रावधान करे कि नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव मध्य प्रदेश की भांति प्रत्यक्ष पद्धति से कराया जाएगा जिससे पार्षदों की खरीद-फरोख्त और जो भ्रष्टाचार होता है उसको रोका जाएं। सभापति महोदय, चूंकि इन सब बातों का प्रावधान नहीं किया गया है इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब प्रावधान करने के लिये संशोधन विधेयक में आवश्यकता प्रस्ताव लाये जायें और इसलिए मैं इस संशोधन विधेयक का जनमत जानने के लिये परिचालित करने का आपसे निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री प्रहलादजी गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामंगजमण्डी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, कि राजस्थान नगर पालिका(संशोधन) विधेयक, 2004 की चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया सभापति जी, मैं यहां यह बताना आवश्यक समझता हूं कि यह विधेयक जिसको हम आज सदन में पेश करने जा रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लाया हुआ एक अध्यादेश है। इस अध्यादेश को लाने के पीछे जो पूर्ववर्ती सरकार की मंशा रही, मैं उसके कारणों का उल्लेख करना चाहता हूं।

(14.00 बजे)

(श्री प्रहलाद गुंजल)

1998 के आम चुनाव में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को प्रचण्ड बहुमत दिया उसके तुरन्त बाद राजस्थान में लोक सभा के चुनाव हुए, पंचायती राज और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। राजस्थान की जनता ने इसको नकार दिया...(व्यवधान)

श्री रमेश खींची : माननीय सभापतिजी, संशोधन पर बोलें, यह क्या बात है?

श्री प्रहलाद गुंजल : उसी पर बोल रहा हूं। (व्यवधान) उसी पर बोल रहा हूं, माननीय सदस्य । आपके सदस्य बोले तब मैं बीच में नहीं बोला। पार्लियामेंट तो देश की सर्वोच्च संस्था है, वह इस क्षेत्राधिकार से बाहर है इसलिये उस पर इनका बस नहीं चला।

श्री रमेश खींची : सभापति महोदय, इनको जरा समझा दें, संशोधन पर बोलने की बात है।

श्री प्रहलाद गुंजल : संशोधन पर ही बोल रहा हूं, साहब, उस अध्यादेश की मंशा स्पष्ट करना जरूरी है, जिसको पहले सदन में लाया गया। पंचायती राज संस्था...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस बिल को परिचालित करने का प्रस्ताव है, आप बिल के सम्बन्ध में ही बोलें। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : उसी पर बोल रहा हूं। उसी पर बोल रहा हूं, साहब।

एक माननीय सदस्य : भूमिका बना रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल : नगरपालिका स्वायत्त शासन संस्था है, स्थानीय निकाय, जिसके चुनाव में जनता की भागीदारी होती है। चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी की रहे, हम जनता के बीच में जब जाते हैं इस प्रकार की बात करते हैं कि स्थानीय निकाय को मजबूत करेंगे और उनके क्षेत्राधिकार को बढ़ाएंगे, उनको शक्ति देंगे, उनको ताकत देंगे। लेकिन, सभापति महोदय, यह अध्यादेश जो पिछली सरकार लेकर आयी,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कौनसी मंशा को दर्शाता है ? नगरपालिकाओं के चुने हुए अध्यक्षों को हटाकर पिछले दरवाजे से उन पर कब्जा करने की मंशा से सरकार इस अध्यादेश को लेकर आयी। मैं इसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, लिखा है खण्ड-2 के परन्तुक में, किसी ऐसे अध्यक्ष जो अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये या महिलाओं के लिये आरक्षित किसी पद पर निर्वाचित किया गया हो के पद का कार्यभार, मैं ध्यान चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, राज्य सरकार के आदेशों से ऐसी रीति से हम, बात करते हैं प्रजातंत्र की नींव बहुमत पर टिकी है, कोई बहुमत का अध्यक्ष अयोग्य करार दिया जाए, उसका चार्ज देने के लिये ये राज्य सरकार के निर्देश कहां बीच में आ गये ? सीधी-सीधी मंशा थी कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई संस्थाओं को जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित अध्यक्ष बैठें, हटा दिया जाए और उन पर पिछले दरवाजे से कब्जा करके सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को अध्यक्ष बनाकर लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए। मैं ध्यान चाहता हूं, सभापति महोदय, इसके बाद एक सिलसिला प्रारम्भ हो गया, भारतीय जनता पार्टी की समर्थित नगर-पालिकाओं के अध्यक्षों को हटाने का। लेकिन उनके कुत्सित प्रयासों को सफलता तब नहीं मिली जब 12वीं विधान सभा के चुनावों की आचार-संहिता लागू हो गयी, वरना प्रजातंत्र की छोटी संस्थाओं में दमन-चक्र चलाकर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में पार्षद दल का अधिकार है मनोनयन का, नगर-पालिकाओं को, स्थानीय निकायों को मजबूत करने की बात करने का दावा करने वाली पिछली सरकार की ऐसी कौनसी मंशा थी जिसके कारण स्थानीय निकाय में बहुमत दल के पार्षदों के मनोनयन का अधिकार छीना गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। थोड़ा जल्दी करें।

श्री प्रहलाद गुंजल : क्या साबित करना चाहती थी पिछली सरकार ? उनके कौन से हितों की साधना हो रही थी इस निर्णय में ? लोकतंत्र की मंशा के विपरीत काम करने वाली सरकार....

श्री सभापति : समाप्त करें, प्लीज।

श्री रमेश खींची : यह बिल है, बिल पर बुलवाएं आप।

श्री मांगीलाल गरासिया : फिर हम अपने भाषण दे देते हैं। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : इनको बता दें कि जो बिल आया उस पर संशोधन... (व्यवधान)

श्री सभापति : यह काम मेरा है, मैं कर रहा हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : येआपके कार्यों को रो रहे हैं (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया : कर्म कोई खराब होते हैं क्या, धर्मपाल जी, बारबार आप कर्मों की बात करते हैं। किसी दिन बड़ी तकलीफ होगी, जिस दिन आपके कर्मों का ...(व्यवधान) ऐसी क्या बात करते हैं कर्मों की ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विषय पर बोलें और समाप्त करें, सीमित है।

एक माननीय सदस्य : इसका मतलब आप चाहते नहीं है, एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोग इस पर आएं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य सीमित है यह, जरा समाप्त करें। सीमित विषय है।

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं जानता हूं, सभापतिजी, इस अध्यादेश को सदन में बात करने की हमारी सरकार की मंशा साफ है।

श्री सभापति : इसमें जनरल भाषण नहीं है, माननीय सदस्य, इसे समाप्त करें प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : पहली बार आये हैं, इसलिये बोलने दें।

श्री सभापति : पहली बार आये हैं लेकिन विषय सीमित है। पहली बार आये हैं तो बोलने दिया जाए, यह क्या है ? आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है।

श्री प्रहलाद गुंजल : सरकार की नीयत साफ है। लेकिन पिछली सरकार ने इस अध्यादेश में जनमत की अवहेलना की है उस विषय को इसमें उद्धत किया जाना चाहिए। आसन की आज्ञा है इसलिये मैं तो इतना निवेदन करना चाहता

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हूं कि हमारी सरकार की पिछड़े, कमजोर वर्गों को लाभ देने की मंशा है, उचित है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें, प्रभारी मंत्रीजी, उत्तर दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, इसमें माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा जी ने और माननीय श्री प्रहलाद गुंजल जी ने जो जनमत जानने के लिये कहा है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर, 2003 को सभापतिजी, आप तो ज्ञाता हैं, इस कानून का बनाते समय में भी आपके साथ था थेड़ा सा, लेकिन आप इसके ज्ञाता हैं, पंचायत एक्ट में यह प्रावधान है। हमने जो रिजर्वेशन किया है अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. और महिलाओ के लिए, कई जगह इस प्रकार की बात ध्यान में आयी, जैसे अनुसूचित जाति की महिला है, या जनजाति, ओ.बी.सी. का कोई चेयर-पर्सन है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने के बाद में दूसरे वर्ग के व्यक्ति जो उपाध्यक्ष थें या अन्य पद पर थे, वे चेयर-पर्सन हर आ गये, और इस प्रकार से जो कानून की मंशा थी वह मंशा पूरी नहीं हो सकी। इसलिये पिछली सरकार मैं, माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार एक सतत् प्रक्रिया है, व्यक्ति बदल जाते हैं, इसलिये पिछली सरकार का हो चाहे वह सरकार हो, आर्डिनेंस जिसे अब हम विधेयक के रूप में ला रहे हैं तो सरकार सरकार है, और माननीय गुंजल साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा के सरकार की कोई मंशा नहीं है। हमारी मंशा जो हमने सबसे पहले, राजस्थान में माननीय भैंरोसिंह जी शेखावत ने अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. और महिलाओं के लिये आरक्षण किया था उसमें एक कमी रह गयी। पंचायती राज में यह प्रावधान पहले से थे क्योंकि पंचायती राज के मंत्री, सभापतिजी, आप थे, आपने यह प्रावधान करवा लिया था लेकिन नगर-पालिका में रह गया था। कई प्रकार के मुकदमें हुए वे सब हुए उसके बाद में 69 में और 78 में यह प्रावधान किया गया है। इसलिए जो विधेयक है इसे जनमत जानने के लिये परिचालित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर-पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

जो पक्ष में हों, हां कहें।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

श्री अमराराम (धोद) : हां हो गयी।

श्री सभापति : मैं वापस बोल रहा हूं। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, बैठिये आप। माननीय सदस्य खड़े नहीं रहेंगे, बैठिये। आप अपने स्थान पर बैठिये। मैं पुनः पूछ रहा हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभपति महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वापस प्रावधान नहीं है।

श्री सभापति : वोट के लिये रख रहा हूं, आपने ले लिया, ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आपने वोट के लिये ले लिया तो वोट होने दिजिये।

श्री संयम लोढ़ा : आपने बोलने नहीं दिया, मैं तो पहले ही खड़ा हुआ था।

श्री सभापति : नहीं, आपने ले लिया, ठीक है , अच्छा है, लेकिन बाकी का भी है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी ने रखा ही नहीं, प्रस्तुत ही नहीं किया आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले रख दिया था मैंने प्रस्ताव विचारार्थ का। प्रस्ताव उसके साथ ही रख दिया था, पहले रख दिया।(व्यवधान)

श्री सभापति : पहले रखा था, पहले रख दिया गया।

श्री अमराराम (धोद) : पहले कब रख दिया ? आपको परिचालित को निरस्त करने के बाद प्रस्ताव करना चाहिए था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले रख दिया था।

श्री सभापति : ऐसा है विचारार्थ लिया गया तब ही तो संशोधन उन्होंने दिया है। नहीं रखा होता तो काहे को लाते ? यह बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको तो चार टर्म हो गये, माननीय सदस्य। आपको चार टर्न हो गये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रारम्भ में रख दिया था।

श्री सभापति : यह रख दिया, मंत्री महोदय ने रख दिया। माननीय मंत्रीजी, बैठ जाइये। रख दिया। मैंने व्यवस्था दे दी।

विधेयक पर खण्डश: विचार

खण्डश: विचार।

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3, श्री महीपाल मदेरणा संशोधन प्रस्तुत करेंगे। श्री महीपाल मदेरणा।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक में जो मैंने प्रस्तुत किया है, वह प्रोविजो में, क्लाज-3 में है। क्लाज-3 में अगर आप पढ़ेंगे-

"........When the office of a Chairman reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes or for Women becomes vacant the powers, duties and executive functions of the Chairman shall be delegated...."

वर्ड यहां पर यह आना चाहिए था;

"as per the direction of the State Government."

मैं इसलिये कह रहा हूं मंत्री महोदय, अगर 69 (ए), सब क्लॉज4(ए) को पढ़ेंगे, उसको मैं पढ़ा रहा हूं

"(a) In the case of a Chairman, to the Vice-Chairman and if there be no Vice-Chairman, to such Member as the State Government may direct."

If you will not add this amendment to this clause iii of provison (79) then the powers will remain with the Board only and...

बोर्ड के पास रहेगा। इससे डिक्टोकोमी रहेगी। काण्ट्राडिक्शन रहेगें। और कांट्राडिक्शन के कारण इन दोनो संस्थाओं में कनफिलक्ट रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास यह अधिकार रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट आदेश पास कर देगी।

There may be any vacancy from any point, It may be from Backward Classes, it may be of a woman, it may be of a Vice-Chairman or Chairman.

बल्कि आप जब सम्पूर्ण रूप से पढ़ेंगे तो बोर्ड के पास के पावर रहेंगे कि फंक्शन एण्ड पावर इसको दिये जाएं कि नहीं दिये जाएं अगर आपकी यह डिक्टोकोमी रह गयी तो हर समय बोर्ड के और गवर्नमैंट के झगड़ा चलता

(श्री महीपाल मदेरणा)

रहेगा। मैं इसीलिए इस संशोधन प्रस्ताव को लाया हूं कि आप अण्डरस्टेड करें, 79 के सब क्लाज-ए को देखिये, जिसमें आपने प्रेस्क्राइब कर दिया।

There was no need of giving this proviso. These are already in the rules.

रूल्स में है पंचायती राज में कहीं नहीं है। पंचायती राज में कहीं नहीं है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट के भाई हैं या वीमेन हैं, नहीं होंगे तो क्या करेंगे फिर ?

You will not be able to create a vacancy there.

मैम्बर्स की वेकेंसी आप क्रिएट नहीं कर सकते। मान लिजिए कि किसी वजह से वेकेंसी क्रिएट हो गयी, यह तभी पोजीशन आएगी जब चेयरमैन औरव वाइस चैयरमैन की बात आएगी और जिसके लिए रिजर्व है उसके लिए बात आएगी, अगर आप चाहें तो दोनों को पढ़ेंगे, आपका जो परपज है, इस बिल को पास करने का, इसमें कॉण्ट्राडिक्शंस रहते चले जाएंगे। दोनों संस्थाओं में चलेंगे। अनमाइंडफुल रहेगा। अनमाइंडफुल के साथ लिटीगेशंस बढेंगे। आप बहुत सारे लिटिगेशंस बढ़ा देंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो मेरा संशोधन है, और मेरी तो यह भी बात है,

Why the State Government wants to have the powers. When you want...

कांस्टीट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से होनी चाहिए तो आप जो यह प्रक्रिया लगी हुई है, इलेक्शन होने के बाद बोर्ड में ही रहनी चाहिए और उन्हीं संस्थाओं में रहनी चाहिए। या इस अमेंडमेंट को मत मूव करो बिलकुल मूव मत करों। अमेडमेंट को तो स्वीकार करेंगे तो आपके लिए ही ठीक रहेगा। इसीलिए मैं लाया हूं कि इसमें यह दोनो आपके रह जाएगी। दोनों को आप करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के डाइरेक्शन को उस बोर्ड को मानना आवश्यक होगा इसीलिए यह अमैंडमेंट मैंने आपको दिया है।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्रीजी, उत्तर दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, माननीय महीपाल जी मदेरणा ने जो यह संशोधन दिया है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। वैसे तो कहते हैं कि मैं सरकार को ज्यादा मजबूत करना चाहता हूं लेकिन सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी. के लोगों को ज्यादा मजबूत करना चाहती है, यह फर्क है। आपकी भावनाओं के लिए आपको धन्यवाद।

श्री महीपाल मदेरणा : नहीं सरकार ने डिसीजन ले लिया, मान लिजिए आपका भी ध्येय रहेगा कि अनुसूचित जाति के लोगों को वीमेन को शिड्यूल्ड कास्ट को, जिसके लिए यह पोस्ट निर्धारित है, उसकों लेंगे, अगर डिसीजन ले लेंगे कि इसको अध्यक्ष बनाया जाए, जब आप 69 (A) सब सैक्शन IV (a) में हैंडिंग ओवर चार्ज का डाइरेक्शन देंगे, बोर्ड के पास जाएगा और यहां पर अगर बोर्ड के पास पावर रह गये तो बोर्ड आपके आदेश को नहीं मानेगा। इससे आपके और उनके बीच कॉण्ट्राडिक्शंस रहते रहेंगे और कई महीनों तक वह चेरमैन का पद नहीं सम्भाल सकेगा, जो कि आपकी मूल भावना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, में यह साफ कहना चाहूंगा कि दो क्लॉज साफ-साफ हैं- एक 69 में, जिसमें राज्य सरकार को एक महिने के लिए चार्ज देने का अधिकार है। फिर है नगरपालिका को, वह अपना एक महिने के अन्दर चुनाव करके उस वर्ग के व्यक्ति को दे दें। इसमें कोई कॉण्ट्राडिक्शन नहीं है। अगर यह स्वीकार कर लेते हैं तो दोनों में एक ही भावना हो जाएगी, 69 में भी और 78 में, वह हमारा परपज पूरा नहीं करेगा। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इसको अस्वीकार किया जाए। मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इसे वापस लेना चाहते हैं ?

श्री महीपाल मदेरणा : वापस ही लेंगे, और तो क्या करेंगे ? माने ही नहीं है

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करो।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-3 में श्री महीपालजी मदेरणा ने ज़ो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको वापस लेने की उन्होंने अनुमति मांगी है, क्या यह अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलिये। संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : महीपाल जी, बोलिये, खड़े होकर बोलिये कि वापस लेता हूं।

श्री महीपाल मदेरणा : हां, मैं संशोधन वापस लेता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले ही बोल दिया आपने। पहले अनुमति नहीं दी थी, अब बोलिये।

श्री महीपाल मदेरणा : हां, अभी बोल देता हूं।

You are not accepting it then it is better to take it back.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वापस लेता हूं।

श्री सभापति : संशोधन को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वापस ले लिया गया।

श्री सभापति : ले लिया गया। दे दिया था।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड-3, स्वीकार किया गया।

खण्ड-4, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री घनश्याम तिवाडी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2004 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं। कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाए।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सभापति महोदय सदन के सम्मुख राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 विचारार्थ है, पारंण पर है।

मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपको बधाई देना चाहूंगा कि 74वें संशोधन की मंशा के अनुसार, इस पूरे हिन्दुस्तान में तत्कालीन सरकार ने पिछड़ा वर्ग, शिड्यूल्ड कॉस्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब को नगर पालिका और पंचायती-राज संस्थानों में आरक्षण देने की पहल की थी, उसमें जो छोटी-सी विसंगती रह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गयी थी, उसको दुरूस्त करने के लिए आप यह संशोधन विधेयक लेकर आये हैं। निश्चित तौर पर आप इस विधेयक के माध्यम से नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 69(क) में संशोधन लेकर आये हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, पूर्व में इसमें यह प्रावधान था कि अध्यक्ष का पद अगर किसी भी कारण से रिक्त हो जाए तो उपाध्यक्ष को कार्यभार सम्भाला जाए और उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो जाए तो किसी भी सदस्य को जो चाहे उस संवर्ग से हो या नहीं हो, उसको कार्यभार सौंपा जा सकता है। मैं समझता हूं कि मंशा तो बहुत अच्छी है लेकिन मंत्री महोदय, मैं एक पहलू आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। कोई ऐसा स्थानीय निकाय जहां ओ.बी.सी. की महिला या किसी भी संवर्ग से कोई आरक्षित व्यक्ति चेयर पर्सन है, उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ गया, वह हट गयी। और दूसरी कोई महिला चेयर पर्सन हो ही नहीं, और अगर है तो, सभापति महोदय, इन स्थानीय निकायों में पंच परमेश्वर की बात कहना तो बहुत आसान है पर जिस तरह की गुटबन्दी है, जिस तरह की पार्टीबाजी है, वह छिपी हुई नहीं है। मात्र एक ही महिला है या मान लो दो महिला हैं, एक महिला दूसरे पक्ष की है तो कोई चारा नहीं बचेगा कि दूसरी महिला को उस संशोधन के पारित होने के बाद कार्यभार सौंपा जाए। और दूसरी महिला दूसरे दल से सम्बन्धित है, जिसके पास बहुमत नहीं थे तो मंत्री महोदय, उस स्थानीय निकाय का काम चलेगा कैसे ? इसके लिए इसमें कोई न कोई प्रोविजो जरूर डालें। अगर मान लो एक महिला है, वैसे तो आप शायद आगे लेकर आये हैं परन्तु अगर दूसरी महिला है और महिला दूसरे दल में है और उसके पास बहुमत नहीं थे तो उसके बाद क्या होगा, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए।

मैं समझता हूं, इसके साथ-साथ स्थानीय निकायों को लोकतांत्रिक अधिकार देने की बात बहुत हुई। मंत्री महोदय, आप साक्षी रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने एक बार अधिकार दिया था कि पाँच करोड़ से अधिक की आय और 1991 की जनसंख्या के आधार पर जिसकी 50 हजार से ज्यादा जनसंख्या हो, उसको पाँच लाख तक के पैसे खर्च करने का अधिकार दिया था और उसके बाद उसको विथड्रा कर लिया। यही नहीं, आज की तारीख में 41 नगर पालिकाओं में निर्वाचित अध्यक्ष हैं, जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के लंबे पीरियड में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निलंबित हैं पिछली सरकार चाहे दुहाई कुछ भी देवे, प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, लोकतंत्र के बड़े समर्थक बनते हैं, आज एक छोटा-सा विषय आया था, बड़ा कहा कि किसी प्रधान को निलम्बित कर दिया। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में जनता के निर्वाचित चेयर पर्सन को निलम्बित रखना, मैं समझता हूं इसमें भी कुछ तय करें। जो मैंने आपके सम्मुख मेरे मन की मंशा रखी है, आपकी मंशा बहुत अनुकूल है। मैं भी जो आप संशोधन लेकर आये हैं इसके पक्ष में हूं परन्तु इसके अन्दर संशोधन के पश्चात् अगर उसी संवर्ग का कोई आपको नहीं मिले, और मिलो तो दूसरे दल का मिले, तो बजट पारित होगा नहीं, काम मं बाध्यता आ जाएगी, इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसके बारे में आप बताएं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन विधेयक आया है, सदन ने इसको पास कर दिया। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के पक्ष में एक संदेश गया है सारे राजस्थान में, लेकिन एक संदेश कांग्रेस ने भी दिया है, कांग्रेस की पिछली सरकार ने दिया है। वह संदेश दिया है, नगरपालिकाओं को प्रताड़ित करने का, नगर निगमों को प्रताड़ित करने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चूंगी को खत्म किया था और चुंगी को खत्म करने के साथ-साथ यह वादा किया था कि चुंगी के पुनर्भरण की आय जो होगी उसको प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाकर राज्य सरकार कम्पनसेट करेगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस 10 प्रतिशत का जो वायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, उसको पूरा नहीं किया मैं कहना चाहूंगा कि उसने पुनर्भरण की राशि जो 10 प्रतिशत थी, उसको बढ़ाकर देना था, उसको 5 प्रतिशत कर दिया। आखिर नगर पालिकाएं अपना काम-काज कैसे चलाएंगी। 5 प्रतिशत करके, मेरे पास फीगर्स हैं कि कांग्रेस सरकार ने, सभापति महोदय, 2001-02 में 1763 लाख रूपये की राशि नगर पालिकाओं को कम दी।

(14.23 बजे)

(श्री राजेन्द्र राठौड़, सभापति, पदासीन)

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

सन् 2002-03 में 3.791 लाख की राशि कम दी, 2003-04 में 6,124 लाख रूपये की राशि कम दी। इसका मतलब यह हुआ, सभापति महोदय, कि नगर पालिकाओं में सफाई नहीं हो सकी, बिजली के काम नहीं हो सके, आवारा पशुओं को पकड़ा नहीं जा सका और इसी के साथ-साथ बहुत बड़ा काम जो हुआ वह यह हुआ कि राजस्थान की 50 नगर पालिकाओं में वेतन नहीं मिला। कांग्रेस शासन में 50 नगर पालिकाओं को वेतन नहीं मिला। जिन नगर पालिकाओं में वेतन नहीं मिला उनमें भादरा, बूंदी, प्रतापगढ़, केशवरायपाटन, नैनवां, माण्डल करीब 50 नगर पालिकाओं की सूची है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है। आपके सामने जो विचारार्थ संशोधन है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें तो कहें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं कांग्रेस के काले कारनामे बताना चाहता हूं। यह कहते हैं कि हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं कि हम 74वें संविधान संशोधन में विश्वास रखते हैं हमने नगरपालिकाओं को अधिकार दिये हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया है इन्होंने पिछले 4-5 सालों में क्या किया है, किस प्रकार से नगरपालिकाओं को वित्तीय दृष्टि से प्रताडित करके इनके अधिकारों का शोषण किया है। यह कहते हैं कि केन्द्र सरकार हमको पैसा नहीं देती है, राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं को क्या दिया है यह मैं बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, एक बात और बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों को भी पूरा नहीं किया। संवैधानिक दायित्व है, सैकिण्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन संविधान में वर्णित है,उसकी रिपोर्ट को भी इन्होंने नहीं माना।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया है कि इसमें स्कोप निर्धारित है उसी स्कोप के भीतर आप बोलेंगे तो आपकी बात पर प्रभारी मंत्रीजी जवाब भी देंगे। आप इसको पूरा इतना बड़ा कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, यह पारित होने की स्टेज है, पारित होने की थर्ड स्टेज पर इस सदन की परम्परा रही है कि नगरपालिका से सम्बन्धित जो भी मसले हैं वह उठा सकते हैं इसलिए मैं आपको इस पर पुनर्विचार करने के लिये कहूंगा। वैसे मैं नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहूंगा कि इस प्रकार के मसले उठे, लेकिन व्यवस्था के लिये चाहता हूं कि पारित की स्टेज पर अपन जो भी नगरपालिकाओं से सम्बन्धित विषय हैं इसमें उठा सकते हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि सैकिण्ड सटेट फाइनेंस कमीशन गठित किया गया उसकी रिपोर्ट यह कहती है कि एनटरटेनमेंट टैक्स की आय नगर निगम और नगर पालिकाओं को दी जाएं। यह साफ-साफ कहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार उस एनटरटेनमेंट टैक्स को खा गयी, एनटरटेनमेंट टैक्स की आय का नगर पालिकाओं को नगर निगमों को नहीं दिया। उसी के साथ-साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन ने यह भी कहा था, मैं बताना चाहता हूं

"Second state Finance Commission recommended 2.25% devolution of net tax revenue to PRIS and ULBs. This devolution was distributed between PRIs and ULBs on the basis of their population for the year 1991 which was in the ratio of 76.6.23.4 Apart from the above devolution 15% share of the ecntertainment tax receipt will also be transferred to ULBs. The amount proposed for the year 2000-2001 to 2004-2005 as share of entertainment tax is Rs. 26.99 crores. The over all packages proposed for ULBs was Rs. 199.82 crores."

26 करोड़ रूपया एनटरटेनमेंट टैक्स का नहीं दिया और उसी के साथ-साथ सैकिण्ड फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट के हिसाब से 2000-01 में 29 करोड़ रूपये म्यूनिसिपैलिटी को देने चाहिये उसके अंगेस्ट में इन्होंने दिये 23 करोड़ रूपये, 4 करोड़ रूपये खा गये। कहां ले गये, यह देखिये। इसके बाद में 2001-02 में 34 करोड़ रूपये इनको देने चाहिये थे, इन्होंने दिया केवल 27 करोड़ रूपया। इसके बाद 2002-03 में 39 करोड़ रूपया देना चाहिये था, संवैधानिक दायित्व है आपका, यह आपको देना चाहिये था 39 करोड़ रूपया, इसके अगेंस्ट दिया आपने केवल 27 करोड़ रूपया। इसके बाद 2003-04 में आपको 45 करोड़ रूपया देना चाहिये था, आपने दिया केवल 33 करोड़ रूपया, 11 करोड़ रूपया आपने नहीं दिया।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : इन सबके कारण म्यूनिसिपैलिटी की हालत बदतर हो गयी, खराब हो गयी। आर्थिक दृष्टि से इन्होंने कांस्टीट्यूशनल दायित्व का निर्वहन नहीं किया। आर्थिक दृष्टि से म्यूनिसिपैलिटी को पंगु बनाया, नगर निगम को पंगु बनाया। इसी के साथ-साथ एक बड़ा और काम इन्होंने किया वह यह किया, हमारी सरकार ने यह कहा था, नगर पालिका और नगर निगमों को यू.आई.टीज और जे.डी.ए. से मिलने वाली राशि का उसका लैंड सेल का 15 प्रतिशत भाग उनको देना पड़ता है, एक गवर्नमेंट आर्डर था कि 15 परसेंट राशि उनको मिलेगी, उस आर्डर को इन्होंने बिथड्रा कर लिया। जयपुर नगर निगम को जे.डी.ए. ने कहा था कि एक करोड़ रूपये प्रति वर्ष देंगे। वह दे रहे थे, लेकिन जयपुर नगर निगम को उन्होंने पंगु कर के रख दिया। जोधपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा और अन्य यू.आई. टीज ने नगर निगमों को राशि देना मना कर दिया इस गवर्नमेंट आर्डर के तहत। आखिर म्यूनिसिपैलिटीज अपना खर्चा कैसे चलाएंगी ? कमाने वाले डिपार्टमेंट हैं जिनके पास इनकम आती है, सभापति महोदय, वह तो अपना पैसा खूब लगा रहे हैं, विकास में लगा रहे हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य संक्षिप्त करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : और सेवा वाले विभाग हैं, इनके पास सफाई का काम है, बिजली का काम है, मेंटीनेंस का काम है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। वह आर्डर विथड्रा कर लिया इन्होंने, म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमैन को सस्पैंड कर दिया। जेसा हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे, सभपति महोदय. आपने भी यह मुद्दा उठाया था। 40 से ज्यादा म्युनिसिपैलिटीज सदस्यों को सस्पैंड कर दिया, आखिर यह कांग्रेस किस प्रकार के जनतांत्रिक...

श्री महीपाल सिंह यादव : सभापति महोदय, यह क्या संशोधन के पक्ष में बोल रहे हैं या कुछ सुझाव दे रहे हैं ? भाषण दे रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अभी हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि यह परम्परा रही है औरपरम्परा के अनुसार ही बोल रहा हूं। कांग्रेस ने जो काले – कारनामे किये हैं वह बता रहा हूं। कांग्रेस किस प्रकार से प्रजातांत्रिक ढंग से चलती है, वह बता रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें । माननीय नाथू सिंह जी।

श्री महीपाल सिंह यादव : कौनसा सुझाव दे रहे हैं आप इसमें ? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि म्युनिसिपैलिटीज कैसे चलेंगी, नगरपालिकाएं कैसे चलेंगी, नगर निगमें कैसे चलेंगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : इनको 74वें संशोधन विधेयक... (व्यवधान) पंगु बना दिया गया। यह कैसे चलेंगे ? (व्यवधान) अगर इनको हम पैसा नहीं देंगे। राज्य सरकार... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय श्री नाथूसिंह जी।

डा. एन. एस. गुर्जर. (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, सरकार की और से यह जो संशोधन प्रस्ताव आया है इसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत अच्छी बात है, यह बहुत पहले आना चाहिए था।

सभापति महोदय, पंचायतीराज संस्थाओं में हमारे सामने यह समस्या आयी कि जिस कमजोर तबके को एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और महिलाओं को ...

श्री सभापति : आप जब मंत्री थे तब कि बात कह रहे हैं आप ?

डा. एन. एस.गुर्जर : हां उस समय की बात है। उस समय जब मैं मंत्री था हमारे सामने यह समस्या आयी...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये दोनो कानून इनके है, इनके हाथ से लिखे हुए कानून हैं दोनों।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह पुरा कानून जब हमने बनाया तो जो आरक्षण दिया गया था उसका उद्देश्य यह था कि एक्चुअली में ये चुन कर नहीं आते हैं।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट। सभापति महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य एल.एल.एम. हैं, पी.एच.डी. हैं और यह कानून इन्होंने ही बनाया है, तो यह इस वक्त जो भी सुझाव देंगे वह बहुत महत्वपूर्ण होगा।

श्री सभापति : आपस में चर्चा नहीं।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, उस समय यह इसलिए लाया गया था कि जो बीकर सैक्शंस हैं इनको कई लोग अविश्वास लाकर, क्योंकि जो वाइस चैयरमैन की कुर्सी होती है या उप-प्रधान की कुर्सी होती थी, उस समय पंचायतों में उप-प्रधान होता था या उप-प्रमुख होता था या उप सरपंच होता था, वह किसी सबल वर्ग का व्यक्ति होता था तो वह उसको हटा देता था और उस पर बैठ जाता था लगातार जब तक चुनाव होते थे। इसका कोई प्रोविजन नहीं था इसलिए हमने जांच की अवधि भी सीमित की, चुनाव की अवधि भी सीमित की और उस समय हमने पंचायत राज अधिनियम में यह संशोधन कर दिया। लेकिन गलती से नगर पालिकाओं में उस समय यह नहीं हो सका। आज सरकार यह संशोधन लायी है, मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन एक विसंगति की और आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा, वह हम से भी उस समय गलती रह गयी।

श्री हेमराम चौधरी : गलती से नहीं, स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने नहीं लाये। आप तो एल.एल.एम. थे लेकिन उनके ध्यान में नहीं आया।

डा. एन. एस. गुर्जर : जो भी हुआ होगा, किस तरह से रह गयी, लेकिन वह रह गयी। इसमें एक विसंगति अब भी है जो हमारे ध्यान में उस समय नहीं आयी, बाद में हमारे ध्यान में आयी। उसके बाद इलैक्शन के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी थी, तो हम कुछ कर नहीं पाये, वरना मैं उसमें कुछ अमैडमेंड लेने वाला था।

सभापति महोदय, एक उदाहरण आया चाकसू पंचायत समिति का। आपने भी उस विषय को उठाया है यहां पर।(व्यवधान) नहीं, यहां पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, I am objective not subjective आप भी यहां थे तो आपने यह मामला उठाया था कि वहां पर पंचायत समिति की सदस्य एक अलग पार्टी की थी, पार्टी के आधार पर पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव होते हैं, बहुमत

(डा. एन. एस. गुर्जर)

खिलाफ था लेकिन एक ही महिला एस.सी. महिला वर्ग की थी, वह प्रधान बन गयी। अब उनको वहां पंचायत समिति चलाना मुश्किल हो गया क्योंकि बहुमत खिलाफ था। कोई प्रस्ताव आता तो गिर जाता था। तो यह बहुत दिनों तक समस्या रही। यह जब हमारे ध्यान में आया तो हमने उस पर संशोधन लाने का प्रयास किया कि इसमें क्या लाया जा सकता है। अब इसका क्या अल्टरनेट हो सकता है, इस पर आप विचार करिये। क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट इस समय हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, इस पर मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि आप इसके जो विशेषज्ञ हैं उनको बुला कर इस सम्बन्ध में विचार करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब आपसे बड़ा विशेषज्ञ मुझे कौन मिलेगा ?

डा.एन.एस. गुर्जर : किसी को भी करें, मैं भी सहयोग करूंगा आपका । नगर पालिकाओं में सवर्ण सदस्य हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए कि जहां ऐसी परिस्थिती हो वहां सवर्ण में उस वर्ग की महिला को या उस वर्ग के व्यक्ति को लाया जाए और यदि ऐसी परिस्थिति पैदा हो तो इलैक्शन के द्वारा चुनाव कर दिया जाए या अपाइंटमेंट। मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि आज करिये। आज तो जो है उसको पास करिये, बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन आगे के लिए इस पर विचार अवश्य करें आप। दूसरा, जो जमीन अलाटमेंट होती है या दूसरी...

श्री हेमाराम चौधरी : यह विभाग भी आप ले लो।

श्री रामसिंह विश्नोई : आगे के लिए तो हमारे को करना पड़ेगा।

डा.एन.एस. गुर्जर : आप चिंता मत करिये, इसको हम ही करेंगे। रामसिंह जी, अभी आपको पांच साल इंतजार करना पड़ेगा इसलिए आपको मौका नहीं मिलेगा। देखिये, आगे क्या होगा, मैं नहीं कह सकता हूं। यह भी हमारे लिए यही कहते थे कि 20 साल तक आप नहीं आओगे और हम पांच साल में ही आ गये। इसलिए मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं कि आगे क्या होगा , लेकिन पांच साल के लिए तो गारन्टी है, पांच साल तक तो आप आ नहीं सकते।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपका तो आ गया, तय ही है कि आइन्दा नहीं आओगे। यह तो तय ही है।

डा.एन.एस.गुर्जर : ऐसा नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं नहीं आओगे, लेकिन यह भी नहीं कह रहा हूं आपकी तरह बड़बोलेपन में कि हम सदा इस कुर्सी पर बैठ गये तो सदा इस कुर्सी पर ही बैठे रहेंगे। यह जनता को अधिकार है, वह पांच साल बाद आपको या हमक को यहां बैठाएगी, मैं कुछ दावा नहीं कर सकता हूं। आपका यह घमण्ड ही आपको उधर ले गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : हम चला कर आये हैं। हम चाहते हैं कि आप राज करो, इसलिए हम चला कर आये हैं ।

डा.एन.एस.गुर्जर : अच्छा चला कर के, धन्यवाद।

सभापति महोदय, मुझे दुःख इस बात का है, मैं पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ रहा हूं, उधर जो बैठ जाता है उसके यह गलतफहमी हो जाती है कि हमेशा उधर ही बैठेगा। कभी भी यह गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी : यही मैं कह रहा हूं।

डा.एन.एस. गुर्जर : नहीं, मैं सब के लिए कह रहा हूं। मैं आपसे भी कह रहा हूं हमारे लिए भी कह रहा हूं, सब पार्टियों के लिए कह रहा हूं, यह गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। जनता को अधिकार है, वह किस को किधर बैठाती है इधर बैठाती है या उधर बैठाती है या घर बैठाती है। इसलिए इस पर बहस नहीं है। लेकिन यह जो कह रहे हैं आप इसको लाइये।

दूसरा, यह जो जमीन का अलाटमेंट है, आपने समितियां तो बना रखी हैं लेकिन इसमें केवल मैम्बर्स की समितियां बना रखी हैं जो म्यूनिसिपैलिटी के मैम्बर हैं। यह पंचायत समिति में भी हमारे सामने दिक्कत आयी थी कि जो जमीन उसका अलाटमेंट उसको ठेके पर देना इसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो कमेटी जमीन के अलाटमेंट की बनी हुई है या जमीन किसी को देने की बनी हुई है या उसका आक्शन करने की समिति बनी हुई है, उसमें केवल मैम्बर्स को ही नहीं, दूसरे विभागों के उस म्यूनिसिपैलिटी एरिया में जो दूसरे विभाग है, जैसे मैंने पंचायती राज अधिनियम में किया हुआ था, मैंने उसमें दूसरे विभागों के अधिकारियों को जोड़ा, इस तरह से उस कमेटी में कुछ दूसरों को जोडिये।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आप अपने अनुभव का नोट दे देना, अब तो कोई बात जो कहनी है वह कहें।

डा.एन.एस.गुर्जर : मैं बता रहा हूं इस सम्बन्ध में। देखिये, सभापति महोदय, थर्ड रीडिंग में कोई भी उसमें खामी होती है , उस पर बोल सकते हैं, इसलिए मै बोल रहा हूं । कोई कानून के बाहर या रूल्स के बाहर जाकर नहीं बोल रहा हूं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इसलिए इस पर भी आप विचार करें। पुन: मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और इसका समर्थन करता हूं, इसको पास किया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवर सिंह डांगावास ।

श्री भंवर सिंह डांगावास (मेड़ता) : सभापति महोदय, इस एक्ट में एक यह एम्बीडग्यूटी है कि जिस आदमी के पास चेयर है, यानि जो सभापति है या अध्यक्ष है वह अपने आदमियों से खुद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाता है। वोट ऑफ नो कान्फिडेंस चेयर खुद अपने आदमियो से लाती है और पास कराती है। कारण क्या है कि उसके लाने के बाद दो साल तक जिसके पास मैजोरिटी है वह व्यक्ति नहीं ला सकते और वह दो साल की गारंटी करता है उस कुर्सी पर बैठने की चाहे उसके पास मैजोरिटी न हो। माननीय मंत्री महोदय, इस लॉ की एम्बीग्यूटी का भी सुधार करने की आवश्यकता है।

श्री हेमाराम चौधरी : बात तो सही है लेकिन सम्भव नहीं है।

श्री सभापति : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 जो पहले 07 सितम्बर, 2003 को अध्यादेश के रूप में आया, वह आज बिल के रूप में एक तरीके से रिप्लेस हो रहा है। इसके सम्बन्ध में आरक्षित वर्गों की काफी लम्बे समय से मांग थी कि जिन लोगों के आरक्षित पदों के आधार पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद निश्चित किये हुए है,उनके त्याग पत्र देने के बाद अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने पर उन्हीं वर्गों से वे पद भरे जाएं उसके लिए यह आर्डिनेंस बिल के रूप में आया है। इसके बारे में हमारी कोई असहमति नहीं है, हम इसका समर्थन

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

करते है लेकिन तृतीय वाचन के अवसर पर कई मुद्दे यहां पर उठे। अभी किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कह दी कि पूववर्ती सरकार पैसे खा गई। कहीं किसी ने एक पैसा नहीं खाया है। यह बात जरूर है कि राजस्थान में अकाल और अभाव की स्थितियां रहीं जिसके कारण से मनोरंजन कर का जो पैसा नगर परिषद और नगरपालिकाओं को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया । वे खा गये, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरी बात नगर परिषद और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले, इसके लिए मेरा आपको सुझाव है कि जिन नगर पालिकाओं को चुंगी का पुनर्भरण एक वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था, हमारे वक्त में भी ऐसी विचारधारा चल रही थी कि पिछले पांच–छः वर्षों में उनकी चुंगी का पैसा कितना आया था। उसके आधार पर उसका रिव्यू करने की आवश्यकता है ताकि चूंगी का पुनर्भरण उनकी तनख्वाहों के आधार पर , उनकी पुरानी रेवेन्यू के आधार पर करने के बारे में... (व्यवधान) पहले मैं बोल लूं एक मिनट। विधायी कार्य में भी ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं तो जानकारी करना चाहता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बोल लूं उसके बाद जानकारी ले लेना, दे दूंगा मैं जानकारी।

श्री मोहन लाल गुप्ता : ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आर्थिक स्थिति बिगड़ी। समय पर वेतन नहीं मिलने से कई नगरपालिकाओं में बड़ी परेशानी है।

एक बिन्दु और है। हमारी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को समय-समय पर हम क्रमोन्नत करते रहते हैं। आज 2001 की जनगणना आ गयी है,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)
मैं चाहता हूं और एक बहुत मौजूं बिन्दु है जिसके आधार पर जिन नगर पालिकाओं की स्थिति नगर परिषद बनने की हो गयी है, उन्हें नगर परिषद बनाया जाए। जो नगर परिषदें नगर निगम के लायक हैं, जिनकी जनसंख्या है, जैसे बीकानेर की जनसंख्या नगर निगम के लायक हो गयी है, तो ऐसी जितनी नगर पालिकाएं हैं जो नगर परिषद की योग्यता रखती हैं उनको नगर परिषद बनाया जाए। और जो नगर परिषदें हैं उनको नगर निगम बनाने के लिए आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

राज्य वित्त आयोग की चर्चा हुई। मैं माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसके बारे में काफी प्रकाश डाला। माननीय शिक्षा मंत्रीजी को मैं आग्रहपूर्वक एक सुझाव देना चाहता हूं इस सम्बन्ध में कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को एज इट इज इम्प्लीमेंट करने की कार्यवाही करें चूंकि राज्य के एक माननीय सदस्य केन्द्र में वित्त मंत्री हैं, उसका लाभ लेते हुए आपको चाहिए कि जैसे जवाहर रोजगार योजना का पैसा सीधे पंचायतों को जाता है उसी प्रकार से नगर परिषद और नगर पालिकाओं को और नगर निगमों को कोई पैसा दिया नहीं जाता है, उनको भी केन्द्र सरकार जनसंख्या के आधार पर जवाहर रोजगार योजना की तरह सीधे पैसे आबंटित करें। ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। इसके अलावा आपने अपने घोषणा पत्र में हाउस टैक्स की माफी के लिए वादा किया था, मैं चाहता हूं कि जब आप अपनी रिप्लाई में संशोधन के साथ, तब आप हाउस टैक्स की माफी का विचार क्यों नहीं लेकर आये, इस बारे में बताएं कि क्या हाउस टैक्स माफ करने का आपका विचार है और नहीं है तो बंता दीजिए कि हम नहीं कर सकते । ब्यावर में आपकी पार्टी की चुनी हुई नगर परिषद है, उसने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया हाउस टैक्स के बारे में कि हम हाउस टैक्स वसूल नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति अनेक जगह हो सकती है, इसलिए इसके सम्बन्ध में आप पर्याप्त निर्णय लें कि आप हाउस टैक्स माफ करेंगे या नहीं। (व्यवधान)

इसके अलावा, सभापति महोदय, जन प्रतिनिधि जो पूर्ववर्ती सरकार ने मनोनीत किये थे, उसमें प्राय: लोग जन प्रतिनिधि थे, उनको आपने आते ही हटा दिया। ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए।

अनेक माननीय सदस्य : क्यों ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, मानिक चन्द जी सुराना को हमारी सरकार ने हटाया था। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप इस प्रकार से उनको हटा नहीं सकते ।(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : इसके अलावा आपने नगर पालिकाओं के चेयरमैन को सस्पैण्ड कर दिया। (व्यवधान) क्या व्यवहार किया आपने ? चपरासियों के जैसे रखा । (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : सभापति महोदय, मैं इस विषय में कुछ बोलना चाहती हूं माननीय प्रतिपक्ष के नेता के लिए । अपने शासन काल में इन्होंने नगर परिष द और नगर पालिकाओं के साथ कैसा व्यवहार किया, इसको में बखूबी जानती हूं। इन्होंने चुन-चुनकर जहां बी.जे.पी. की नगर परिषद और पालिकाएं हैं, उनको राज्य वित्त आयोग का पैसा और ग्यारहवें वित्त आयोग का पैसा नहीं दिया और यदि दिया तो वह दिया फरवरी माह में, वर्ष के अन्त में और यह कहते हुए दिया कि मार्च तक इसकी एन.ओ.सी. भिजवायी जाए। विपक्ष के नेता महोदय, आप बताएं कि एक महीने में किस प्रकार से इसकी एन.ओ.सी. भिजवा सकते हैं ? इसी प्रकार इन्होंने उन स्वायत्तशासी संस्थाओं पर जितनी पाबन्दी लगाने की कोशिश की, वह जगजाहिर है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता : बोलने दें, अच्छी बात बोल रही हैं। थोड़ा सुनों। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि कुछ नये माननीय सदस्य आये हैं वे अपने मंत्रियों से जानकारी नहीं लेकर हमसे जानकारी लेना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं...

श्रीमती अनिता भदेल : क्योंकि ऐसा आपके शासनकाल में हुआ है इसलिए मैं कहना चाहती हूं। (व्यवधान) मैं अजमेर नगर परिषद में पूर्व सभापति थी और कांग्रेस सरकार ने इतना परेशान किया, इतना प्रताडित किया कि पैसा नहीं दिया। और पैसा दिया तो यह कहते हुए दिया कि यह कांग्रेस सरकार आप पर उपकार कर रही है, जबकि नगर परिषदों का यह अधिकार था, उस अधिकार को इन्होंने रोका। इसके अतिरिक्त चुंगी के पेटे जो राशि मिलने वाली थी, उसको इन्होंने पांच प्रतिशत तक घटा दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने यह कहा कि पैसा तो मिल गया लेकिन देरी से मिला। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आपस में चर्चा नहीं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : चुंगी की राशि 10 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत कर दी। वह बकाया है।

श्रीमती अनिता भदेल : आपने उसको किस अधिकार के तहत किया ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, 1600 करोड़ रूपये जो केन्द्र सरकार से हमको मिलने वाले थे वह नहीं दिया। (व्यवधान) लेकिन पैसा तो दिया कम से कम।

श्री सभापति : कृपया विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। माननीय, आप भी विराजें।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) : इन्होंने महिला अध्यक्षों को परेशान किया।(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य । नोखा से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजिए। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। नोखा से आने वाले माननीय सदस्य, यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है, प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात कह रहे थे, उनसे क्लैरिफिकेशन के लिए कोई छोटी-मोटी बात पूछ लें तो कोई बात हो, लेकिन आप खड़े होकर बात करने लग गये, मैं समझता हूं यह बात उचित नहीं है।(व्यवधान) आपने कह दी। अब मैं अनुमति नहीं दूंगा, विराजिए। नेता प्रतिपक्ष।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मै यह कहना चाह रहा था कि राज्य की विषम आर्थिक परिस्थिति के कारण कई बार आगे-पीछे हो जाता है

(डा. बुलाकीदास कल्ला)
लेकिन पैंसा पूरा का पूरा दिया गया। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य वित्त आयोग जो भी सिफारिश करें, उस राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर हमारी स्वायत्तशासी संस्थाओं को पैसा मिलना चाहिए। अन्त में एक सुझाव आपको और देना चाहता हूं। (व्यवधान) आपके कोई स्प्रिंग लगी हुई है क्या ?

श्री मोहन लाल गुप्ता : हां, स्प्रिंग लगी हुई है।(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, स्वायत्तशासी संस्थाओं में से लोग रिटायर हो जाते हैं उन पदों की भर्ती नहीं होती है, तो जो भी जनसंख्या के आधार पर नगर परिषद, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में लोगों की आवश्यकता है, जनसंख्या के आधार पर वे पद सृजित किये जाएं।

एक सुझाव मेरा और है कि यू.आई.टी. और नगर पालिकाओं को यदि आप मर्ज कर दें तो मैं समझता हूं कि हमारी नगर परिषदें और नगर पालिकाएं जहां-जहां हैं और जहां यू.आई.टीज. हैं। उनको और नगर निगम और यू.आई.टी. या जे.डी.ए. जहां बने हुए हैं इनको एक साथ मर्ज करेंगे तो निश्चित रूप से स्वायत्तशासी संस्थाएं जन प्रतिनिधियों के हाथों में आएंगी और मजबूत होंगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्री जी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें, मैंने प्रभारी मंत्री जी को पुकार लिया। बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, थर्ड स्टेज पर इस बिल पर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं, दो-तीन अहम मुद्दे उठकर सामने आये हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय कल्ला साहब ने कहा है कि 2001 की जनगणना के आधार पर जिनको क्रमोन्नत करना चाहिए, उनको क्रमोन्नत करना चाहिए! माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि 2001 की जनगणना अभी कुछ समय में आने वाली है, आने के बाद में हम इन 45 जो म्यूनिसिपैलिटीज और नगर निगम इनका चुनाव होने वाला है नवम्बर 2004 तक, तक सबका डिलिमिटेशन भी कराएंगे और वार्डों का पुनर्निर्धारण भी करेंगे और उसके बाद नवम्बर में उनका चुनाव भी कराएंगे और उनका क्रमोन्नतयन करना होगा जनसंख्या के आधार पर, तो वह क्रमोन्नतयन भी होगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसके अलावा भी दस साल ज्यादा हो गये हैं इसलिए राज्य सरकार चुनाव से पूर्व सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों का पुनर्सीमांकन कराकर नवम्बर के महीनें में और जब भी अवधि होगी...

(14.51 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

उस समय उनके चुनाव कराएंगे। पंचायत का बिल नहीं है आज।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से माननीय सदस्यों ने यहां दो-तीन बातें उठाई हैं, मैं साफ कहना चाहूंगा। कल्ला साहब ने कहा है कि राज्य वित्त आयोग ने जो सिफारिश की है उन सिफारिशों को लागू किया जाए। माननीय कल्ला साहब, आपको अगर स्मरण हो तो आपकी सरकार के समय वित्त आयोग बना था..

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारे अकाल पड़ा हुआ था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और मैं भी उसका मैम्बर था। आपने मुझे मैम्बर बनाया था। शायद आपको ध्यान नहीं होगा, मैं उसका मैम्बर था और राज्य वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश की। राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें थीं उन सिफारिशें के हिसाब से 2001 में 2431 लाख रूपये देने थे तो उसमें 2389 मिलें और सब जगह कमी रही। मैं कहना नहीं चाहता, राज्य वित्त आयोग की अभिशंसा पर जो भी बजट प्रावधान थे, वह नहीं मिला, प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली और मनोरंजन कर का हिस्सा भी नहीं मिला और वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित भी नहीं मिले। आपने कहा था कि अकाल था इस कारण से नहीं कर सके, लेकिन नहीं मिला। कुल मिलाकर अपन देखें तो नगर पालिकाओं को 1284.28 के बजाए 1167.48 करोड़ रूपया मिला चुंगी के पुनर्भरण के विपरीत में। जो मिलना चाहिए था वह था 1248.28 और मिला 1167.48 ।

इसी प्रकार से जो एस.एफ.सी. ने सिफारिश की थी वह 103.02 के मुकाबले 79.09 मिला। आपने कहा अकाल के कारण से नहीं मिला, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो चूंगी समाप्त करने के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समय वादा किया था और जो राज्य वित्त आयोग ने सिफारिशें की हैं उनको भरसक प्रयत्न करके नगरपालिकाओं को हम दिलाने का प्रयत्न करेंगे ताकि ठीक ढंग से उनकी तनख्वाह भी चुकती रहे और उनके डवलपमेंट का काम भी चलता रहे।

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर चर्चा की गयी है कि वीकर सैक्शन के लिए आया है, जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या है स्लम एरिया की, कच्ची बस्तियों की। उन कच्ची बस्तियों को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वह भारत सरकार का प्रोग्राम था वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना, वह 2001 में लागू हुई, 2001 में लागू होने में पचास परसैंट सब्सिडी भारत सरकार की और पचास परसैंट हुडको का ऋण , ऋण में यह तकलीफ आयी राज्य सरकार को कि ऋण की गारंटी राजस्थान सरकार को देनी पड़ती थी। इस कारण से यह योजना राज्य में प्रारम्भ नहीं हो सकी। केवल कोटा और जयपुर जेसे दो शहरों में लागू की गयी।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार ने यह तय किया है कि वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना को राज्य में लागू किया जाएगा और राज्य सरकार हुडको को गारंटी देगी। इस प्रकार से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जहां पांच लाख से उपर की जनसंख्या है वहां पचास हजार रूपये उनको और जहां इस लाख से कम जनसंख्या है वहां चालीस हजार रूपये मकान बनाने के लिए कमजोर वर्ग के लोगों को मिलेंगे। आधा अनुदान मिलेगा भारत सरकार का, आधा हुडको का लोन होगा। लोन वह चुकाएगा जो लेगा लेकिन राज्य सरकार अपनी गारंटी देगी। इस प्रकार से राज्य के कमजोर वर्ग के लोग नगर पालिकाओं में जो रहते हैं उनके लिए इस प्रकार का प्रावधान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। यहां पर कई प्रकार की चर्चा चली, आरोप लगाये गये कि इतने नगर पालिका के चेयरमैन सस्पैंड हुए, इतने का विवाद हुआ, इस प्रकार के अधिकार दिये गये, कटौती की गयी, मैं साफ कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार किसी भी प्रकार से स्वायात्त शासी सस्थाओं के अधिकार में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं चाहती। जो अधिकार इनके काटे गये थे उन सब अधिकारों को हम बहाल करेंगे। दूसरा, एक मामला उठाया गया कि जो लोग नियुक्त किये गये थे उनको हटा दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हरिजनों को हटा दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्यों अपने पुराने उनको उधेड़ रहे हो,? क्यों उधेड़ रहे हो, मैं उधेड़ना चाहता नहीं इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : छोड़ क्यों रहे हो, साहब, बताइए आप कि इन्होंने कितने सस्पैंड किए थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं चाहूंगा कि प्रजातांत्रिक संस्थाओं में इस प्रकार का जो ये है इसको नहीं करना चाहिए। आपने किया और हम भी करें, अच्छा नहीं है। वे भी स्टे हुए सब के सब। मैं आपको बता दूं। आपका एक भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस सस्पेंशन को आप न्यायालय में जाकर रीटेन करा सकें। सब के सब ने स्टे ले लिया। इसलिए साफ बात है कि चुने हुए नगरपालिका के चेयरमैन हों चाहे वाइस चेयरमैन्स हों चाहे मैम्बर्स हों, उनकी मैम्बरशिप समाप्त करने का और उनके पद समाप्त करने का अलोकतांत्रिक कार्य यह सरकार नहीं करेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को पारित किया जाए।(व्यवधान) आपने जो सुझाव दिया वह महत्वपूर्ण सुझाव है और विशेषज्ञ के रूप में आपसे बड़ा विशेषज्ञ कोई मिलेगा नहीं, आज के बाद में बैठकर आपसे राय लेकर इसमें संशोधन जरूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया गया। सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

राष्ट्रगान

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तब शुभ नामे जागे
तब शुभ हाशिष मांगे
गाहे तब जय गाथा
जन गण मंगल दायक जय हें
भारत भाग्य विधाता
जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.58 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जालौर-रामसीन की क्षतिग्रस्त सड़क

42. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) एवं श्री जोगेश्विर गर्ग (जालौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जालौर से रामसीन तक की सड़क का पेवरीकरण एक वर्ष पूर्व ही किया गया है ?

(2) उक्त सड़क के पेवरीकरण पर कितनी लागत आई तथा निर्माण हेतु क्या-क्या शर्तें थी ?

(3) क्या यह सही है कि पेवरीकरण के बाद पहले ही बरसात में उक्त सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी ? यदि हां, तो कब व क्यों ?

(4) क्या उक्त ठेकेदार के विरूद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पेवरीकरण का कार्य दिनांक 16.12.2002 को प्रारम्भ करके दिनांक 15.6.2003 को पूर्ण किया गया है।

(2) पेवरीकरण पर राशि रूपये 82.05 लाख की लागत आई थी। अनुबन्ध के साथ विशेष शर्तें भी थी, जिसमे मुख्य रूप से कार्य पूर्ण करने के की तिथि से तीन वर्ष तक सड़क रख रखाव का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाना है।

(3) जी हां। माह जून, जुलाई, अगस्त से अत्यधिक वर्षा होने के कारण सड़क मे पैच होने से क्षतिग्रस्त हो गई थी।

(4) जी हां। सड़क के कुछ भाग में मरम्मत कार्य ठेकेदार द्वारा सम्पन्न न किये की स्थिति में उसकी जोखिम व खर्चे पर विभाग द्वारा अन्य ठेकेदार से करवा दिया गया है।

पचगांव सम्पर्क सड़क का डामरीकरण

43. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सम्पर्क सड़क पचगांव पर योजना मद स्ट्रेथनिंग मोडर्नाइजेशन में वर्ष 2000-2001 में रूपये 4 लाख की राशि डामरीकरण हेतु स्वीकृत की गई

थी ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूर्ण हुआ ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) स्वीकृति के अनुसार अब उक्त सड़क का डामरीकरण कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) उक्त सड़क के लिये 5054 (एस. एम. एण्ड आर.) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई अपितु वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 4.00 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई थी।

इस लेखा मद में बजट की अनुपलब्धता/साख सीमा न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

(2) उक्त योजना मद में वित्तीय प्रावधान होने के बाद कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना

77. **श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में प्रचुर मात्रा में कोयले (लिग्नाइट) गैस व तेल के भण्डार पाये गये हैं ? यदि हां तो क्या सरकार कोयला आधारित उद्योग और तेल-गैस हेतु रिफाइनरी स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

बाड़मेर जिले में करीब 2100 मिलियन लिग्नाइट खनिज के भण्डार पाये गये है जिनमें से 1200 मिलियन लिग्नाईट क भण्डार 200 से 500 मीटर गहराई में पाये गये है। कोसलू-गुढा मलानी क्षेत्र में तेल एवं गैस की उपलब्धता पाई गई है। तेल एवं पेट्रोलियम के पूर्वेक्षण हेतु क्षेत्र आवंटित हैं जिस पर पूर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

सरकार द्वारा उधोग स्थापित नहीं किये जाते है, उधमी द्वारा उधोग स्थापित करने में सहयोग/नियमानुसार सहायता प्रदान की जाती है। अंत: कोयला आधारित उधोग और तेल, गैस को रिफाइन करने हेतु यदि उधमी उधोग स्थापित करने के लिए आगे आयेगें तो सरकार द्वारा उन्हें पूर्व सहायता/नियमानुसार सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। तेल गैस के लिए रिफाइनरी स्थापित किया जाना भारत सरकार का विषय है।

हथकरघा विकास नियम द्वारा राजकीय संस्थानों को आपूर्ति

78. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान, राज्य हथकररघा विकास निगम की सथापना किस लक्ष्य के साथ की गई थी ? उप नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल शर्मा)

(2) क्या हथकररघा विकास निगम बुनकरों से उत्पादन करवाकर उक्त उत्पाद का विपणन करता है या बुनकर सहकारी समितियों से भी उत्पाद लेकर बेच सकता ?

(3) मार्च, 2002 के बाद हथकरघा विकास निगम को किस-किस सरकारी विभाग से क्रय आदेश प्राप्त हुए ? क्या बुनकर सहकारी समितियों से सामान लेकर सरकारी विभागों को आपूर्ति की गई ? यदि हां, तो किस महीने में किस समिति से कौनसा और कितनी राशि का सामान लिया गया ?

(4) राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम ने मार्च, 2002 से अब तक कितना कारोबार किया ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या हथकरघा विकास निगम इन बुनकर सहकारी समितियों का नियमित निरीक्षण करवाता है ? यदि हां, तो मार्च, 2002 के बाद किस-किस बुनकर सहकारी समिति का कितनी बार निरीक्षण करवाया गया ? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार है:-

1. राजस्थान प्रदेश में हाथकरघा उद्योग की उन्नति, पुनजीवन, बढ़ावा एवं विकास हेतु कार्य करना।

2. हाथकरघा उद्योग से सम्बन्धित एक अथवा अनेकों को आर्थिक सहायता प्रदान कराने हेतु कार्य करना।

3. हाथकरघा उद्योग को बढ़ाने के लिये उत्पादन, आपूर्ति, प्रोसेसिंग, भण्डारण, वितरण बिक्री एवं अन्य आवश्यक कार्यों को हाथ में लेकर कार्य करना।

4. हाथकरघा वस्त्रों को धोक, खुदरा बिक्री, कमीशन के आधार पर देश एवं देश से बाहर के लिये आवश्यक कदम उठाना।

(श्री उद्योग मंत्री)

5. हाथकरघा उद्योग से सम्बन्धित सभी विषयों जैस- कताई, बुनाई, रंगाई, प्रोसेसिंग पैर्टन, डिजाइन, कशीदाकारी, छपाई विपणन, लेखा, एवं प्रबन्धन के लिये आवश्यक प्रशिक्षण दिलाना और इस क्षेत्र की उन्नति हेतु सहायता करना।

निगम के उप नियमों (मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन) की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-"अ")

(2) निगम के उपरोक्त उप नियमों के अनुसार निगम बुनकरो से उत्पादन करवा कर विपणन कर सकता है एवं बुनकर सहकारी समितियों से भी उत्पादन लेकर बिक्री कर सकता है।

(3) निगन को माह मार्च 2002 के बाद जिन सरकारी विभागों से क्रयादेश प्राप्त हुये है, उनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। जी हां, निगम द्वारा, निर्धारित प्रक्रिया के तहत जो वस्त्र स्वंय के स्टांक में उपलब्ध नहीं थे, उनकी आश्ति पंजीकृत हाथकरधा बनकर सहकारी समितियों से वस्त्र लेकर की गयी। हाथकरघा बनकर सहकारी समितियों से लिये गये वस्त्रों का माहवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(4) राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम ने माह मार्च 2002 के बाद से 15 जनवरी 2004 तक राशि 734.87 लाख का कारोबार किया है। परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(5) बुनकर सहकारी समितियों के नियमित निरीक्षण का कार्य राज्य सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा कराया जाता है, सहकारी समितियों के नियमित निरीक्षण का कार्य निगम के कार्य क्षेत्र में नहीं है। (प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बून्दी में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

79. **श्री बाबूलाल वर्मा** (पाटन) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बून्दी में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं ? प्रत्येक दुकान का नाम, नम्बर उसे संचालित करने वाले का नाम, पता, दुकान के कार्यक्षेत्र में आने वाले लाभान्वितों की संख्या, गांव के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वितीय वर्ष 2002-2003 में प्रत्येक दुकानदान को कितनी-कितनी सामग्री उपलब्ध कराई गई सामग्री का नाम, उपलब्ध कराई गई सामग्री में से कितनी सामग्री का वितरण किया गया ? विवरण माहवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले में कुल 323 नियंत्रित उचित मूल्य की दुकानों को संचालित किया जा रहा है। दुकान का नाम, उसके संचालित करने वाले का नाम तथा उसे संचालित करने वाले का नाम, पता, दुकान के कार्यक्षेत्र में आने वाले लाभान्वितों की संख्या मय गांव के नाम विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2002-2003 के वित्तीय वर्ष में प्रत्येक दुकानदार को कितनी कितनी सामग्री उपलब्ध कराई गई, सामग्री का नाम उस दुकानदार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री महीनेवार का वितरण किया परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 के लिए ग्राम छत्रपुरा (बून्दी) की अवाप्त भूमि का मुआवजा

80. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के लिए ग्राम-छत्रपुरा (बून्दी) की खसरा संख्या 65, 66,67,68,69 में से भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो खसरावार, रकबा सहित अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सड़क निर्माण में अवाप्त भूमि का राजस्व विभाग के नक्शे एवं रेकार्ड में इन्द्राज करवा दिया गया है ? यदि नहीं अब कब तक नक्शा आदि में इन्द्राज करवा, दिया जावेगा ? नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आंशिक रूप से सही है। खसरा संख्या 65, 66, 67, 68 में से भूमि अवाप्त की गई है। खतरा संख्यावार रकबा सहित अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का विवरण अनुसूचनी "अ" पर सलंग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्व नकशें एवं रिकार्ड में अवाप्त भूमि का इन्द्राज करवाने हेतु राजस्व विभाग में प्रयास किये जा रहे है। नक्शें की प्रति अनुसूची "ब" पर सलंग्न है।

अनुसूची ''अ''

संख्यावार रकबा सहित, अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का विवरण

खसरा नं.	रकबा बीघा	बिस्वा	काश्तकार का नाम	भूमि मुआवजे की राशि रूपयों में	चैक नं. व दिनांक	विशेष विवरण
65	1	14	नाथुलाल पुत्र श्री फीन्दीलाल कुमावत, बूंदी	(i) 10,378.00	872727 दिनांक 24.12.86	जमीन व फसल का मुआवजा
			.	(ii) 23,800.00	872730 दिनांक 24.12.87	फलदार वृक्षों का मुआवजा
66 67 68	0 1 0	2 6 5	I नाथूलाल पुत्र श्री फीन्दीलाल कुमावत, बूंदी	(i) 5,032.50	872724 दिनांक 24.12.86	जमीन व फसल का मुआवजा
			—	(ii) 7,480.00	872733 दिनांक 8.1.87	फलदार वृक्षों का मुआवजा
			(ii) श्रीमती जगनी बैवा श्री फीन्दी लाल कुमावत, बूंदी	(i) 5,032,50	872725 दिनांक 24.12.86	जमीन व फसल का मुआवजा
			——	(ii) 7,480.00	872731 दिनांक 8.1.87	फलदार वृक्षों का मुआवजा

ग्राम खटकड़ (बूंदी) की क्षतिग्रस्त सड़क

81. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ग्राम-खटकड़ (बून्दी) के बीच होकर निकल रहे राज्य मार्ग का हिस्सा पूरी तरह से खतिग्रस्त है तथा दोनों तरफ निर्मित की गई नाली का निर्माण कार्य भी अपूर्ण है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक सही करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां। ग्राम खटकड़ (जिला बून्दी) के बीच होकर निकल रहे राज्यमार्ग का उक्त हिस्सा ग्राम के पानी का निकास न होने के कारण क्षतिग्रस्त है। दोनों तरफ पानी निकास हेतु नाली का कोई निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया गया है। वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

जिला बून्दी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का भुगतान

82. **श्री बाबूलाल वर्मा** (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्रि यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बून्दी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2003 तक कौन-कौनसी सड़कें स्वीकृत की गई ? प्रत्येक सड़क की स्वीकृति दिनांक एवं स्वीकृत राशि, प्रत्येक कार्य करने वाली एजेन्सी का नाम/ठेकेदार का नाम तथा वर्तमान में कार्य की नवीनतम स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक कार्य के लिए अधिकृत एजेन्सी/ठेकेदार को कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा कितनी राशि शेष का भुगतान है ? प्रत्येक कार्य की सूची, ठेकेदारों के नाम एवं पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बून्दी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ होने की दिनांक 31.12.2003 तक स्वीकृत सड़कें, उनकी स्वीकृति दिनांक एवं एजेन्सी ठेकेदार का नाम तथा वर्तमान में कार्य की नवीनतम स्थिति सलंग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) प्रत्येक कार्य के लिए अधिकृत एजेन्सी/ठेकेदार के नाम व पते सहित उनको किये गये भुगतान की राशि व शेष राशि का विवरण सलंग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के सरकारी भवनों का जीर्णोद्धार

83. **श्री लाल चन्द** (रायसिंह नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में कितने सरकारी कार्यालय व आवासीय भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवनों का जीर्णोद्धार करने की योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड-श्री गंगानगर के उपखण्ड रायसिंह नगर के अधीन निम्न सरकारी कार्यालय व आवासीय भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।

(अ) सरकारी कार्यालय	शून्य
(ब) आवासीय भवन	
1. सी टाइप	1 नग
2. ई टाइप	4 नग
3. जी टाइप	18 नग
4. एच टाइप	29 नग
कुल :-	**52 नग**

(2) जी हां। उक्त भवनों का जीर्णोद्धार राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नवीन सड़कों का निर्माण

84. श्री लाल चन्द (रायसिंहनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में पिछले पांच वर्षों में नवीन सड़को का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अब उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पिछले पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में नई सड़कों का निर्माण हुआ है जो निम्न है।

1.	सम्पर्क सड़क 51 एल एन पी	=3.600 किमी.
2.	सम्पर्क सड़क फर्सेवाला (29 एएमएल) से 3 ईईए	=2,000 किमी.
3.	सम्पर्क सड़क साबूकी मोड से धमूड़वाली	= 1,000
	कुल	=6,600 किमी

(2) जी हां।

(अ) उक्त विधान सभा क्षेत्र में निम्न सड़कों का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रगति पर है। कार्य अप्रैल 2004 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

1.	सम्पर्क सड़क 45 एल एन पी	=8,100 किमी.
2.	सम्पर्क सड़क 19 एन पी	=2,300 किमी.
	कुल	=10,900 किमी

(ब) उक्त विधान सभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत निम्न सड़कें स्वीकृत है।

1.	मिसिंग लिंक सड़क रायसिंह नगर से करड़वाली	=10.000किमी.
2.	मिसिंग लिंक सड़क 20 पीएससे रिडमलसर	=5.000 किमी.
	कुल	=15.000 किमी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जिनकी निविदायें आमंत्रित की जा चुकी है व कार्य वर्ष 2004-2005 में पूर्ण होने की सम्भावना है

(स) उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एक सड़क की स्वीकृति है

1. सम्पर्क सड़क 31 एम एल = 1-100 किमी. 13.34 लाख रूपये जिसे स्वीकृति से एक वर्ष में निर्माण करना प्रस्तावित है।

जिला बाड़मेर के सड़क विहिन पंचायत मुख्यालय

85. **श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है जिला बाड़मेर के बहुत से ग्राम पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से नहीं जुड़े हुये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त पंचायत मुख्यालयों को कब तक डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले के 54 ग्राम पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से नहीं जुड़े हुये है। विवरण परिशिष्ट "क" में सलंग्न है।

(2) उक्त 54 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 23 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा 2 पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ने हेतु सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम में स्वीकृत जारी है तथा कार्य प्रगति पर है जो माह जून, 2004 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। शेष 29 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 12 ग्राम पंचायत मुख्यालय हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चरण चतुर्थ 2004-05 में स्वीकृति शीघ्र ही सम्भावित है। शेष 17 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को आबादी की प्राथमिकता के आधार पर 2007 तक जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "क"

डामर सड़क से नहीं जुड़े पंचायत मुख्यालयों सम्बन्धी सूचना
जिला बाड़मेर

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत मुख्यालय का नाम	2001 की जनगणना अनुसार प्रक्षेपित जनसंख्या	असम्बंध डामर सड़क की लम्बाई (किमी. में)	विशेष विवरण
1.	बायतू	खारडा भारत सिंह	1641	7.20	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृती व कार्य प्रगति पर
2.	—	सिंगोडिया	1229	3.25	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृती व कार्य प्रगति पर
3.	—	चिडिया	932	14.20	प्रधानमंत्री ग्राम योजना अन्तर्गत पेज-चतुर्थ 2004-05 में स्वीकृति सम्भावित है
4.	—	बान्दरा (चांदणियों की ढाणी)	837	7.50	—

1	2	3	4	5	6
5.	—	चीबी	792	6.50	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम होलानी हेतु सड़क में सम्मिलित है जिसकी फेज-चतुर्थ 2004-2005 में स्वीकृति संभावित है।
6.	—	कसूम्बला भाटियान	640	6.00	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्राम कसूम्बला हरचन्द (886) हेतु सड़क में सम्मिलित है जिसकी फेज-चतुर्थ 2004-2005 में स्वीकृति सम्भावित है।
7.	—	लापून्दरा बारठान	678	10.00	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत ग्राम लापून्दरा चौहान (923) हेतु सड़क में सम्मिलित है जिसकी फेज-चतुर्थ 2004-2005 में स्वीकृती सम्भावित है।
8.	—	बायतू भीमजी	529	7.50	—
9.	बाड़मेर	बिशाला आगोर	1072	7.00	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत व कार्य प्रगति पर है।
10.		तारातरा	1010	5.35	—

1	2	3	4	5	6
11.	बाड़मेर	ईशरोल	4164	1.25	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत फेज-चतुर्थ 2004-2005 में स्वीकृति संभावित है।
12.	—	जालीप	2033	0.75	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत फेज-चतुर्थ 2004-2005 में स्वीकृति संभावित है।
13.	—	बूठिया	863	1.25	—
14.	—	जाखड़ों की ढाणी	813	5.00	—
15.		बाबूगलेरिया	726	2.00	—
16.		आकोडा	360	2.00	—
17.		आरंग	2523	17.00	प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत फेज-चतुर्थ 2004-2005 में स्वीकृति संभावित है।
18.		चेतरोडी	1493	3.00	प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत फेज-चतुर्थ 2004-2005 में स्वीकृति संभावित है।
19.		धारवीकलां	824	6.00	—
20.		स्वामी का गांव	752	14.50	—

1	2	3	4	5	6
21.	—	हाथी सिंह का गांव	642	2.50	—
22.	चौहरन	बींजासर	4226	2.00	बी.ए. डी. पी. योजना अन्तर्गत स्वीकृत व कार्य प्रगति पर है।
23.	—	गोहड का तला	2173	5.00	बी.ए. डी. पी. योजना अन्तर्गत स्वीकृत व कार्य प्रगति पर है।
24.	—	ढोंक	2077	0.55	प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत व कार्य प्रगति पर है।
25.		पोकरासर	849	5.00	प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम खारावाला (1229) हेतु
26.		आटिया	672	5.00	प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम धीरासर (1095) हेतु
27.		भंवरिया	436	4.00	प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम खाण्डरवाली (1068) हेतु स्वीकृत सड़क कार्य में सम्मिलित है व कार्य प्रगति पर है।
28.		रमजान की गफन	680	10.00	—
29.		श्री रामवाला	546	4.00	—

1	2	3	4	5	6
30.	बालोतरा	नवातला	5289	15.40	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत है व काम्र प्रगति हैं।
31.	—	मेवानगर	3075	2.00	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत है व काम्र प्रगति हैं।
32.	—	कंकराला	1235	11.00	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत है व काम्र प्रगति हैं।
33.	—	साजियाली पदमसिंह	1206	8.00	प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम साजियाली मूलराज (1024) हेतु स्वीकृत सडक कार्य में सम्मिलित है व कार्य प्रगति पर है।
34.	—	साजियाली रूपजी राजबेरा	1100	11.00	प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत है व कार्य प्रगति पर है।
35.		रेवाडी भैया	1097	4.00	—
36.		नवोडा बैरा	5642	10.20	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में फेज-चतुर्थ 2004-2005 में स्वीकृति संभावित है।
37.		बाणियावास	734	5.00	
38.		अकडली बक्सीराम	557	3.00	
39.	धोरीमना	नवातला राठोरान	1390	9.00	प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत व कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
40.	धोरीमना	गाधव कलां	1065	1.00	प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत व कार्य प्रगति पर है।
41.	—	भेरूडी	545	10.00	—
42.	सिवाड़ा	कोठडी	1133	1.50	प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत है व कार्य प्रगति पर है।
43.	—	सेला	1920	8.00	प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत फेज-चतुर्थ 2004-2005 में स्वीकृति संभावित है।
44.		गोलिया	868	2.35	—
45.		लालाना	717	3.00	—
46.	सिणधरी	सिणधरी चौसिरा	4095	1.20	प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत व कार्य प्रगति पर है।
47.		राणासर खुर्द	1818	15.00	प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत व कार्य प्रगति पर है।
48.		बेरीवाला तला	2126	4.10	प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत व कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
49.	सिणधरी	कोसथू	1265	2.20	प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत व कार्य प्रगति पर है।
50.	—	धोला नाडा	1252	3.00	प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत व कार्य प्रगति पर है।
51.	—	सरणू चिमनजी	1052	4.75	प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत व कार्य प्रगति पर है।
52.	—	लोलावा	1490	8.35	प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम ट्रंकीया (1730) हेतु सड़क कार्य में सम्मिलित है जिसकी स्वीकृति फेज-चतुर्थ 2004-2005 में सम्भावित है।
53.		कमठाई	963	3.00	प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना अन्तर्गत फेज-चतुर्थ 2004-2005 में स्वीकृति सम्भावित है।
54.		सेवनियाला	729	9.00	—

बांसवाड़ा नगर में सड़क निर्माण में अनियमितता

86. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा नगर कस्टम चौराहे से दाहोद रोड तक 2 कि.मी. बनी सड़क एक माह में ही क्षतिग्रस्त हो गई ? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) सड़क बनने के बाद उसकी गुणवत्ता का कितने समय का अनुबंध किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि एक माह में सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने पर भी किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस पर कुल राशि 16;33 लाख व्यय की गई।

(2) अनुबन्धानुसार कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त 6 माह व एक वर्ष जो भी बाद में हो तक के लिये संवेदक जिम्मेदार है।

(3) सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण संवेदक जिम्मेदार है। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत संवेदक द्वारा ही की जानी है। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के पश्चात् ही संवेदक का अन्तिम भुगतान किया जावेगा।

चौमूं बाईपास सड़क हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

87. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमू में राधास्वामी बाग़ से उदयपुरिया मोड़ (हाडौता) तक बाईपास स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(श्री रामलाल शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बाइपास निर्माण के लिए किसानो की भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो किस-किस की कितनी-कितनी भूमि ?

(3) क्या यह सही हे कि इन किसानो को अभी तक अवाप्त भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

(4) सरकार उक्त बाइपास निर्माण कब तक पूरा कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु उक्त कार्य की भूमि अवाप्ति हेतु राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 12.6.95 को 25.00 लाख रूपये की आंशिक प्रशासनिक स्वीकृति एवं भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 5.1.2004 को 300.30 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(2) जी नहीं। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है।

(3) जी हां। क्योंकि भूमि अवाप्ति की स्वीकृति दिनांक 5.1.2004 को ही प्राप्त हुई।

(4) वर्तमान में बाईपास निर्माण हेतु स्वीकृति उपलब्ध नहीं है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात निर्माण के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जायेंगे।

जिला जालौर की अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु प्रस्तावित योजना

88. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) एवं श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जालोर में अनुसूचित जनजाति की कुल कितनी जनसंख्या है ? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनके उत्थान एवं विकास के लिये सरकार द्वारा कौन-कौनसी योजनायें चलाई जा रही हैं ? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन् 1991 की जनगणना के अनुसार जिला जालौर में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 96324 है। विधान सभा क्षेत्रवार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र नाम	जनजाति जनसंख्या
1.	जालौर	22421
2.	आहौर	24034
3.	भीनमाल	18280
4.	रानीवाड़ा	19500
5.	सांचोर	12089
	योग	96324

(2) जिला जालौर में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मद से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2003-04 में इन योजनाओं हेतु रूपये 16.80 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध अब तक रूपये 13.57 लाख की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। योजनावार प्रावधित राशि एवं स्वीकृत की गई राशि के अन्तर की राशि गत वर्षों की बचत में से व्यय की जायेगी। इसके अतिरिक्त संविधान की धारा 275 (1) के अन्तर्गत भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर कुछ कार्यक्रमों हेतु जिले को राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

परिशिष्ट-1

बिखरी जनजाति कार्यक्रम् में जालौर जिले हेतु वर्ष 2003-2004 में आबंटित एवं स्वीकृत राशि का विवरण

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	नाम योजना	आबंटित राशि	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि
1.	अंशपूंजी अनुदान	0.63	0.07
2.	पावर थ्रेसर सेट पर अनुदान	0.30	0.30
3.	कृषि कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा करना	0.30	0.00
4.	एनीकट निर्माण	10.00	9.00
5.	डीजल/विद्युत सेट पर अनुदान	0;40	0.00
6.	फव्वारा सिंचाई सेट पर अनुदान	0.30	0.27
7.	ड्रिप सिंचाई सेट पर अनुदान	0.10	0.10
8.	सामुदायिक कृषि ट्यूवबैल स्थापना	2.00	2.00
9.	छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा प्रोत्साहन	0.07	0.07
10.	प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	0.14	0.08
11.	हैण्डपम्प स्थापना	1.50	0.92
12.	टांका निर्माण पर अनुदान	0.80	0.50
13.	घरेलू सौर ऊर्जा सेट पर अनुदान	0.06	0.06
14.	कृषि कुओं के विद्युतीकरण पर अनुदान	0.20	0.20
	योग	16.80	13.57

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-40 की प्रति)

परिशिष्ट "अ"

NHIII/P/72/76 Dated the 13th Jan. 1977

1. All State Govts. & Union Territories

   (Department dealing with Highways)

2. All State Chief Engineers/Addl. Chief Engineers/Principal Engineers dealing with Highways

3. Engineers-in-Chief C.P.W.D. and Army Headquarters

   D.G.B.R.

Subject : Control of Ribbon Development and removal of encroachments along highways

In supersession of the instruction communicated in the circulars mentioned below. I am denied to issue the following consolidated guideline for control of ribbon development and removal of encroachment along highways specially National Highways and such centrally sponsored highways is the Lateral Road and the Strategic Road.

PL-12 (2)/52, dated 10.10.52

WII-2 (57)/61, dated 6.10.61

WI-43 (3)/63, dated 24.7.63

PL-7 (11)/57, dated 1.1.66

Ribbon Development along arterial highways had become an acute problem near developing owns. This is further accentuated by uncontrolled prolification of access points to the highways. In some of the congested towns along National Highway where ribbon development has already taken place, bye-passes have been provided

but Unliss adequate measures are taken to prevent recurrence of ribbon development no lasting solution is possible. Some of the measures which should be given immediate consideration to control further deterioration of the situation are :

Provision of adequate land width for future development

Provision for service road for traffic which is purely local in character

Control of access

Control of building activities

Control of roadside advertisement

Prevention of encroachments and their speedy removal.

Access to arterial highways should be restricted to predetermined points and in urban and industrial areas this should be done by constructing parallel service roads on either side. The necessary land for the service road should be acquired simultancously with the acquisition of land for the highway proper. The general requirement of land width for highways is indicated in Table : below:-

TABLE 1 : LAND WIDTH FOR DIFFERENT CLASSES OF ROAD

Class of Roads	Land Width in Meter							
	Plain & Rolling Country				Mountainous & Steep Terrain			
	Rural Areas		Urban Areas		Rural Areas		Urban Areas	
	Normal	Range	Normal	Range	Normal	Exceptional	Normal	Exceptional
National Highways and State Highway	45	30-60	30	30-60	24	18	20	18
Major District Road	25	25-30	20	15-25	18	15	15	12
Other District Road	15	5-25	15	15-20	15	12	12	9
Village Road	12	12-18	10	10-15	9	9	9	9

Parallel service roads for 2 way traffic should be planned as an essential part of any scheme for erecting buildings and factories on the land abutting the highway and provision for these made in the layout from the very beginning. In this connection, I am to bring to your notice

the recommendations of the Transport Development Council of its fourth meeting held in April 1963 which are as below :

"The Council recommends that parallel service roads should be constructed in factory areas alongside the National and State Highways to avoid congestion or these Highways. The State Govt. could ensure compliance with this requirement by stipulating a suitable condition at the time of granting permission to the setting of factories and other building".

4. As service roads are intended to meet mainly local traffic needs, these could be constructed by the concerned Road Authority who can, if they so desire consider and examine possibility of charging some fee from the owners of the factories/buildings to recoup the cost by adopting some suitable necessary procedure as admissible. In case of the suitable urban links on National Highways through towns having populations of 20000 or more, the Central Govt. would discharge the responsibilities conforming the scheme vide this letter No. NHIII/ P/16/76 dated 17th March, 1976 and to the consequent agreement.

5. Access Points

5.1 In urban areas, the spacing of access to Arterial highways should wherever possible be resisted to 500 meter interval. If an highway is likely to be developed as Expressway/Motorway the spacing should be 1000 meter.

5.2 In rural areas spacing of connections from parallel service roads and of intersection should not be closer than 750 m. Individual driveways to private properties other than petrol pumps should not be spaced closer than 300 meter from each other or from an intersection. Regarding petrol pumps practice recommended in IRC 12 & 13 should be followed. On highways with dual carriageway median openings should generally be limited to intersection with public roads and should not be permitted for individual business needs where inter-sections are far apart median openings may be provided at intervals of 2 km for permitting U -turns and diversion of traffic to one of the carriageways at times of emergency or major repairs.

5.3 A reference may be made to IRC : 62-1976 "Guidelines for Control of Access on Highways" for general guidance in other situations.

5.4 Designs of all access points should conform to the minimum geometric standards required for safety at the particular locations and adequate warning should be provided through Road Signs and Markings.

5.5 Prior permission of the Ministry should be obtained before permitting new access points on National Highways other than those provided in accordance with policy mentioned above.

6. Control of Building Activities

6.1 In order to prevent overcrowding and preserve sufficient space for future road improvements. It is desirable to lay down restrictions to regulate building activities along arterial highways. Such measure will help in securing adequate sight distance and preserve the aesthetic value of the highway besides ensuring free flow of traffic. It is desirable that within a prescribed distance from the highway no building activity is allowed or undertaken. This distance from road is defined by a hypothetical line called the "Building Line". Beyond this line it is desirable that buildings of height exceeding 13 meter above road level are not built for a further distance defined by what are called "Control Lines" for various types of roads are given in Table 2.

TABLE 2 : STANDARDS FOR BUILDINGS LINES AND CONTROL LINES

Class of Road	Plain and Rolling Terrain			Mountainous and Steep Terrain			
	Rural Areas		Urban & Industrial areas	Distance between Building line and Roadrand boundary			
	Width between building Lines (overall width meter)	Width between Control Lines (overall width meter)	Distance between Building Line and Road land boundary (set back distance meter)	Rural Areas		Urban Areas	
				Normal (meter)	Exceptional (meter)	Normal (meter)	Exceptional (meter)
1. National & State Highways	80	150	3-6	5	3	5	3
2. Major District Roads	50	100	3	5	3	5	3
3. Other District Roads	25/30	35	-	5	3	5	3
4. Village Roads	25.	30	–	5	3	5	3

If the land which is equal to the width between building lines indicated in this column the building lines shall be set back 2.5 meter from the road land boundary lines.

Generally the building and control lines would be symmetrical about the road way. These should be strictly enforced by State Govts. along all National Highways/Strategic Roads while approving schemes of development and specifying land use. Necessary legislation to enforce these where required, may also be enacted.

6.2 No structure of any kind, save the ones required for the development and operation of the highway or those for which the State's have been authorized separately, should be permitted to be put up on National Highway road land without the prior approval of the Ministry.

7. Control on Advertisements

7.1 Erection of hoardings, advertisement boards statue etc, are a source of distraction and cause of accidents on highways and should not be permitted on National Highway land. Only signs and notices of the types mentioned in para 3.3 of the IRC : 46-1972 " A Policy on Roadside Advertisements" may be permitted if they do not interfere with visibility along the Highway and are atleast 100 m from any road junction, bridges or another crossing. The general considerations given in the above mentioned IRC policy should be kept in view.

8. Prevention and Removal of Encroachments

8.1 It is noticed that a number of encroachments have developed in the past on arterial highways. It is essential that urgent actions is taken to remove all the existing encroachments expeditiously so as to eliminate nuisance and ensure safe and free flow of traffic,. Ministry of Law has advised that any or all of the following methods may be used to remove encroachment on highways.

(1) Action be taken under section 133 of the Criminal Procedure Code. In order to bring the case under section 133, the prosecution has to prove that the land in question is either a public way or a public place.

(2) Encroachment upon a public road is an obstruction to the public path and it is a nuisance in itself under Section 269 of the Indian Penal Code. No argument by a user can justify an encroachment upon a public way. The question of sufficient width of the road being left in support of the encroachment for public use is no ground for allowing encroachment or a instruction to continue. It is the duty if the Magistrate to cover to a finding whether the claim of the person complaining of such encroachment as benefits or . The question of person is relevant for this purpose.

(3) Criminal proceeding may, be initiated against the wrong doer under the various provisions of Indian Penal Code Criminal Procedure Code and such of the Police Acts as are applicable to Central subjects like National Highways which are a Union subject the Constitution.

(4) Section 291 of Indian Penal Code punishes a person continuing a nuisance after he is enjoined by a public relevant not to repeat of continue it. Sections 142 and 143 of the Code of Criminal Procedure empowered a Magistrate to forbid an act causing a public nuisance. The Civil Procedure Code also empowered a court to issue temporary junction. To be able to expedite removal of encroachment each P.W.D. division must prepare accurate land maps and keep them handy for checking and for producing in evidence.

9. The need and urgency of taking suitable legislative measures for restricting ribbon development along highways in the country have been brought to the notice of the State Govt. on several occasions in the past. In regard to the framing of Central legislation for the prevention of

ribbon development along National Highways, it has been possible to make a headway so far as the requisite resolutions under Article 252(1) of the Constitution are still awaited from several "State Since there is an -urgent need for a uniform pattern of enactment. It is desirable that all State empower the Central Govt. to legislate a common law applicable throughout the country, so far as National Highways are concerned. This may please be expedited.

10.The content of this communication with suitable instructions may be brought to the notice of all concerned to ensure speedy action.